VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

# सामाजिक मुद्दे

## क्लासरूम स्टडी मटेरियल

(अप्रैल, 2023 से दिसंबर, 2023)

www.visionias.in 8468022022, 9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision _ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बैंगलोर भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2025
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 5 मार्च, 1 PM
BHOPAL: 11 जून
LUCKNOW: 5 जून
JODHPUR: 7 मार्च
JAIPUR: 27 मार्च

अभ्यास
प्रीलिम्स 2024
ऑल इंडिया प्रीलिम्स (GS+CSAT)
मॉक टेस्ट सीरीज
टेस्ट दिनांक
7 अप्रैल | 21 अप्रैल | 5 मई
ऑल इंडिया रैंकिंग
VisionIAS पोस्ट टेस्ट एनालिसिस
हिन्दी/English माध्यम में उपलब्ध
100+ शहरों में
Scan to Know More and Register
पंजीकरण करें: www.visionias.in/abhyaas

# सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

## विषय-सूची


**1. महिलाएं (Women) ____ 3**
1.1. भारत में सरोगेसी ____ 3
1.2. भारत में गर्भ समापन से संबंधित कानून ____ 4
1.3. महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा ____ 5
1.3.1. भारत में दहेज प्रथा ____ 6
1.4. STEM क्षेत्र में महिलाएं ____ 7
1.5. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ____ 7
1.6. भारत में मासिक धर्म स्वच्छता ____ 9
**2. बच्चे (Children) ____ 11**
2.1. बाल श्रम ____ 11
2.2. बाल दत्तक-ग्रहण ____ 12
2.3. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 ____ 13
2.4. भारत में बच्चों की तस्करी ____ 14
2.5. सहमति की आयु ____ 15
**3. अन्य सुभेद्य समूह (Other Vulnerable Sections) ____ 16**
3.1. LGBTQIA+ के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ____ 16
3.1.1. ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार ____ 16
3.2. जनजातीय कल्याण ____ 17
3.2.1. गैर-अधिसूचित जनजातियां ____ 20
3.3. दिव्यांगजन ____ 21
3.4. मैनुअल स्कैवेंजिंग ____ 22
**4. शिक्षा (Education) ____ 24**
4.1. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) अधिनियम, 2023 ____ 24
4.2. स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ____ 25
4.2.1 स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स ____ 27
4.3. भारत में उच्चतर शिक्षा ____ 28
4.3.1. डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ____ 29
4.3.2. भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) का विनियमन ____ 30
4.4. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ____ 31
4.5. उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता ____ 33
4.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां ____ 34
**5. स्वस्थ्य (Health) ____ 38**
5.1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 रिपोर्ट ____ 38
5.2. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज ____ 39
5.3. आंगनवाड़ी ____ 39
5.4. जल, स्वच्छता और साफ-सफाई ____ 42
**6. पोषण और स्वच्छता (Nutrition and Sanitation) ____ 44**
6.1. वैश्विक भुखमरी सूचकांक ____ 44
6.2. खुले में शौच से मुक्त का दर्जा ____ 45
**7. सुर्ख़ियों में रहे संगठन (Organizations in News) ____ 47**
7.1. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ____ 47
7.2. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग ____ 48
7.3. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग ____ 48
7.4. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति ____ 49
7.5. विश्व खाद्य कार्यक्रम ____ 49
7.6. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ____ 50
7.7. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ____ 50
7.8. राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन ____ 51
7.9. देशज मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच ____ 52
**8. विविध (Miscellaneous) ____ 54**
8.1. भारत में खेल शासन ____ 54
8.2. जातिगत जनगणना ____ 55
8.3. सतत विकास लक्ष्य (SDGs) के लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क ____ 55
8.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां ____ 56



**Copyright © by Vision IAS**

*All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.*

# अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है, ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

**इन्फोग्राफिक्स:** महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के साथ प्रासंगिक इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो।

**विभिन्न रंगों का प्रयोग:** टॉपिक्स के आसान वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को रेखांकित तथा याद करने के लिए इस डॉक्यूमेंट में कई रंगों का उपयोग किया गया है।

**क्विज़:** अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है। इससे लर्निंग की प्रक्रिया इंगेजिंग और प्रभावी हो जाती है।

Lakshya
PRELIMS MENTORING PROGRAM 2024

UPSC प्रीलिम्स 2024
के लिए एक रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और मेंटरिंग प्रोग्राम

15 मार्च 2024

समयावधि: 2 माह

- निरंतर सहायता और मार्गदर्शन के लिए अत्यधिक अनुभवी एवं योग्य मेंटर्स की टीम
- प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन, CSAT और करेंट अफेयर्स के रिवीजन हेतु एक सुनियोजित योजना
- तैयारी के लिए आवश्यक रिसोर्सेज, जैसे– विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs), क्विक रिवीजन मॉड्यूल (QRMs), और PT–365 का बेहतर तरीके से उपयोग
- रिसर्च पर आधारित व विषयवार स्ट्रैटजी डॉक्यूमेंट्स
- रणनीति पर चर्चा, लाइव प्रैक्टिस और अन्य प्रतिस्पर्धियों से चर्चा के लिए पूर्व निर्धारित ग्रुप–सेशन
- अधिकतम अंक दिलाने वाले विषयों और टॉपिक्स पर विशेष ध्यान
- तैयारी को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने हेतु मेंटर्स के साथ वन–टू–वन सेशन
- अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन एवं सुधार
- तैयारी से संबंधित सलाह और प्रेरणा हेतु टॉपर्स एवं ब्यूरोक्रैट्स के साथ इंटरैक्टिव सेशन

| | | |
|---|---|---|
| QUIZ<br>SMART QUIZ | You can scan this QR code to practice the smart quiz at our open test online platform for testing your understanding and recalling of the concepts. | |

# 1. महिलाएं (Women)

## 1.1. भारत में सरोगेसी (Surrogacy in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने **सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम**[1], **2024** के लिए अधिसूचना जारी की है।

**सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024 के बारे में**

- केंद्र सरकार ने **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन** करने के लिए कई नियम बनाए हैं। ये नियम **सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग** करते हुए बनाए गए हैं। **नए नियम निम्नलिखित हैं:**
    - यदि **जिला चिकित्सा बोर्ड** यह प्रमाणित करता है कि **इच्छुक दंपत्ति** चिकित्सकीय रूप से संतान पैदा करने में असमर्थ है तथा उसे किसी अन्य **डोनर** के **युग्मक (शुक्राणु या अंडाणु)** की आवश्यकता होगी, तो ऐसे में डोनर से प्राप्त युग्मक (Gamete) का उपयोग करके सरोगेसी की जा सकती है। हालांकि, सरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे में इच्छुक दंपत्ति में से किसी न किसी एक का युग्मक जरुर होना चाहिए।
        - इससे पहले, सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के **नियम 7** के तहत **दाता युग्मकों के उपयोग पर प्रतिबंध** लगा हुआ था।
    - सरोगेसी से संतान चाहने वाली **सिंगल महिला (विधवा या तलाकशुदा) को स्वयं के अंडाणुओं (Self-eggs) और दाता शुक्राणुओं (Donor sperms)** का उपयोग करना होगा।
- **अरुण मुतुवेल बनाम भारत संघ वाद (2023)** में सुप्रीम कोर्ट ने **मेयर-रोकितांस्की-कुस्टर-हॉसर (MRKH)**[2] **सिंड्रोम** से पीड़ित महिला को **सरोगेसी हेतु दाता अंडाणु के उपयोग की अनुमति** दी थी।
    - MRKH एक **जन्मजात दुर्लभ रोग** है। यह **प्रजनन तंत्र को प्रभावित** करता है और **बंध्यता (Infertility)** का कारण बनता है।

**सरोगेसी के बारे में**

- सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है **जिसके तहत कोई और महिला इच्छुक दंपत्ति के लिए गर्भधारण करती है तथा उनके बच्चे को जन्म देती है।**
    - **इच्छुक दंपत्ति** से आशय माता-पिता बनने के इच्छुक ऐसे दंपत्ति से है **जिनके चिकित्सीय लक्षण जेस्टेशनल सरोगेसी को आवश्यक बनाते हैं।**
    - **जेस्टेशनल सरोगेसी** एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत **एक सरोगेट माँ अपने गर्भ में भ्रूण का प्रत्यारोपण कराकर इच्छुक दंपत्ति के लिए बच्चे को पालती है।** यह **बच्चा आनुवंशिक रूप से सरोगेट माँ से संबंधित नहीं** होता है।
    - **ट्रेडिशनल सरोगेसी** में, इच्छुक पिता के शुक्राणु का उपयोग करके सरोगेट माँ का कृत्रिम गर्भाधान (Artificial insemination) किया जाता है। सरोगेट माँ का गर्भाधान या तो प्राकृतिक गर्भाधान या कृत्रिम गर्भाधान के ज़रिए हो सकता है। इस प्रक्रिया में सरोगेट माँ जिस बच्चे को जन्म देती है, उसकी वह **जैविक माँ** भी बन जाती है।
- **सरोगेसी के प्रकार:**
    - **परोपकारी (Altruistic) सरोगेसी:** इसमें गर्भावस्था के दौरान **चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट माँ को कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं** दिया जाता है।
    - **वाणिज्यिक (Commercial) सरोगेसी:** इसमें सरोगेसी या बुनियादी चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज से इतर मौद्रिक लाभ या प्रतिफल (नकद या वस्तु के रूप में) के लिए की जाने वाली संबंधित प्रक्रियाएं शामिल हैं।
- सरकार ने **2015 में विदेशी नागरिकों के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध** लगा दिया था।

**भारत में सरोगेसी संबंधी कानून**

- **सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (सरोगेसी अधिनियम, 2021)**
    - इसमें **केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति** प्रदान की गई है एवं व्यावसायिक या वाणिज्यिक सरोगेसी को अपराध की श्रेणी में डाला गया है।
    - अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने तथा **राज्य ARTSB (SARTSB)**[3] आदि के काम-काज की निगरानी करने के लिए **नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड (NARTSB)** की स्थापना की गई है।

---

[1] Surrogacy (Regulation) Amendment Rules

[2] Mayer Rokitansky-Kuster-Hauser

[3] State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board/ स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड




© Vision IAS

- सरोगेट बच्चे के मामले में **गर्भपात के लिए सरोगेट माँ की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति** की आवश्यकता होती है।
  - यह अनुमति **मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट, 1971** के अनुरूप होनी चाहिए।

- **सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम[4], 2021 (ART अधिनियम):**
  - इसका उद्देश्य **ART क्लीनिक्स** और **ART बैंकों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण** करते हुए दुरुपयोग को रोकना है। साथ ही, प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधान के लिए ART सेवाओं का सुरक्षित और नैतिक प्रयोग सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।
  - इसमें **सरोगेसी संबंधी उपचार को भी शामिल** किया गया है। इसलिए, यह कानून **सरोगेट माँ के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित** करता है।
- **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के अन्य मुख्य प्रावधान:**
  - सरोगेट माँ पर किसी भी सरोगेसी प्रक्रिया के **प्रयासों की संख्या 3 बार से अधिक नहीं** होनी चाहिए।
  - मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 के अनुसार, **सरोगेट माँ को सरोगेसी के दौरान गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है।**
  - **इच्छुक महिला या दंपत्ति** को किसी बीमा कंपनी या IRDAI[5] द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट से **36 महीने** की अवधि के लिए **सरोगेट माँ के लिए एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा खरीदना होगा।**

**सरोगेट मां के लिए पात्रता मानदंड**

- सरोगेट बनने वाली महिला **विवाहित** होनी चाहिए एवं उसका **अपना एक बच्चा** भी हो। इसके अलावा उसकी **आयु 25 से 35 वर्ष** के बीच होनी चाहिए।
- कोई महिला **अपने जीवनकाल में केवल एक ही बार सरोगेट मां** बन सकती है।
- सरोगेसी के लिए **चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक फिटनेस का प्रमाण-पत्र** होना चाहिए।

**दंपत्ति के लिए पात्रता मानदंड**

- दंपत्ति की **शादी के पांच वर्ष** पूरे होने चाहिए, **पत्नी की आयु 25-50 वर्ष** और **पति की आयु 26-55 वर्ष** के बीच होनी चाहिए।
- दंपत्ति के पास **कोई जीवित बच्चा** (बायोलॉजिकल, गोद लिया हुआ या सरोगेट) नहीं होना चाहिए। हालांकि, जब बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या लाइफ-थ्रेटनिंग बीमारी या किसी घातक बीमारी से पीड़ित हो तब दंपति पात्र होंगे।
- **अनिवार्यता का प्रमाण-पत्र (Certificate of essentiality) निम्नलिखित स्थितियां होने पर ही जारी किया जाएगा:** (i) अगर इच्छुक दंपत्ति में एक या दोनों सदस्यों की प्रामाणित इनफर्टिलिटी का सर्टिफिकेट जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो, (ii) मेजिस्ट्रेट की अदालत ने सेरोगेट बच्चे के पेरेंटेज और कस्टडी से संबंधित आदेश जारी किया हो, और (iii) सरोगेट मां हेतु 36 महीने के लिए बीमा कवरेज होना चाहिए, जो किसी भी प्रसव उपरांत जटिलताओं को कवर करता हो।

## 1.2. भारत में गर्भ समापन से संबंधित कानून (Abortion Law in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित महिला के 26 सप्ताह से अधिक के गर्भ का समापन कराने (यानी अबॉर्शन) की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि **इससे माँ को तत्काल कोई खतरा नहीं** है और यह **भ्रूण की विकृति[6] का मामला भी नहीं है।**

**भारत में अबॉर्शन से संबंधित कानून के बारे में**

- भारत में, **भारतीय दंड संहिता** की **धारा 312 और 313** के तहत **अबॉर्शन को गैर-कानूनी** बनाया गया है। हालांकि, **MTP[7] अधिनियम, 1971** के तहत निर्धारित तरीके से **अबॉर्शन कराने की अनुमति** दी गई है।

[4] Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act

[5] Insurance Regulatory and Development Authority of India/ बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

[6] Foetal abnormality

[7] मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी

- इस अधिनियम में **2021 में संशोधन** किया गया था, ताकि **MTP को महिलाओं के लिए और उपयोगी बनाया जा सके।**
- **"भारतीय न्याय संहिता, 2023"** की **धारा 88-92** में गर्भपात से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

- **MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021** निम्नलिखित मामलों में गर्भ के समापन (अबॉर्शन) की अनुमति देता है:
  - **20 सप्ताह तक की गर्भावधि:** एक चिकित्सक की सलाह पर सभी महिलाओं को अनुमति है।
  - **20 से 24 सप्ताह तक की गर्भावधि:** कम-से-कम **दो चिकित्सकों की सलाह पर निम्नलिखित परिस्थितियों** में ही गर्भ की समाप्ति की अनुमति है-
    - यह बच्चे को गंभीर बीमारी होने का खतरा या महिला के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा, **बलात्कार पीड़िताओं, परिवार के सदस्यों द्वारा व्यभिचार की पीड़ित महिलाओं और अन्य सुभेद्य महिलाओं** जैसे- दिव्यांग, नाबालिग आदि के लिए उपलब्ध है।
  - **24 सप्ताह से अधिक की गर्भावधि:** इस दौरान भ्रूण की विकृति के आधार पर और केवल **मेडिकल बोर्ड** की सलाह पर ही अबॉर्शन का अधिकार उपलब्ध है।
- 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि MTP अधिनियम के तहत **बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार भी शामिल** होना चाहिए।
  - इसके अलावा, **सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार** दे दिया है। अब यह अधिकार विवाहित के साथ-साथ अविवाहित महिलाओं को भी प्राप्त है।

**अबॉर्शन यानी गर्भ समापन से संबंधित कानूनों की वैश्विक स्थिति**

- **सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स (CPR)** के अनुसार, **पिछले 30 वर्षों में 60 से अधिक देशों ने अबॉर्शन से संबंधित कानूनों को सरल बनाया है।**
- केवल **4 देशों** अर्थात् यू.एस.ए., निकारागुआ, अल साल्वाडोर और पोलैंड ने **अबॉर्शन को मिली कानूनी अनुमति को खत्म** किया है।

## 1.3. महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा (Domestic Violence Against Women)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, दुनियाभर में लगभग **हर तीसरी महिला** अपने जीवनकाल में किसी-न-किसी रूप से **शारीरिक या यौन हिंसा का सामना** करती है।

**भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की स्थिति**

- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण[8] (NFHS-5) 2019-2021** के अनुसार,
  - **कर्नाटक में यह प्रतिशत (घरेलू हिंसा) सबसे अधिक था,** इसके बाद बिहार, मणिपुर और तेलंगाना का स्थान है।
  - **18-49 आयु वर्ग की 29.3% विवाहित महिलाओं** ने वैवाहिक हिंसा (शारीरिक और/ या लैंगिक हिंसा) का सामना किया है।

**भारत में घरेलू हिंसा के लिए कानून**

- **संविधान का अनुच्छेद 15(3)** विधायिका को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए **2005** में, **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA)[9]** पारित किया गया था।
- **PWDVA, 2005 के मुख्य प्रावधान:**
  - **घरेलू हिंसा** में शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक या/और लैंगिक शोषण शामिल है।
  - **कवरेज:** सभी महिलाएं, इनमें एक साझा घर में रहने वाली माता, बहन, पत्नी, विधवा या पार्टनर शामिल हो सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत **एक बच्चा भी राहत का हकदार** है।
  - **किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है:**
    - कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य जो महिला के साथ घरेलू संबंध में रहा है।
  - 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने **हिरल पी. हरसोरा और अन्य बनाम कुसुम नारोत्तमदास हरसोरा और अन्य वाद** में एक अहम फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने PWDVA कानून में उल्लिखित "व्यक्ति (Person)" शब्द से पहले आने वाले "वयस्क पुरुष (Adult male)" शब्द को हटा दिया।
    - पति या साथी पुरुष के रिश्तेदार।

[8] National Family Health Survey

[9] Protection of Women from Domestic Violence Act




© Vision IAS

- इसमें पुरुष साथी के पुरुष और महिला रिश्तेदार, दोनों शामिल हैं।

- **पीड़िता या प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति** पीड़िता की ओर से मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दे सकता है। यह आवेदन इस अधिनियम के तहत एक या एक से अधिक राहत की मांग करने के लिए दिया जाता है।
- पीड़िता को आश्रय या चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए **आश्रय गृह या चिकित्सा सुविधा** का भी प्रावधान किया गया है।
- **यह अधिनियम मौजूदा कानूनों के अतिरिक्त है।**
  - इसके अलावा, **घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अन्य कानूनी कार्यवाहियों में भी राहत मांगी जा सकती है,** जैसे- तलाक, भरण-पोषण, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, आदि के लिए याचिका।
- **भारतीय दंड संहिता की धारा 498A:** जो कोई भी, चाहे वह महिला का पति हो या पति का रिश्तेदार, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है, **उसे किसी निर्धारित अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कारावास की अवधि को तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।**
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85** में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

**महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए की गई अन्य पहलें**

- PWDVA, 2005 में वैवाहिक बलात्कार को केवल दीवानी (Civil) मामलों के तहत रखा गया है। इसका मतलब यह है कि वैवाहिक बलात्कार के आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही (Criminal proceedings) नहीं की जा सकती।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023** में धोखे से या झूठे वादे करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने को अपराध घोषित किया गया है।
- **UN वीमेन** और **WHO** ने संयुक्त राष्ट्र की दस अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसीज के साथ मिलकर महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने एवं उसका जवाब देने के लिए **रेस्पेक्ट वीमेन फ्रेमवर्क**[10] तैयार किया है।
- सार्वजनिक और निजी, दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए देश में **वन स्टॉप सेंटर्स** स्थापित किए गए हैं।

## 1.3.1. भारत में दहेज प्रथा (Dowry System in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

एक नए अध्ययन से पता चला है कि भारत में पुरुषों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में जितनी वृद्धि हुई है, उतना ही दहेज का चलन भी बढ़ा है।

**दहेज प्रथा के बारे में**

- डाउरी (Dowry), जिसे **दहेज (उत्तर भारत) या स्त्रीधनम (दक्षिण भारत)** के रूप में भी जाना जाता है, को 1961 के **दहेज प्रतिषेध अधिनियम**[11] द्वारा परिभाषित किया गया है।
  - इस कानून में विवाह के संबंध में एक पक्ष/ माता-पिता द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को दहेज कहा गया है।
- **दहेज़ के लिए हत्या को भारतीय दंड संहिता में वर्ष 1986 में एक नए अपराध के रूप में जोड़ा गया था।**
  - दहेज मृत्यु (कानून में हत्या शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है) को **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304B** में परिभाषित किया गया है। दहेज़ मृत्यु (Dowry Death) के मामले में इस धारा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B (दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा) के साथ पढ़ा जाता है।
  - **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80** में दहेज मृत्यु से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- दहेज के लिए हत्या के अतिरिक्त, **क्रूरता** (किसी महिला का उत्पीड़न या यातना) और **घरेलू हिंसा** भी दहेज संबंधी अपराध के अन्य रूप हैं।

### दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

- जांच के उद्देश्य से दहेज को एक **संज्ञेय अपराध (Cognizable offence)** माना जाता है।
- इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध **गैर-जमानती और नॉन-कंपाउंडेबल (जिससे समझौता न किया जा सके)** होता है।
- **स्वयं को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर** होती है।
- **दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार** को करनी होती है।
- निम्नलिखित मामलों में **कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित** किया जा सकता है:
  - दहेज देना या लेना, या दहेज़ लेने या देने के लिए उकसाना;
  - दहेज़ की मांग करना; तथा
  - दहेज़ से संबंधित विज्ञापन।

[10] RESPECT Women Framework

[11] Dowry Prohibition Act

## 1.4. STEM क्षेत्र में महिलाएं (Women in STEM)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **विमानन (Aviation) क्षेत्रक** में लड़कियों के प्रवेश का समर्थन करने के लिए **'बोइंग सुकन्या कार्यक्रम'** शुरू किया।

**बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के बारे में**

- इसके तहत पूरे भारत से लड़कियों को देश के विमानन क्षेत्रक में आने के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- यह कार्यक्रम लड़कियों और महिलाओं को **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित (STEM)**[12] जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने में मदद करेगा। इसके तहत उन्हें विमानन क्षेत्रक में **नौकरियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण** भी प्रदान किया जा सकेगा।
- इस कार्यक्रम के तहत, युवतियों के लिए **150 निर्धारित स्थानों पर STEM लैब स्थापित** की जाएंगी। इससे उनमें **STEM** क्षेत्र में करियर बनाने के लिए रुचि पैदा करने में मदद मिलेगी। इसके तहत **पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को छात्रवृत्ति** भी प्रदान की जाएगी।
  - **भारत में 15 प्रतिशत पायलट महिलाएं हैं।** यह वैश्विक औसत से **3 गुना अधिक है।**

**डेटा बैंक**

**STEM कोर्सेज में महिलाओं का नामांकन:** 2021-22 में **बढ़कर 42.6%** हो गया

**कार्यबल में महिला भागीदारी:** कुल STEM कर्मियों में महिलाओं की भागीदारी 29.2% है

**STEM क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु की गई अन्य पहलें**

- **I-STEM**[13] प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय द्वारा आरंभ की गई एक पहल है। यह अनुसंधान अवसंरचना और प्रयोगशालाएं प्रदान करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है जिसका लाभ पूरे भारत में उपयोगकर्ता उठा सकते हैं।
- **इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं (WEST)**[14]**:** WEST एक नई I-STEM पहल है। इसका उद्देश्य **महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करने के लिए सशक्त बनाना है।**
- **विज्ञान ज्योति:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने इस पहल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य हाई स्कूल में पढने वाली मेधावी छात्राओं को STEM क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने हेतु समान अवसर प्रदान करना है।
- **पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी (KIRAN)**[15]**:** इस पहल की शुरुआत DST द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है।
- **जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (GATI):** यह सभी स्तरों पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणित (STEMM)[16] विषयों में महिलाओं की सुविधा के लिए संस्थागत सुधार लाने का प्रयास करता है।
- **कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस (CURIE):** इसके तहत महिला विश्वविद्यालयों को उनकी R&D सुविधाओं में सुधार करने में सहायता प्रदान की जाती है।
- **बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड री-ओरिएंटेशन प्रोग्राम (BioCARe):** इसे रोजगार/ बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों के करियर विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत 45 वर्ष तक की महिला वैज्ञानिकों को पहला बाह्य अनुसंधान अनुदान प्रदान किया जाता है।

## 1.5. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment at Workplace)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निदान) अधिनियम[17], 2013 यानी **POSH एक्ट** के लागू हुए **10 वर्ष** हो गए हैं।



---

[12] Science, Technology, Engineering and Mathematics

[13] Indian Science Technology and Engineering facilities Map/ भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं के मानचित्र

[14] Women in Engineering, Science, and Technology

[15] Knowledge Involvement Research Advancement through Nurturing

[16] Science, Technology, Engineering, Medicine and Mathematics

[17] Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act


© Vision IAS

### कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में

- कार्यस्थल के माहौल को महिलाओं हेतु सुरक्षित बनाने के लिए **POSH एक्ट** बनाया गया था। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना, प्रतिबंधित करना और इससे जुड़ी शिकायतों को दूर करना है।
  - इस अधिनियम ने 1997 में **सुप्रीम कोर्ट के निर्णय** के तहत निर्धारित **विशाखा दिशा-निर्देशों का विस्तार** किया और इसे कानूनी आधार प्रदान किया है।
  - **विशाखा दिशा-निर्देशों** में **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित** किया गया है। इसके तहत **संस्थाओं पर तीन प्रमुख दायित्व निर्धारित किए गए** हैं। इसमें यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध, रोकथाम और निवारण शामिल हैं। साथ ही, संस्थानों को **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)**[19] स्थापित करने का आदेश दिया गया है।

**वैश्विक मानदंड**

- **ILO कन्वेंशन 190** हिंसा और उत्पीड़न से रहित विश्व में काम करने के हर किसी के अधिकार को मान्यता देने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसमें जेंडर आधारित हिंसा और उत्पीड़न भी शामिल हैं।
  - **भारत ने इसका अनुसमर्थन (Ratification) नहीं किया है।**
- **महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CEDAW)**[18]:
  - इसे 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। **भारत ने इसका अनुसमर्थन किया है।**

### PoSH अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधान

- **यौन उत्पीड़न की परिभाषा:** प्रत्यक्ष रूप से या मंशा व्यक्त करके निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक नापसंद बर्ताव/ आचरण या व्यवहार को यौन उत्पीड़न में शामिल किया जाता है:
  - शारीरिक संपर्क या यौन प्रस्ताव देना;
  - यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध;
  - अश्लील टिप्पणी करना;
  - अश्लील साहित्य/ चित्र दिखाना;
  - यौन प्रकृति का कोई अन्य नापसंद शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक व्यवहार।
- **कार्यस्थल की परिभाषा:** इसके तहत ऐसा **कोई भी स्थान** शामिल है जहां कर्मचारी रोजगार की वजह से या रोजगार की अवधि में जाता है। कार्यस्थल की परिभाषा में कर्मचारी द्वारा ऐसे स्थानों पर आने के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए **परिवहन के साधन भी शामिल** हैं।
  - कार्यस्थल में **संगठित और असंगठित, दोनों प्रकार के क्षेत्रक** शामिल हैं।
- **पीड़ित महिला:** इसमें **सभी महिलाएं** शामिल हैं, भले ही उनकी उम्र या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो और चाहे वह **संगठित** या **असंगठित क्षेत्रक; सार्वजनिक** या **निजी क्षेत्रक** में कार्यरत हों।
  - पीड़ित महिला की परिभाषा के दायरे में **क्लाइंट, ग्राहक (कस्टमर)** और **घरेलू कामगारों** को भी शामिल किया गया है।
- **शिकायत निवारण तंत्र:**

| | |
|---|---|
| **शिकायत समिति** | • ऐसे प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)** का गठन **अनिवार्य** है जहां **10 या इससे अधिक कर्मचारी** कार्य करते हैं।<br>o ICC में **कम-से-कम चार सदस्य** होने चाहिए और उनमें से कम-से-कम **50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं** होनी चाहिए जिनमें से **एक बाहरी सदस्य** भी होनी चाहिए।<br>o ICC के पास **दीवानी अदालत के समान शक्तियां** होती हैं।<br>• 10 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों या नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए **जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति का गठन** किया जाता है। |
| **शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया** | • **किसी भी पीड़ित महिला** को ICC के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। यदि आंतरिक समिति गठित नहीं है, तो **स्थानीय समिति (Local Committee)** के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। |

[18] UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women

[19] Internal Complaint Committee

| | |
|---|---|
| | • यदि **पीड़िता शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम** है या उसकी मृत्यु हो गई है या किसी अन्य कारण से शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ है, तो उसके **कानूनी उत्तराधिकारी** या अन्य संबंधित व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकते हैं।<br>○ इसे लागू करने के लिए **केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए** यह निर्धारित किया है कि पीड़िता के रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी, राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिकारी आदि शिकायत दर्ज करा सकते हैं।<br>• ऐसी कोई भी शिकायत **"घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर"** दर्ज की जानी चाहिए। हालांकि, **ICC समय-सीमा बढ़ा सकती है।** |
| **सुलह** | • **ICC,** जांच शुरू करने से पहले, और पीड़ित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और जवाबदेह पक्ष के बीच मामले को सुलझाने के लिए कदम उठा सकती है।<br>○ हालांकि, सुलह में **"किसी प्रकार के मौद्रिक लेन-देन संबंधी समझौते"** की अनुमति नहीं दी गई है। |
| **जांच** | • ICC या तो पीड़िता की शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए **पुलिस के पास** भेज सकती है, या वह **अपने स्तर पर जांच** शुरू कर सकती है जिसे **90 दिनों के भीतर पूरा** किया जाना होता है।<br>○ जब जांच पूरी हो जाती है, तो **ICC को 10 दिनों के भीतर अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट** नियोक्ता को सौंपनी होती है। |
| **दोषी के खिलाफ कार्रवाई** | • यदि यौन उत्पीड़न के आरोप साबित होते हैं, तो ICC नियोक्ता को कंपनी के **"सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार" कार्रवाई** करने की सिफारिश करती है। |
| **अपील** | • यदि पीड़ित महिला या जवाबदेह पक्ष (आरोपी) जांच से संतुष्ट नहीं है, तो वह **90 दिनों के भीतर अदालत में अपील** कर सकते हैं। |
| **झूठी शिकायत** | • ICC नियोक्ता से **"सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार"** उस महिला, या शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की 'सिफारिश' कर सकती है, जिसने झूठी शिकायत दर्ज कराई है। |
| **निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करना** | • **महिला, जवाबदेह पक्ष और गवाह** की पहचान; पूछताछ से जुड़ी कोई जानकारी; जांच की सिफारिश और इस पर की गई कार्रवाई को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। |

## 1.6. भारत में मासिक धर्म स्वच्छता (Menstrual Hygiene in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने **मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति[20], 2023** का मसौदा जारी किया है।

**मासिक धर्म स्वच्छता नीति संबंधी मसौदा के बारे में**

- ड्राफ्ट नीति में यह स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि **मासिक धर्म** प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं सहित अन्य सभी के लिए एक **प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया** है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लड़कियां और महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कलंक मुक्त जीवन जी सकें।
  - इस नीति में **वंचित और कमजोर आबादी को प्राथमिकता देने** तथा मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
  - **स्पेन महिला कर्मचारियों को सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला यूरोपीय देश है।**

[20] Draft National Menstrual Hygiene Policy




© Vision IAS

| मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए वर्तमान में संचालित कार्यक्रम | मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलें |
|---|---|
| **मासिक धर्म स्वच्छता योजना (2011):** इसका मुख्य उद्देश्य आशा कार्यकर्ता के माध्यम से समुदायों में कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन का वितरण करना है। | **हर साल 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस** मनाया जाता है। |
| **स्वच्छ भारत मिशन (2014):** इस पहल के तहत मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को शामिल किया है। | मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में जागरुकता बढ़ाने के लिए **संयुक्त राष्ट्र** द्वारा **रेड डॉट अभियान** चलाया जा रहा है। |
| **मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (2015):** इन निर्देशों के तहत सभी राज्यों को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के मुद्दे पर तेजी से कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान की गई है। | **महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुंच विधेयक, 2022:** इसमें मासिक धर्म के दौरान तीन दिन के सवैतनिक अवकाश के अधिकार का प्रावधान किया गया है। |
| **विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित योजनाएं**<br>**महाराष्ट्र में "अस्मिता योजना"; राजस्थान में "उड़ान"; और ओडिशा में "खुशी"** योजनाओं में किशोरियों को सब्सिडी वाले या नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरित करने का प्रावधान है। | |


VISIONIAS INSPIRING INNOVATION

A.I.T.S

GS PRELIMS TEST SERIES 2024

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट

5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट

10 फुल लेंथ टेस्ट

ENGLISH MEDIUM 2024: 10 MARCH

हिन्दी माध्यम 2024: 10 मार्च

ENGLISH MEDIUM 2025: 17 MARCH

हिन्दी माध्यम 2025: 17 मार्च

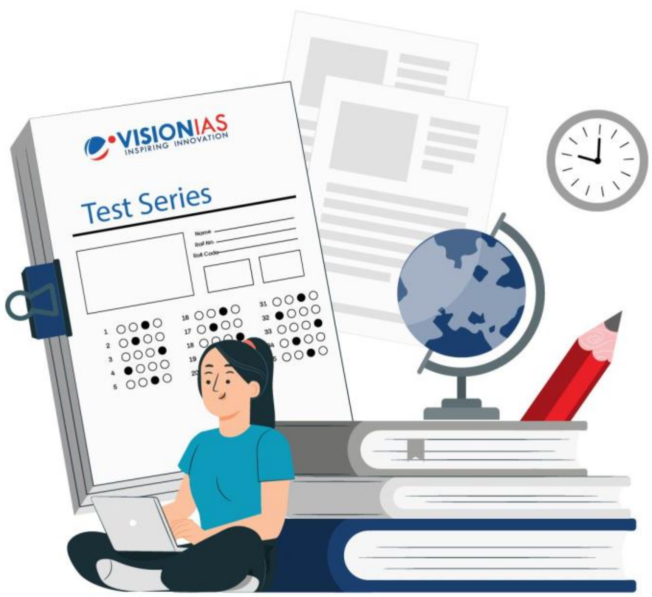

# सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

## प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

**संदर्भ की पहचानः** प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

**सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः** उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

**संतुलित निष्कर्षः** मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

**कंटेंट की प्रस्तुतीः** विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

**संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः** उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

**भाषाः** संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

**Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:**

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची | सीकर

# 2. बच्चे (Children)

## 2.1. बाल श्रम (Child Labour)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने "बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति - एक आकलन" शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कहा गया है कि 2025 तक बाल श्रम को खत्म करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे।

**बाल श्रम क्या है?**

- ILO के अनुसार, "बाल श्रम" को अधिकांशतः ऐसे कार्य (या श्रम) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो **बच्चों को उनके बचपन या बाल्यावस्था, क्षमता और गरिमा से वंचित करता है** तथा **उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है।** यह ऐसे कार्य को संदर्भित करता है जो:
    - उन्हें स्कूल जाने के अवसर से वंचित करके उनकी स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है, उन्हें समय से पूर्व स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करता है या उन्हें अतिरिक्त बाह्य कार्य के बोझ तले स्कूल जाने हेतु विवश करता है।
- **2011 की जनगणना के अनुसार-**
    - **5-14 वर्ष के आयु वर्ग में 1.01 करोड़ कामकाजी बच्चें (वर्किंग चिल्ड्रेन)** हैं।
    - भारत में कुल कामकाजी बच्चों में से लगभग 55 प्रतिशत **उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश** जैसे राज्यों में किसी न किसी रोजगार में लगे हैं।

**बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम**

- **भारत** ने बाल श्रम के सर्वाधिक विकृत स्वरूपों पर **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के **कन्वेंशन 182** और रोजगार की न्यूनतम आयु पर **कन्वेंशन 138** का **अनुसमर्थन (Ratification)** किया है।
- **बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016**[21]: इस अधिनियम के तहत सभी व्यवसायों में बालकों (14 वर्ष से कम) तथा खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में किशोरों (14 से 18 वर्ष) को रोजगार पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)**[22] **स्कीम:** इसके तहत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विशेष विद्यालय/ पुनर्वास केंद्र की व्यवस्था की गई है।
    - यह **श्रम और रोजगार मंत्रालय** के तहत केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।

### बाल श्रम के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 21 (A):** 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा** का उपबंध किया गया है।
- **अनुच्छेद 45:** इसमें छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए **प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा** का उपबंध किया गया है।
- **अनुच्छेद 23:** इसमें **मानव तस्करी और बलात श्रम को प्रतिबंधित** किया गया है तथा इस उपबंध के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
- **अनुच्छेद 24: चौदह वर्ष से कम आयु** के किसी बालक को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए रोजगार पर नहीं रखा जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय/ जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
- **अनुच्छेद 39:** यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो।

- **पेंसिल (PENCiL) पोर्टल**[23]: यह पोर्टल बाल श्रम के शिकार बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए मजबूत साधन बन गया है।
    - इसका प्रबंधन **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** द्वारा किया जाता है।
- **बचपन बचाओ आंदोलन:** यह एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है। इस NGO ने भारत में 85,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा और पुनर्वास के जरिए शोषण से मुक्त कराने में मदद की।

---

[21] Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016

[22] National Child Labour Project

[23] Platform for Effective Enforcement for No Child Labour/ बाल मजदूरी निषेध के कारगर कार्यान्वयन हेतु मंच




© Vision IAS

## 2.2. बाल दत्तक-ग्रहण (Child Adoption)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

सुप्रीम कोर्ट ने **टेंपल ऑफ हीलिंग बनाम भारत संघ वाद** में **बच्चों को एडॉप्शन पूल में लाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों** का आह्वान किया है।

**टेंपल ऑफ हीलिंग बनाम भारत संघ वाद के बारे में**

- बाल देखभाल संस्थानों (CCIs)[24] से अधिक बच्चों को शामिल करके **एडॉप्शन पूल को बढ़ाया** जाना चाहिए। **ऐसे बच्चों के संबंध में निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए:**
  - यदि उनके **माता-पिता** एक वर्ष से अधिक समय से उनसे मिलने नहीं आए हैं।
  - माता-पिता या अभिभावक **"अयोग्य"** हैं:
    - अयोग्य माता-पिता या अभिभावक का तात्पर्य ऐसे माता-पिता से है, जो **पालन-पोषण करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं और मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त हैं।**
    - इसमें ऐसे माता-पिता भी शामिल हैं, **जिन्होंने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है तथा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड** है, आदि।
- इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को CCI में अनाथ-परित्यक्त-आत्मसमर्पित (OAS)[25] श्रेणी के **बच्चों की पहचान करने हेतु द्विमासिक अभियान** शुरू करने का निर्देश दिया है।
  - सभी राज्यों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है कि **OAS बच्चों को जिला स्तर** पर **चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम (CARINGS) पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए।**
  - CCIs उन बच्चों को **देखभाल और सुरक्षा सेवाएं** प्रदान करते हैं, जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है।
    - CCIs में **बाल गृह, खुला आश्रय गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA), उचित सुविधा तंत्र** आदि शामिल हैं। इन्हें **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (जे.जे. अधिनियम), 2015** के तहत मान्यता प्राप्त होती है।

**भारत में गोद लेने (दत्तक ग्रहण) की प्रक्रिया**

- **परिभाषा**: दत्तक ग्रहण (Adoption) का आशय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से गोद लिया बच्चा **अपने जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है।** इस प्रक्रिया से गोद लिया गया बच्चा **गोद लेने वाले माता-पिता की वैध संतान** बन जाता है। गोद लिए गए बच्चे को एक **जैविक बच्चे से जुड़े सभी अधिकार,** विशेषाधिकार एवं जिम्मेदारियां प्राप्त होती हैं।
- **दत्तक ग्रहण से संबंधित कानून:**
  - **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA)[26], 1956:** यह कानून ऐसे मामले को शासित करता है जहां हिंदू माता-पिता या अभिभावक, अपनी संतान किसी अन्य हिंदू माता-पिता को गोद लेने के लिए दे सकते हैं। यह कानून ऐसे सभी व्यक्ति पर लागू है, जो-
    - किसी भी रूप में **धर्म से हिंदू (वीरशैव, लिंगायत या ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी सहित); बौद्ध, जैन या सिख** है।

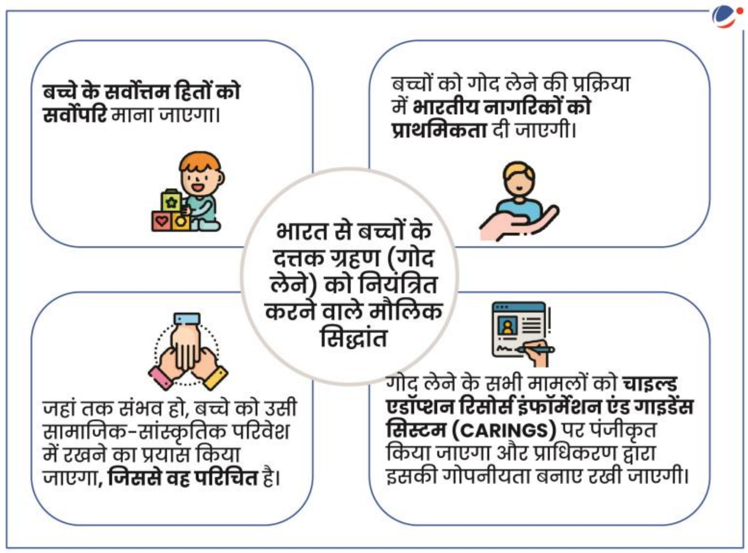


  - **जे.जे. अधिनियम, 2015 तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2022:** ये अनाथ, परित्यक्त या सौंपे गए बच्चों और रिश्तेदारों के बच्चों के देश के बाहर और देश के भीतर दत्तक ग्रहण को शासित करते हैं।

---

[24] Child Care Institutions

[25] Orphaned Abandoned-Surrendered

[26] Hindu Adoption and Maintenance Act

- **संस्थागत संरचना:**
  - **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)[27]:** यह एक सांविधिक संस्था है। यह जे.जे. अधिनियम के तहत देश के बाहर और देश के भीतर दत्तक ग्रहण के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाले नोडल निकाय के रूप में काम करती है।
  - **राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (SARA)[28]:** यह CARA के साथ समन्वय में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और और गैर-संस्थागत देखभाल की निगरानी करने के लिए राज्य का नोडल निकाय है।
  - **जिला बाल कल्याण समिति[29]:** राज्यों के लिए प्रत्येक जिले में इनको गठित करना अनिवार्य है। ये देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों को देखती हैं और उन्हें दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करती हैं।
  - **जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)[30]:** यह इकाई जिले में अनाथ, परित्यक्त और सौंपे गए बच्चों की पहचान करती है और उन्हें बाल देखभाल संस्थानों (CCI) के सुपुर्द करती है।
  - **विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA)[31]:** यह बच्चों के दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से संबंधित मान्यता प्राप्त निकाय है।
  - **अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (AFAA)[32]:** ये मान्यता प्राप्त विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसी हैं। ये अपने-अपने देश के नागरिक द्वारा भारतीय बच्चे के दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी मामलों को देखती है।

## 2.3. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 {Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)[33] ने **जे.जे.अधिनियम, 2015** के तहत "जघन्य (Heinous)" अपराध की श्रेणी वाले बाल संदिग्धों के आंकलन के लिए पहली बार दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

**बालक की परिभाषा**

- **जे.जे.अधिनियम** बालक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसने **18 वर्ष की आयु पूरी नहीं** की है। वर्ष 2015 में इसमें एक प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार **16-18 वर्ष की आयु के बालक पर जघन्य अपराधों** के मामले में एक वयस्क व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।
- **जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB)** यह निर्धारित करने के लिए आकलन करता है कि **ऐसे बालक पर वयस्क या नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाया जाए।**

**जे.जे. अधिनियम, 2015 और जे.जे. (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बीच तुलना**

| विशिष्टताएं | किशोर न्याय अधिनियम, 2015 | किशोर न्याय (संशोधन) अधिनियम, 2021 |
|---|---|---|
| दत्तक ग्रहण (Adoption) | एक बार **दीवानी न्यायालय (सिविल कोर्ट्स)** द्वारा दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश जारी करने के उपरांत बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। | **डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM)** सहित **एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM)** दत्तक ग्रहण का आदेश जारी कर सकते हैं। |
| अपील | **बाल कल्याण समिति द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।** | DM द्वारा पारित **दत्तक ग्रहण के आदेश से असहमत** कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर **डिविजनल कमिश्नर के समक्ष अपील दायर कर सकता है।** |

[27] Central Adoption Resource Authority

[28] State Adoption resource Agency

[29] District Child Welfare Committee

[30] District Child Protection Unit

[31] Specialized Adoption Agency

[32] Authorized Foreign Adoption Agency

[33] National Commission for Protection of Child Rights




© Vision IAS

| | | |
|---|---|---|
| अपराधों का वर्गीकरण (Categories of Offences) | • किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:<br>○ **जघन्य अपराध (Heinous offences):** जिस अपराध हेतु भारतीय दंड संहिता (IPC)[34] या किसी अन्य कानून के तहत सात वर्ष या इससे अधिक के कारावास का दंड दिया जा सकता हो।<br>○ **गंभीर अपराध (Serious offences):** ऐसे अपराध जिनके लिए तीन से सात वर्ष के कारावास का प्रावधान है।<br>○ **छोटे अपराध (Petty offences):** ऐसे अपराध जिनके लिए अधिकतम तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान है। | • इस प्रावधान में **शिल्पा मित्तल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वाद** में सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए 'गंभीर अपराधों' की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया गया है।<br>• जिन अपराधों के लिए अधिकतम सजा **7 वर्ष से अधिक** है, लेकिन **कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं** की गई है या **7 वर्ष से कम की न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं** है, उन्हें इस अधिनियम के तहत **गंभीर (या घोर) अपराध** माना जाएगा। |
| नामित न्यायालय (Designated Court) | • कोई अपराध, **जिसमें सात वर्ष से अधिक के कारावास के दंड का प्रावधान है,** संज्ञेय और गैर-जमानती होगा। इसके लिए **बाल न्यायालय** में ट्रायल चलाया जाएगा।<br>• अन्य अपराधों (जिनमें सात वर्ष से कम कारावास के दंड का प्रावधान है) के संबंध में **न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल** चलाया जाएगा। | इसमें प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत **सभी अपराधों के लिए बाल न्यायालय में ट्रायल चलाया जाएगा।** |

## 2.4. भारत में बच्चों की तस्करी (Child Trafficking in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

ड्रग्स एंड क्राइम संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)[35] ने बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए व्यापक उपायों को लागू करने हेतु **'दस सूत्रीय कॉल टू एक्शन'** को मंजूरी दे दी है।

**बच्चों की तस्करी के बारे में**

- बच्चों की तस्करी विभिन्न रूपों, **जैसे- घरेलू काम, विभिन्न उद्योगों में जबरन बाल श्रम** में देखने को मिलती है। इसके अलावा, गैर-कानूनी गतिविधियों, जैसे- भिक्षा मांगने, अंगों के व्यापार और वाणिज्यिक यौन कार्यों में भी यह देखने को मिलती है।
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)[36] के अनुसार, भारत में **2021 में हर दिन 8 बच्चों की तस्करी श्रम, भिक्षावृत्ति और यौन शोषण** के लिए की गई।
- **बच्चों की तस्करी से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करने वाले कानून**
  - **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम[37], 1956:** इसका मुख्य उद्देश्य अनैतिक व्यापार और देह व्यापार को रोकना है।
  - **बंधुआ श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम[38], 1976:** इसका मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों के लोगों के आर्थिक और शारीरिक शोषण को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना है।
  - **मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम[39], 1994:** इस कानून के जरिए मानव अंगों के व्यापार को दंडनीय अपराध बनाया गया है।
  - **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO)[40], 2012):** इस कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य संबंधी अपराधों से बचाना है।



[34] Indian Penal Code
[35] United Nations Office on Drugs and Crime
[36] National Crime Records Bureau
[37] Immoral Traffic (Prevention) Act
[38] Bonded Labour System (Abolition) Act
[39] Transplantation of Human Organs and Tissues Act
[40] Protection of Children from Sexual Offences

## 2.5. सहमति की आयु (Age of Consent)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

22वें विधि आयोग ने अपनी 283वीं रिपोर्ट में यौन संबंध के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष नहीं किए जाने की सिफारिश की है।

**सहमति की आयु क्या है?**

- सहमति की आयु, वह आयु है, जिसमें किसी व्यक्ति को **कानूनी रूप से** यौन क्रियाओं हेतु **सहमति देने के लिए सक्षम माना जाता है।**
  - यौन सहमति की न्यूनतम आयु रखने का मुख्य उद्देश्य **किशोरों को यौन शोषण से बचाना** है। साथ ही, इससे किशोरों को प्रारंभिक **यौन गतिविधियों के दुष्प्रभावों** से भी बचाया जाता है। इससे उनका उचित विकास एवं उनके अधिकारों का भी संरक्षण होता है।
- **पॉक्सो अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम), 2012** के तहत 18 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को 'बालक' की श्रेणी में रखा गया है। अतः स्वाभाविक रूप से यह "सहमति की आयु" बन गई है।
  - **पॉक्सो अधिनियम, 2012** को यौन हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न तथा अश्लील सामग्रियों (पोर्नोग्राफी) के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया था।
    - इस अधिनियम में ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए **विशेष न्यायालयों (Special Courts)** की स्थापना का भी उपबंध है।
- **यौन संबंधों के लिए सहमति की आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष** करने के लिए **आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013** द्वारा **भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में संशोधन किया गया था।** यह संशोधन पॉक्सो अधिनियम के तहत उपबंधित सहमति की आयु मानदंड के अनुरूप बनाने के लिए किया गया।
  - हालांकि, किसी **पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने** का अपवाद अभी भी कानून में बना हुआ है, बशर्ते कि **पत्नी की आयु 15 वर्ष से अधिक हो।**
  - **इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद** में, **सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 375 इस अपवाद की व्याख्या की थी:** "किसी पुरुष और उसकी पत्नी (15 से 18 वर्ष के बीच की आयु) के बीच यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जाएगा।"
  - **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** के तहत बलात्कार की परिभाषा (धारा 63) के तहत **एक विवाहित महिला के लिए सहमति की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष** कर दी गई है।
  - हालांकि, **BNS की धारा 63** में **वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को बरकरार** रखा गया है।

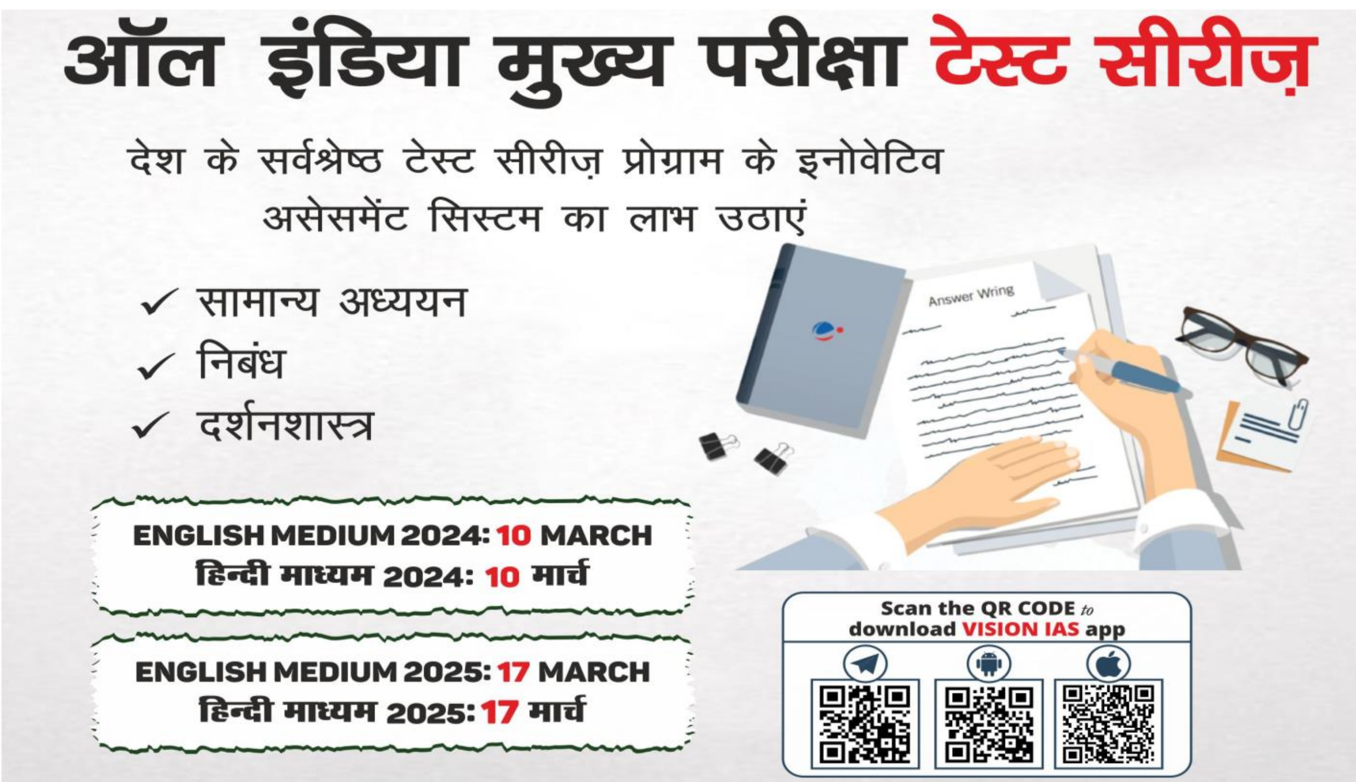

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

# करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

## करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

### अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

#### न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

#### न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

#### मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

### तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

#### वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

#### आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

#### PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

**Vision IAS का त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।**

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

# 3. अन्य सुभेद्य समूह (Other Vulnerable Sections)

## 3.1. LGBTQIA+ के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (Supreme Court Judgment on LGBTQIA+ Rights)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने **सुप्रियो@सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ वाद** में सर्वसम्मति से समलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया।

**LGBTQIA+ के अधिकार: याचिकाकर्ता की दलीलें और न्यायालय का फैसला**

| मुद्दे | न्यायालय का निर्णय |
|---|---|
| **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का विवाह करने का अधिकार** | • न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह माना कि भारत में **विवाह करने का कोई मौलिक व स्पष्ट अधिकार** नहीं है।<br>• **हेट्रोसेक्सुअल संबंधों वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों** को मौजूदा कानूनों के तहत विवाह करने का अधिकार है। इन मौजूदा कानूनों में विवाह को विनियमित करने वाले व्यक्तिगत कानून भी शामिल हैं। |
| **क्वीयर जोड़ों के लिए सिविल यूनियन में प्रवेश का अधिकार** | • न्यायालय क्वीयर जोड़ों के लिए सिविल यूनियन का विकल्प प्रदान नहीं कर सकता।<br>• सरकार ऐसे यूनियन से मिलने वाले किसी अधिकार को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है।<br>○ सिविल यूनियन **एक कानूनी मान्यता** है, जो **मूल रूप से** उन देशों में **समलैंगिक जोड़ों को प्रदान की जाती है जहां उन्हें कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति नहीं** है। |
| **विशेष विवाह अधिनियम (SMA) की व्याख्या** | • **न्यायालय ने SMA[41] को जेंडर-न्यूट्रल तरीके से अमान्य करार देने या व्याख्या करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया** कि इस तरह की कार्रवाइयां विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगी और अन्य कानूनों पर "व्यापक" प्रभाव डाल सकती हैं। |
| **नॉन-हेट्रोसेक्सुअल जोड़ों के लिए गोद लेने का अधिकार** | • न्यायालय ने CARA[42] द्वारा क्वीयर जोड़ों पर गोद लेने से लगाए गए **प्रतिबंध को बरकरार रखा।**<br>• न्यायालय ने कहा कि नियमों को रद्द करने से हानिकारक, "विनाशकारी" और "असामान्य प्रभाव" उत्पन्न हो सकते हैं, जिनका समाधान "केवल विधायिका और कार्यपालिका ही कर सकती हैं। |

**दुनिया भर में LGBTQIA+ के अधिकार**

* वर्तमान में, **130 से अधिक देशों** ने **समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर** कर दिया है।
* **नीदरलैंड 2001 में समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप देने वाला पहला देश** बना था।
* वर्तमान में, दुनिया भर के **30 से अधिक देशों द्वारा समलैंगिक विवाह को वैधता दी जा चुकी** है।

**LGBTQIA+ के अधिकारों से संबंधित न्यायिक निर्णय**

* **नालसा बनाम भारत संघ वाद, 2014: नॉन-बाइनरी (Non-Binary) समुदाय** को अपनी लैंगिक पहचान बताने का संवैधानिक अधिकार है। इस तरह से **नॉन-बाइनरी समुदाय को मान्यता दी गई।**
* **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ वाद, 2018:** समलैंगिकता से संबंधित IPC की **धारा 377** को **अपराध की श्रेणी से बाहर** किया गया।

### 3.1.1. ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार (Transgender Rights)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

नीति आयोग की रिपोर्ट **"सामाजिक क्षेत्रक में सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां[43]"** में **"प्रयत्न" परियोजना** का उल्लेख किया गया है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में **ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आजीविका और उद्यम प्रशिक्षण** संबंधी एक कार्यक्रम है।

---

[41] Special Marriage Act/ विशेष विवाह अधिनियम

[42] Central Adoption Resource Authority/ केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

[43] Best Practices in Social Sector

**"प्रयत्न" परियोजना के बारे में**

- प्रयत्न परियोजना का उद्देश्य **लाभार्थियों को जीवन की बुनियादी गुणवत्ता प्राप्त करने** में सहायता करना है। साथ ही, लाभार्थियों में से कुछ को **उद्यमिता कौशल प्रदान करने में मदद** करना भी इसका एक उद्देश्य है।
- इस परियोजना को **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की कार्यकारी समिति ने मंजूरी** प्रदान की थी।
- **नोडल एजेंसी:** इस परियोजना के लिए **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)** नोडल एजेंसी है। यह मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी **राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र (NSDC)[44] के माध्यम से इस परियोजना का संचालन** करता है।

**ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में**

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम[45], 2019** ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी वर्तमान लैंगिक पहचान उसके जन्म के समय निर्धारित लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाती है।
  - इनमें **ट्रांस-पुरुष या ट्रांस-महिलाएं; इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति तथा किन्नर, हिजड़ा जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति** शामिल हैं।

**ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून, 2019 के बारे में**

| विशिष्टताएं | विवरण |
|---|---|
| ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव पर रोक | रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं में। |
| पहचान प्रमाण-पत्र | इस कानून के तहत **खुद से अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार** दिया गया है। हालांकि, प्रत्येक व्यक्ति को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए पहचान प्रमाण-पत्र के आधार पर 'ट्रांसजेंडर' के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। |
| शिकायत निवारण तंत्र | इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रत्येक संस्थान द्वारा एक व्यक्ति को **शिकायत अधिकारी** के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य है। |
| आवास का अधिकार | किसी भी बच्चे को ट्रांसजेंडर होने के कारण उसके माँ-बाप या निकटतम परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। हालंकि, **प्राधिकृत न्यायालय द्वारा बच्चे के हित में ऐसा करने का आदेश दिया जा सकता है।** |
| शिक्षण संस्थानों के दायित्व | सरकारी-वित्त पोषित या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी भेद-भाव और समान आधार पर **समावेशी शिक्षा, खेल-कूद तथा आनंददायक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए समान अवसर** प्रदान करना होगा। |
| ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद् | ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबद्ध **योजनाओं, कार्यक्रम, विधेयक और परियोजनाओं** के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए। |

**ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शुरू की गई अन्य पहलें**

- **स्माइल/SMILE[46]:** यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक अंब्रेला योजना है। इसमें **दो उप-योजनाएं** शामिल हैं-
  - ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक की योजना, और
  - भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने **ट्रांसजेंडर समुदाय** के लिए एक **राष्ट्रीय पोर्टल** शुरू किया है।
- **गरिमा गृह:** यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक आश्रय गृह है।

## 3.2. जनजातीय कल्याण (Tribal Welfare)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **जनजातीय गौरव दिवस** के अवसर पर **पी.एम.-जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम. जनमन/ PM JANMAN)** शुरू किया है।

[44] National Skill Development Centre

[45] Transgender Persons (Protection of Rights) Act

[46] Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise/ आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता




© Vision IAS

### जनजातीय गौरव दिवस के बारे में

- जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का उल्लेख करने के लिए हर साल **15 नवंबर (2021 से) को जनजातीय गौरव दिवस** मनाया जाता है।
    - इस दिन **श्री बिरसा मुंडा की जयंती** भी मनाई जाती है।

*(**नोट:** बिरसा मुंडा के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया **PT 365 संस्कृति** डॉक्यूमेंट देखें।)*

### पी.एम. जनमन के बारे में

- **प्रधान मंत्री PVTGs विकास मिशन** की घोषणा **केंद्रीय बजट 2023-24** में की गई थी। इसी के अनुसरण में **पी.एम. जनमन** की शुरुआत की गई है।
- इस मिशन के तहत अगले **3 वर्षों** के लिए कुल अनुमानित परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये है। इस मिशन में 9 मंत्रालयों के समन्वय से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- इस मिशन का लक्ष्य **PVTGs परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण** करना है। साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण आदि तक बेहतर पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी।
    - इसके अलावा, सिकल सेल रोग उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, 100 प्रतिशत टीकाकरण, पी.एम. सुरक्षित मातृत्व योजना, पी.एम. मातृ वंदना योजना, पी.एम. पोषण आदि की पूर्ण कवरेज भी सुनिश्चित की जाएगी।

### भारत में जनजातियां

- **अनुच्छेद 342** में अनुसूचित जनजातियों (ST) को जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातीय समुदायों के हिस्सों या उनके भीतर के वर्गों के रूप में परिभाषित किया गया है। इन्हें राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करते हैं।
- जनगणना 2011 के अनुसार, **भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6 प्रतिशत** है।
    - **अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत आबादी** लक्षद्वीप (94.8%) में है, उसके बाद मिजोरम (94.4%) का स्थान है।
    - अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी **मध्य प्रदेश** में है।
- **नोडल मंत्रालय:** जनजातीय कार्य मंत्रालय
- विश्व के देशज लोगों के लिए मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस को **विश्व आदिवासी दिवस** के नाम से भी जाना जाता है। यह दिवस दुनिया भर में **देशज (मूल निवासी) लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के लिए हर साल 9 अगस्त को मनाया** जाता है।
    - 1982 में इसी दिन 'मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण संबंधी उप-आयोग[47]' के **'देशज आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह[48]' की पहली बैठक आयोजित** की गई थी।

**जनजातीय विकास के लिए पंचशील सिद्धांत**

- **लोगों का विकास उनकी अपनी प्रतिभा के अनुरूप होना चाहिए** और बाहरी मूल्यों को थोपने से बचना चाहिए।
- **भूमि और जंगल पर जनजातीय अधिकारों का सम्मान** किया जाना चाहिए।
- **जनजातीय समूहों को प्रशासन एवं विकास के कार्यों हेतु प्रशिक्षित** किया जाना चाहिए।
- इन क्षेत्रों में **गवर्नेंस से संबंधित गतिविधियां सावधानी पूर्वक** की जानी चाहिए। साथ ही, इन क्षेत्रों में अनेक योजनाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए।
- **परिणामों का मूल्यांकन** केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि **उनमें निहित मानवीय गुणों और मूल्यों** के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

### विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTGs)[49] के बारे में

- **PVTGs** अनुसूचित जनजाति श्रेणी में से **केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक विशेष श्रेणी** हैं।
- **यू.एन. ढेबर आयोग (1961)** की सिफारिशों के आधार पर इन्हें पहली बार **1973 में आदिम जनजातीय समूहों (PTGs)[50] के रूप में मान्यता** दी गई थी।

---

[47] Sub-Commission on Promotion and Protection of Human Rights

[48] UN Working Group on Indigenous Populations

[49] Particularly Vulnerable Tribal Groups

[50] Primitive Tribal Groups

- **2006 में,** भारत सरकार ने **PTGs का नाम बदलकर PVTGs कर दिया।**
- **PVTGs की पहचान के लिए निर्धारित मानदंड:**
    - आदिम कृषि (Pre-agricultural) प्रणाली का प्रचलन
    - अन्य जनजातियों की तुलना में साक्षरता का निम्न स्तर
    - आर्थिक पिछड़ापन
    - घटती या स्थिर जनसंख्या
- वर्तमान में, **18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** में **75 PVTGs** हैं।
- **ओडिशा** में PVTGs की संख्या सर्वाधिक (13) है।
- हाल ही में, **मध्य प्रदेश** में **भारिया PVTG** और **छत्तीसगढ़** में **कमार एवं बैगा जनजाति** को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत **आवास अधिकार प्रदान किए गए।**

**(नोट:** भारिया, कमार और बैगा को **मध्य प्रदेश** तथा **छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों में PVTGs के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।)**

**जनजातीय कल्याण के लिए किये गये उपाय**

## जनजातीय कल्याण के लिए किए गए उपाय

| संवैधानिक प्रावधान | कानूनी उपाय | सरकारी योजनाएं |
|---|---|---|
| • **अनुच्छेद 244:** राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में चिन्हित क्षेत्रों का प्रशासन (अनुसूची V) | **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996:**<br>• यह ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी से आदिवासी आबादी को शोषण से बचाता है। | **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)**<br>• **दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** प्रदान करने के लिए। |
| • **अनुच्छेद 275:** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान | **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006:**<br>• यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों की भूमि का स्वामित्व, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। | **प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना** (PMAAGY)<br>• बड़ी जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श गांव में बदलने के लिए। |
| • **अनुच्छेद 342:** अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिसूचना | **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989**<br>• इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए पारित किया गया है। | **प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM)**<br>• जनजातीय उद्यमिता पहलों को मजबूत करने और आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए। |
| • **अनुच्छेद 338A:** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | | **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)**<br>• खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए। |


© Vision IAS

## 3.2.1. गैर-अधिसूचित जनजातियां (Denotified Tribes: DNTs)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)[51] ने **इदाते आयोग** की रिपोर्ट को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस रिपोर्ट में भारत में विमुक्त (डी-नोटिफाइड), घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNTs) के लिए एक स्थायी आयोग स्थापित करने की सिफारिश की गई थी।

**गैर-अधिसूचित जनजातियों (DNTs) के बारे में**

- ये देश में सर्वाधिक कमजोर और वंचित समुदाय हैं। इन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान **'आपराधिक जनजाति अधिनियम[53], 1871'** के तहत **"जन्मजात अपराधी"** घोषित किया गया था।
  - ये जनजातियां विषम समूह के रूप में हैं और ये **अलग-अलग व्यवसायों में संलग्न हैं।** इन व्यवसायों में परिवहन, चाबी बनाना, नमक का व्यापार, मनोरंजन (कलाबाजी, सपेरा, जादूगर) और पशु चराना आदि शामिल हैं।
- **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871** को **'आदतन अपराधी अधिनियम[54], 1952'** द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
  - कई गैर-अधिसूचित जनजातियों को ST, SC और OBC की सूचियों में शामिल किया गया है।
- **रेनके आयोग, 2008** के अनुसार, भारत में लगभग **1,500 घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियां** तथा **198 गैर-अधिसूचित जनजातियां** हैं। इनकी कुल जनसंख्या **लगभग 15 करोड़** है।

**घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों[52] के बारे में**

- सभी **घुमंतू जनजातियां, गैर-अधिसूचित जनजातियां (DNTs) नहीं हैं,** लेकिन **सभी DNTs, घुमंतू जनजातियां (NTs)** हैं।
- घुमंतू और अर्ध-घुमंतू **ऐसे सामाजिक समूह हैं,** जो अपनी आजीविका के लिए **आमतौर पर बदलते मौसम के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते रहते हैं।**
  - **हक्की पिक्की जनजाति कर्नाटक का एक अर्ध-घुमंतू जनजातीय समूह है।**
- **तीन प्रकार के घुमंतू समुदाय हैं:**
  - पक्षियों और जानवरों के **शिकारी/ ट्रैपर,** आखेटक आदि, जैसे- कोंडा रेड्डी, चेंचस आदि।
  - **देहाती समुदाय,** जैसे- पारदी, गुज्जर, बंजारा, भील, कुरबा, मधुरा, आदि।
  - **फेरीवाले (Peddlers),** भाग्य बताने वाले, कहानीकार, कलाबाज, नर्तक और नाटककारों के घुमंतू समूह।

- भारत में गैर-अधिसूचित जनजाति समुदायों द्वारा **31 अगस्त की तिथि को 'विमुक्त जाति दिवस'** के रूप में मनाया जाता है।

**DNTs के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम**

- **गैर-अधिसूचित (विमुक्त), घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCDNT)[55]:** भारत सरकार ने गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की राज्यवार सूची तैयार करने के लिए इसका गठन किया था।
- **गैर-अधिसूचित जनजातियों के छात्र-छात्राओं के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात् छात्रवृत्ति:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इसका उद्देश्य उन गैर-अधिसूचित जनजातियों का **शैक्षिक सशक्तीकरण करना है,** जो SC/ ST/ OBC श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती हैं।
- **DNTs के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु नानाजी देशमुख योजना:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
- **DNT समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजना (SEED)[56]:** इस योजना को **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य हैं- गैर-अधिसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना, DNTs परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, आदि।
- 2019 में **गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों** के लिए **डेवेलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड** का गठन किया गया।

---

[51] National Human Rights Commission

[52] Nomadic and Semi-Nomadic Tribes

[53] Criminal Tribes Act

[54] Habitual Offenders Act)

[55] National Commission for De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes

[56] Scheme for Economic Empowerment of DNT Communities

## 3.3. दिव्यांगजन (Person With Disabilities: PwDs)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के न्यायालय**[57] ने कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं, जो दिव्यांगजनों (PwD) के प्रति समाज के दृष्टिकोण को नया स्वरूप देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

**मुख्य आयुक्त की अदालत के निर्णय के बारे में**

- न्यायालय ने आदेश दिया है कि देश के सभी सरकारी कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुलभ होने चाहिए। अगर कोई **सरकारी कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुलभ नहीं है, तो उसे भूतल या किसी अन्य सुलभ स्थान पर स्थानांतरित करना होगा।**
- एक दूसरे मामले में, न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि देश में व्यापार कर रहीं सभी भारतीय और विदेशी विमानन कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि वे **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम**[58]**, 2016** को लागू करें।

**"दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय" के बारे में**

- इसकी स्थापना **निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (PwD अधिनियम)** के तहत की गई थी।
  - **दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016** ने PwD अधिनियम, 1995 की जगह ली है। RPwD अधिनियम, 2016 में **"दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त"** तथा **दो अन्य आयुक्तों** की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- **इसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:**
  - PwD के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना, और
  - ऐसे कार्यक्रम/ नीतियों की पहचान करना जो RPwD अधिनियम के संगत नहीं हैं।
- **मंत्रालय:** केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016 के बारे में**

- **दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण-**
  - सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में कम-से-कम **5% आरक्षण**
  - सरकारी नौकरी में कम-से-कम 4% आरक्षण
    - **यह आरक्षण पुलिस बल के लिए लागू नहीं है:** भारतीय पुलिस, RAF, CAPFs, दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के लिए।
- **21 प्रकार की दिव्यांगताओं** की पहचान की गई है। इसमें मानसिक विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ित आदि शामिल हैं।
- **बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा:** 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद के पड़ोस के स्कूल या किसी विशेष स्कूल में नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
  - **कम-से-कम 40 प्रतिशत** दिव्यांगता वाले व्यक्ति को **"बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति"** की श्रेणी में रखा गया है।

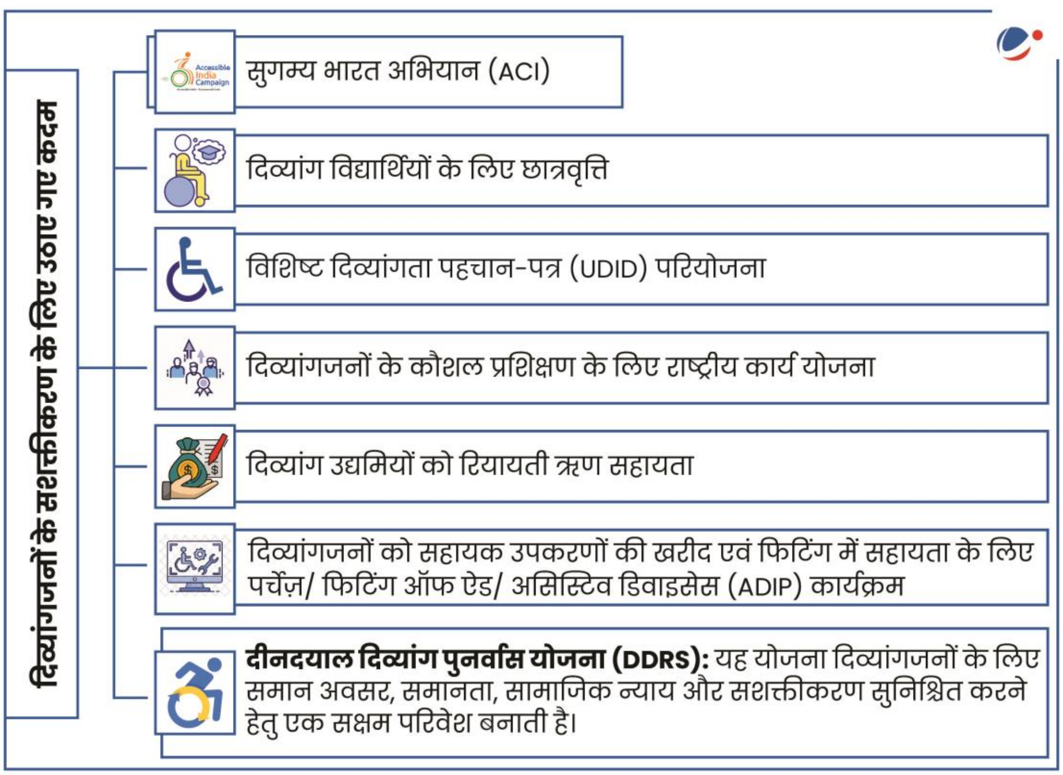


[57] Court of Chief Commissioner of Persons with Disabilities

[58] Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act

- **दिव्यांगता पर केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड** के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
- **मामलों की शीघ्र सुनवाई और न्यायनिर्णयन** के लिए अधिनियम के तहत हर जिले में **विशेष न्यायालय** की स्थापना का प्रावधान है।
- कौशल विकास, खेल और मनोरंजन संबधी गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन और इससे संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।**

## 3.4. मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

सरकार ने लोक सभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि देश के 766 जिलों में से 714 जिलों ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी मैला ढोने से मुक्त बताया है।

**मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में**

- सीवर या सेप्टिक टैंक से मानव मल की हाथ से सफाई करना **मैनुअल स्कैवेंजिंग** कहलाता है।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग का कार्य **"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम[59], 2013"** के तहत प्रतिबंधित है।
- अधिनियम का उल्लंघन करने पर **2 वर्ष तक की कैद या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों** से दंडित किया जा सकता है।

**हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के बारे में**

| | |
|---|---|
| **'हाथ से मैला ढोने वाले' कौन हैं?** | • **अस्वच्छ शौचालय, खुली नाली या गटर एवं सीवर या रेलवे पटरी से मानव मल को हटाने/ उठाने** हेतु रोजगार पर रखे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।<br>○ कोई भी ऐसे व्यक्ति को नियमित या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रोजगार पर नहीं रख सकता है।<br>• **अपवाद:** मानव मल को साफ करने के लिए रोजगार पर रखा गया कोई भी व्यक्ति जो उपयुक्त सुरक्षात्मक यंत्रों और उपकरणों की मदद से ऐसे कार्य को संपन्न करता है, तो वह इस कानून के तहत हाथ से मैला ढोने वाला नहीं माना जाएगा।<br>• **'सफाई कर्मचारी'** कहलाने वाले लोगों के एक अन्य समूह को भी कभी-कभी हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रेखांकित किया जाता है। हालांकि, सफाई कर्मचारी शब्द आमतौर पर नगरपालिकाओं, सरकारी या निजी संगठनों में झाड़ू लगाने वाले या सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले लोगों को प्रतिबिंबित करता है। |
| **यह कानून कैसे हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित करता है?** | • पहला कदम **'अस्वच्छ शौचालयों' के इस्तेमाल को समाप्त करना** है। इस हेतु स्थानीय प्राधिकरणों के लिए कुछ समयबद्ध प्रतिबद्धताओं को लागू किया गया है।<br>• **सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकरणों को सौंपी गई है।** अतः ऐसे शौचालयों को कार्यात्मक और स्वच्छ बनाए रखने हेतु उन्हें आवश्यक प्रयास करने चाहिए। |
| **यह कानून निम्नलिखित को अपराध के रूप में वर्णित करता है:** | • अस्वच्छ शौचालयों की सफाई के लिए लोगों को हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में काम पर रखना।<br>• सुरक्षात्मक यंत्रों के बिना सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए लोगों को काम पर रखना।<br>• अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना।<br>• इस अधिनियम के लागू होने की एक निश्चित अवधि के भीतर अस्वच्छ शौचालयों के प्रयोग को समाप्त या परिवर्तित नहीं करना। |
| **हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास** | • यह कानून **हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए नियम और प्रक्रिया निर्धारित करता है।** यह पुनर्वास वैकल्पिक रोजगार में प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और संपत्ति खरीदने में सहायता प्रदान करने के माध्यम से किया जाएगा। |
| **हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान का दायित्व** | • प्रत्येक **स्थानीय प्राधिकरण** (नगर पालिका या पंचायत), छावनी परिषद या रेलवे प्राधिकरण को हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान करने के लिए अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। |

[59] Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation (PEMSR) Act

**मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम करने के लिए शुरू की गई पहलें**

- **मशीनीकृत सैनिटेशन परिवेश के लिए राष्ट्रीय नीति**[60]**:** इसका उद्देश्य हानिकारक सफाई कार्यों का उन्मूलन करना, सीवर और सेप्टिक टैंक के सफाई कर्मियों की मौत को रोकना तथा उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना है।
- **स्वच्छता मोबाइल ऐप** की सहायता से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
- **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (SRMS)**[61]**:** इसका उद्देश्य वैकल्पिक व्यवसायों में चिन्हित किए गए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का पुनर्वास करना है।
- **स्वच्छता उद्यमी योजना** के तहत स्वच्छता संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए रियायती ऋण प्रदान किया जाता है।
- **मशीनीकृत सैनिटेशन परिवेश के लिए राष्ट्रीय योजना**[62]**:** इस योजना का उद्देश्य **100% मशीनीकरण को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से** सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई, **नालियों की सफाई, कचरा उठाने, कीचड़ प्रबंधन**, ठोस और चिकित्सीय अपशिष्ट निपटान आदि में।
  - यह **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** तथा **आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय** का एक संयुक्त कार्यक्रम है।

---

[60] National Policy for mechanized Sanitation Eco-system

[61] Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers

[62] National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem: NAMASTE/ नमस्ते

# न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए

न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है

टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

## न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

## न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

# 4. शिक्षा (Education)

## 4.1. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) अधिनियम, 2023 {Anusandhan National Research Foundation (NRF) ACT, 2023}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

संसद ने **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) अधिनियम, 2023** पारित किया है।

**अधिनियम के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र**

- **अनुसंधान NRF की स्थापना करना ताकि:**
    - निम्नलिखित क्षेत्रकों में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता हेतु रणनीतिक दिशा प्रदान की जा सके-
        - प्राकृतिक विज्ञान (गणित, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी); पर्यावरण एवं पृथ्वी विज्ञान; स्वास्थ्य व कृषि; तथा
        - मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय इंटरफेस।
    - ऐसे अनुसंधान के लिए आवश्यक प्रोत्साहन, निगरानी और सहायता प्रदान की जा सके।
- **गवर्निंग बोर्ड** द्वारा NRF को रणनीतिक दिशा प्रदान की जाएगी। साथ ही, यह बोर्ड NRF के उद्देश्यों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा।
    - **गवर्निंग बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:**
        - **अध्यक्ष:** प्रधान मंत्री (पदेन),
        - **उपाध्यक्ष:** केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री (पदेन), तथा
        - **पदेन सदस्य:** नीति आयोग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सदस्य; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव; जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव; आदि।
        - **सदस्य सचिव:** भारत सरकार का **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार**
    - **गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष** अग्रलिखित क्षेत्र/ संस्थाओं/ संगठनों के सदस्यों को **नामांकित या नियुक्त** कर सकता

**नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) के उद्देश्य**

- शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में **शोध की शुरूआत करना और उसे सुगम बनाना।**
- पात्र व्यक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धी पियर-रिव्यूड **प्रस्तावों का वित्त-पोषण करना।**
- **शोध अवसंरचना स्थापित करने में सहायता करना।**
- **पूंजी-गहन प्रौद्योगिकियों** में किए गए अनुसंधान को वास्तविक रूप देने के लिए सहायता प्रदान करना।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान पर होने वाले व्यय** और उनके परिणामों का विश्लेषण करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित परियोजनाओं में भागीदारी विकसित करना।**
- सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों के साथ-साथ निजी क्षेत्रक की संस्थाओं को **इस प्रतिष्ठान की गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।**

**भारत में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलें**

- **इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT) इंडिया:** इंप्रिंट (IMPRINT) इंडिया अपनी तरह की पहली पहल है। यह IITs और IISc का संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी क्षेत्रक के सहयोग से वित्त-पोषण करना है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुधार निधि (FIST)[63] स्कीम:** इसका मुख्य कार्य अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचनाएं तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है।
- **विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना (PURSE)[64]:** यह भारतीय विश्वविद्यालयों की शोध क्षमता को मजबूत करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है।
- **SERB-POWER[65]:** यह योजना भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न S&T कार्यक्रमों के भीतर विज्ञान और इंजीनियरिंग शोध के वित्त-पोषण में लैंगिक असमानता को कम करने पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF)[66]:** यह भारत में अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।



[63] Fund for Improvement of S&T Infrastructure

[64] Promotion of University Research and Scientific Excellence

[65] Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research/ खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना

[66] National Research Foundation

हैं: PM-STIAC[67]; व्यावसायिक संगठन या उद्योग; मानविकी और सामाजिक विज्ञान संबंधी क्षेत्र; वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान और विकास में लगे संस्थान आदि।

- गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष **अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन करेगा।**
  - भारत सरकार का **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा।**

- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)**[68] NRF का **प्रशासनिक विभाग होगा।**
- **NRF के लिए फंड:**
  - **NRF को निम्नलिखित की सहायता से वित्त-पोषित किया जाएगा:**
    - केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण,
    - फंड के लिए दिया गया दान,
    - NRF को मिली राशि के निवेश से प्राप्त आय, और
    - 2008 के अधिनियम के तहत स्थापित 'विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष' सहित कुल राशि।
  - **गवर्निंग बोर्ड निम्नलिखित निधियों का गठन करेगा-**
    - **अनुसंधान NRF कोष:** वेतन, भत्ते और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए।
    - **नवाचार कोष:** NRF द्वारा समर्थित क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनात्मकता के वित्त-पोषण के लिए।
    - 2008 के अधिनियम के तहत शुरू की गई परियोजनाओं को जारी रखने के लिए **विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष।**
    - किसी विशिष्ट परियोजना या अनुसंधान के लिए **एक या अधिक विशेष प्रयोजन निधि।**
- इस अधिनियम के जरिए **विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB)**[69] को समाप्त कर, NRF में उसका विलय कर दिया गया है।
  - **SERB एक वैधानिक निकाय था,** जिसे SERB अधिनियम, 2008 के तहत अधिनियमित किया गया था।
- **अनुसंधान NRF का मॉडल अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF)** के आधार पर तैयार किया गया है।

## 4.2. स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा {National Curriculum Framework for School Education (NCF-SE)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**शिक्षा मंत्रालय** ने **'स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE)'** जारी की है। इसे **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद** (NCERT)[70] ने तैयार किया है।

**स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE) के बारे में**

- NCF-SE का उद्देश्य **शिक्षाशास्त्र (Pedagogy) के साथ-साथ पाठ्यचर्या में भी सकारात्मक बदलाव** लाना है। इस प्रकार इस बदलाव की सहायता से भारत की **स्कूली शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से परिवर्तित** करना है।
- NCF-SE स्कूली शिक्षा के लिए डिजाइन किए गए **पाठ्यक्रम की रूपरेखा** है। यह **5+3+3+4** प्रारूप (आयु के आधार पर) के अनुरूप होगी। इसका प्रस्ताव **राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020)** में किया गया है।
- **NCF-SE को अंतिम बार 2005 में संशोधित** किया गया था। इसका उपयोग करके NCERT की पाठ्यपुस्तकों के मौजूदा सेट तैयार किए गए थे।

---

[67] Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council/ प्रधान मंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषद

[68] Department of Science and Technology

[69] Science and Engineering Research Board

[70] National Council of Educational Research and Training

- **प्रोफेसर के. कस्तूरीरंगन** की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय संचालन समिति** का गठन किया गया था। इसका कार्य **NEP 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम** तैयार करना था।
    - NEP 2020 ने एक नए तथा व्यापक **NCF-SE और राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा (SCFs)**[71] बनाने की सिफारिश की है।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020**

**NEP 2020 के उद्देश्य**

- सार्वजनिक निवेश को जल्द-से-जल्द बढ़ाकर **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6 प्रतिशत** तक पहुंचाना।
- **वर्ष 2030** तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक **सकल नामांकन अनुपात (GER)**[72] **को बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक लाना।**
    - साथ ही, व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चत्तर शिक्षा में GER को **2035 तक बढ़ाकर 50 प्रतिशत** (2018 में 26.3%) करना भी इसका एक उद्देश्य है।

**NEP 2020 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक[73] संरचना 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित होगी।
- प्री-प्राइमरी स्कूल से 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के **सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच** सुनिश्चित करना।
- **एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र- परख/ PARAKH**[74] **की स्थापना** की जाएगी।
- वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग **लैंगिक समावेशन निधि तथा विशेष शिक्षा क्षेत्र** बनाना।

**NCF-SE के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **पाठ्यचर्या की रूपरेखा (Curriculum framework):** NCF-SE ने इसे 4 चरणों वाली वर्तमान स्कूली शिक्षा संरचना के स्थान पर स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 प्रारूप में डिजाइन किया है।
    - **आयु वर्ग के आधार पर मौजूदा चार चरण:**
        - **बुनियादी चरण:** 3-8 वर्ष के छात्रों के लिए,
        - **प्रारंभिक चरण:** 8-11 वर्ष के छात्रों के लिए,
        - **मध्य चरण:** 11-14 वर्ष के छात्रों के लिए, और

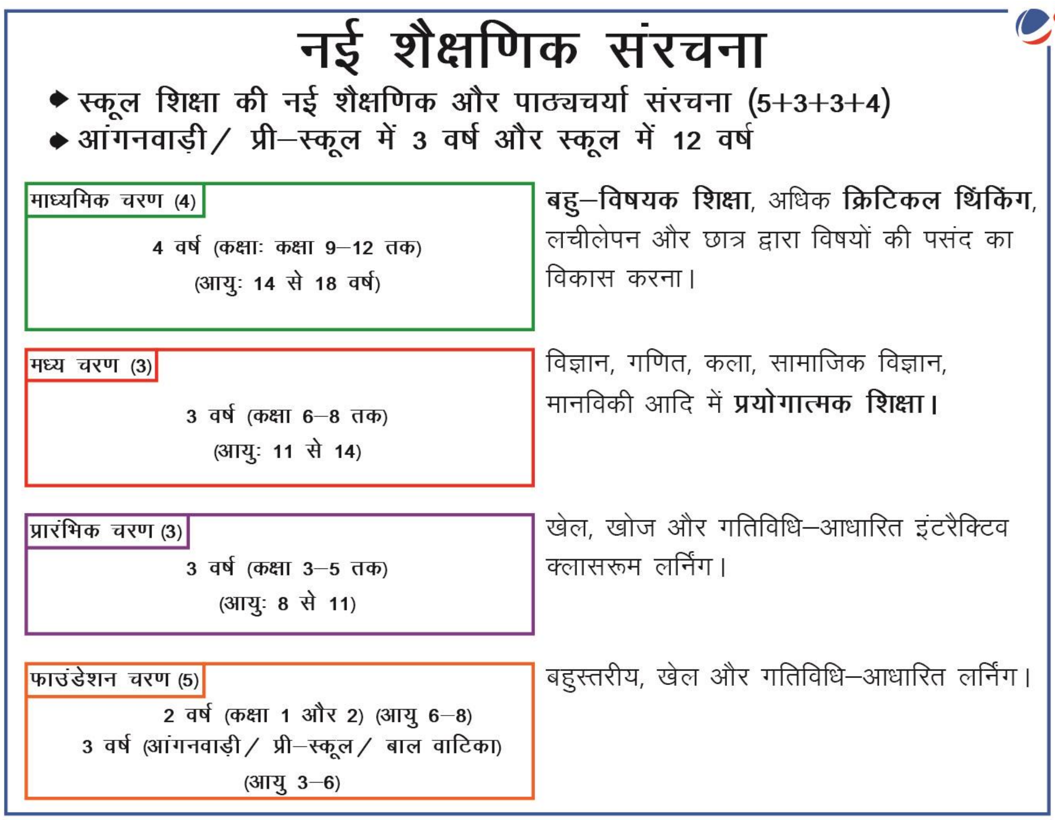




[71] State Curriculum Frameworks

[72] Gross Enrolment Ratio

[73] Curricular and Pedagogical

[74] प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण/ Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development

- **माध्यमिक चरण:** 14-18 वर्ष के छात्रों के लिए।

- **बोर्ड की परीक्षाएं:** कक्षा 10 और 12 के लिए, सभी छात्रों को किसी भी स्कूली-वर्ष के दौरान **कम-से-कम दो अवसरों** पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। इनमें **केवल सबसे बेहतर अंक को परिणाम में शामिल** किया जाएगा। इन दो अवसरों में एक **मुख्य परीक्षा होगी और एक उसमें सुधार** के लिए परीक्षा होगी।
- **अध्ययन का पैटर्न:** अध्ययन पैटर्न में वार्षिक परीक्षा की बजाय **सेमेस्टर डिजाइन** को अपनाया जाएगा।
- **बहुभाषावाद और भारतीय भाषाएं:** सभी छात्र कम-से-कम **तीन भाषाओं** में निपुण होने चाहिए। इनमें से कम-से-कम **दो भारत की देशज भाषाएं** होनी चाहिए।
- **माध्यमिक स्तर पर लचीलापन और विकल्प:** शैक्षणिक और व्यावसायिक विषयों के बीच या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और शारीरिक शिक्षा के बीच कोई जटिल विभाजन नहीं किया जाएगा।
  - छात्र अपने **स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र** को प्राप्त करने के लिए अपने रूचि के विषयों के संयोजन का चयन कर सकते हैं।
- **व्यावसायिक शिक्षा:** इसमें **निम्नलिखित तीन अलग-अलग कार्य क्षेत्रों से जुड़ने पर बल दिया जाएगा:**
  - जीवन रूपों (कृषि, पशुपालन) से जुड़े कार्य,
  - सामग्री और मशीनों से जुड़े कार्य, तथा
  - मानव सेवाओं से संबंधित कार्य।
- **भारतीय मूल पर आधारित:** प्राचीन से समकालीन समय तक भारतीयों ने अलग-अलग विषयों के ज्ञान में योगदान दिया है। उनके योगदान को स्कूल के सभी विषयों के पाठ्यक्रम संबंधी लक्ष्यों में एकीकृत किया गया है।
- **वैज्ञानिक जांच संबंधी क्षमताएं:** विज्ञान संबंधी शिक्षा मौलिक सिद्धांतों, नियमों आदि के ज्ञान की प्राप्ति के साथ-साथ वैज्ञानिक जांच की क्षमताओं को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- **अध्ययन के अंतःविषय क्षेत्र:** इसे माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के एक अलग विषय के रूप में शुरू किया गया है।
- **पर्यावरणीय शिक्षा:** स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों/ चरणों में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसे माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के एक अलग विषय के रूप में लागू किया गया है।

## 4.2.1 स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स {Performance Grading Index (PGI) for School Education System}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

शिक्षा मंत्रालय ने दो रिपोर्ट्स, यथा- **"राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0"** और **"जिलों के लिए PGI (PGI-D)"** जारी की है।

**PGI और PGI-D के बारे में**

- इनमें क्रमश: राज्य और जिला स्तर पर **स्कूली शिक्षा प्रणाली** के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है।
  - इन दोनों रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए **एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE+)**[75] **2021-22** और **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)**[76]**, 2021** से डेटा लिए गए थे।
  - इन रिपोर्ट्स में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को **दस श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया है।
    - इनके अनुसार **श्रेणियों के घटते क्रम हैं:** दक्ष, उत्कर्ष, अत्ति-उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा-1, प्रचेष्टा-2 व प्रचेष्टा-3, आकांक्षी-1, आकांक्षी-2 तथा आकांक्षी-3
    - इनमें **'दक्ष' उच्चतम श्रेणी और आकांक्षी-3 निम्नतम श्रेणी** है।
- **2021-22 के लिए PGI 2.0**
  - सर्वप्रथम 2017-18 के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए PGI जारी किया गया था। इससे पहले 2020-21 तक के लिए ही जारी किया गया था।

[75] Unified-District Information System for Education

[76] National Achievement Survey




© Vision IAS

- **इंडेक्स की प्रमुख विशेषताएं:**
  - **किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश** को उच्चतम ग्रेड अर्थात् 'दक्ष' प्राप्त **नहीं** हुआ है।
  - PGI 2.0 में किसी भी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च ग्रेड **'प्रचेष्टा-2'** है। केवल 2 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् **पंजाब और चंडीगढ़** को ही 'प्रचेष्टा-2' ग्रेड प्राप्त हुआ है।
  - 3 राज्यों **अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम** को निम्नतम ग्रेड अर्थात् **'आकांक्षी-3'** प्राप्त हुआ है।
  - **विचलन में कमी आई है।** 2021-22 में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम अंकों के बीच का अंतर **23.8%** है तथा यह इस वर्ष का अधिकतम अंतर है, जबकि 2017-18 में यह विचलन **51%** था।
- **2020-21 और 2021-22 के लिए PGI-D की संयुक्त रिपोर्ट:**
  - इस इंडेक्स में **परिणामों, कक्षा का प्रभावी संचालन, स्कूली सुरक्षा** आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - उच्चतम दो ग्रेड अर्थात् **'दक्ष' और 'उत्कर्ष' किसी भी जिले को प्राप्त नहीं हुए हैं।**

## 4.3. भारत में उच्चतर शिक्षा (Higher Education in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति** ने **"उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के कार्यान्वयन"** को लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

**उच्चतर शिक्षा के लिए NEP की मुख्य विशेषताएं**

- **सकल नामांकन अनुपात (GER)**[77]**: 2035** तक कम -से-कम **50%** करना।
  - GER के तहत **18-23 वर्ष के आयु वर्ग** की पात्र जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में **उच्चतर शिक्षा में नामांकित स्टूडेंट्स की संख्या** की माप की जाती है।
- **स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि** की होगी। इसमें इस अवधि के भीतर **यथोचित प्रमाण-पत्रों के साथ निकास के कई विकल्प उपलब्ध** होंगे।
  - पहले वर्ष की समाप्ति के बाद **सर्टिफिकेट,** दूसरे वर्ष के बाद **डिप्लोमा**, तीसरे वर्ष के बाद **स्नातक की डिग्री** तथा चौथे वर्ष की समाप्ति के बाद **स्नातक की डिग्री के साथ-साथ ऑनर्स डिग्री** प्रदान की जाएगी।
  - विभिन्न संस्थानों से अर्जित ऐकडेमिक क्रेडिट को **ऐकडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC)** में डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाएगा।

**उच्चतर शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्य**

| | |
|---|---|
| | **वर्ष 2030 तक** प्रत्येक जिले में या जिले के निकट कम-से-कम एक बड़े बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान की स्थापना करना। |
| | **वर्ष 2035 तक** सभी HEIs को एक अधिकार प्राप्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) वाले स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित करना। |
| | **वर्ष 2040 तक** सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) को बहु-विषयक संस्थान के रूप में स्थापित करना। |
| | व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 के 26.3% से बढ़ाकर **वर्ष 2035 तक 50% करना।** |
| | **वर्ष 2025 तक** स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम-से-कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। |

- समग्र व बहु-विषयक शिक्षा के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए देश भर में **बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERU)**[78] स्थापित किए जाएंगे। ये IITs, IIMs आदि की तर्ज पर आदर्श सार्वजनिक विश्वविद्यालय होंगे।



---

77 Gross Enrolment Ratio

78 Multidisciplinary Education and Research Universities


© Vision IAS

- **नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF)** पूरे देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने एवं प्रसारित करने का कार्य करेगा।
- संस्थागत सहयोग के जरिए **शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण** किया जा रहा है। साथ ही, विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी गई है।
- **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (NETF)**[79] की स्थापना की जाएगी। यह एक **ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगा** जहां प्रौद्योगिकी के उपयोग पर **विचारों का स्वतंत्र आदान-प्रदान** किया जाएगा। इससे **स्कूलों और उच्चतर शिक्षा दोनों के लिए** शिक्षण, मूल्यांकन और प्रशासन को बेहतर बनाया जा सकेगा।

**भारत में उच्चतर शिक्षा की स्थिति:**

- 18-23 वर्ष आयु वर्ग के लिए **उच्चतर शिक्षा में GER 2020-21 में 27.3 % था, जो 2021-22 में बढ़कर 28.4% हो गया।**
- **महिला GER** 2020-21 में 27.9 था, जो 2**021-22 में बढ़कर 28.5** हो गया।

**वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 2024**

- यह रैंकिंग **टाइम्स हायर एजुकेशन** द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2024 की रैंकिंग में 108 देशों के 1,904 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है।
- **लगभग 91 भारतीय विश्वविद्यालयों को इस सूची में जगह मिली है। वर्ष 2023 की रैंकिंग में इस सूची में 75 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल थे।**
- **ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (यूनाइटेड किंगडम)** को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु** को **201-250 रैंक वाले संस्थानों के ब्रैकेट** में रखा गया है। यह भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में **सबसे ऊपर** है।
- 4 भारतीय विश्वविद्यालयों को **501-600 रैंक के ब्रैकेट** में रखा गया है। इनमें शामिल हैं-**अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और शूलिनी विश्वविद्यालय।**
- वर्ष 2024 की रैंकिंग में **भारत चौथा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया** है। वर्ष 2023 में भारत का इस श्रेणी में छठा स्थान था।

**अन्य वैश्विक रैंकिंग**

**"ग्लोबल 2000" रिपोर्ट, 2023**

- सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (CWUR) ने वर्ष 2023 के लिए **"ग्लोबल 2000" रिपोर्ट** जारी की है। इस रिपोर्ट में **दुनिया भर के 2,000 से अधिक विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान** की गई है।
- **विश्वविद्यालयों की रैंकिंग चार कारकों पर आधारित हैं:** शिक्षा की गुणवत्ता (25%), नियोजन क्षमता (Employability) (25%), फैकल्टी की गुणवत्ता (10%) और अनुसंधान में प्रदर्शन (40%)
- **भारत का प्रदर्शन:** इस रैंकिंग में भारत के **64 विश्वविद्यालय** शामिल हैं।

**QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 2024**

- यह रैंकिंग क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) द्वारा जारी की जाती है।
- यह रैंकिंग कुछ संकेतकों के आधार पर प्रदान की जाती है, जिसमें अकादमिक प्रतिष्ठा, नियोक्ताओं के बीच प्रतिष्ठा और फैकल्टी की ओर से रिसर्च[80] को ध्यान रखा जाता है।
- इसमें **IIT बॉम्बे का 149वां स्थान** है।

## 4.3.1. डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी (Deemed to be Universities: DTBU)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने **यूजीसी (इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) विनियम**[81]**, 2023** जारी किए हैं।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- नए विनियम **यूजीसी (इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) विनियम, 2019** के स्थान पर जारी किए गए हैं। ये विनियम **विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने, अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करने और उच्चतर शिक्षा परिदृश्य में बदलाव लाने** के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

[79] National Educational Technology Forum

[80] Academic reputation, employer reputation, and faculty research

[81] UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations




© Vision IAS

**नए विनियम की मुख्य विशेषताएं**

- **20 साल से कम पुराने संस्थान** अब **डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी** के दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  - इससे पहले, 2019 के विनियम के तहत, केवल वही उच्चतर शिक्षण संस्थान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते थे, जो कम-से-कम **'20 वर्षों से अधिक समय से संचालन'** में थे।
- **एक से अधिक स्पॉन्सर संगठनों द्वारा प्रबंधित संस्थानों के समूह भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त** करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- DTBUs दर्जा प्राप्त संस्थान **किसी भी विषय क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की शुरुआत** कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें अपनी **कार्यकारी परिषद की पूर्व स्वीकृति** लेनी होगी और जहां भी लागू हो, वहां उन्हें **संबंधित वैधानिक परिषद की अनुमति भी** प्राप्त करनी होगी।
- DTBUs संस्थान को अनिवार्य रूप से अपने छात्रों के **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) पहचान-पत्र** तैयार करने होंगे। साथ ही, उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा।

**डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड**

- संस्थान NAAC 'A' ग्रेड का होना चाहिए और उसे तीन लगातार चक्रों में **कम-से-कम 3.01 CGPA (संचयी औसत ग्रेड पॉइंट) प्राप्त** हुए हों
- संस्थान को पात्र शैक्षिक कार्यक्रमों के **दो-तिहाई** के लिए लगातार तीन चक्रों में **राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) से प्रत्यायन (Accreditation) प्राप्त** होना चाहिए
- संस्थान को पिछले तीन वर्षों से लगातार **नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की किसी भी विशिष्ट श्रेणी की शीर्ष 50 रैंक में शामिल** होना चाहिए
- संस्थान को पिछले तीन वर्षों से लगातार **NIRF की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल** होना चाहिए

- **डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी (DTBUs) के बारे में:**
  - **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (UGC), 1956** में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार अधिनियम की **धारा 3** के तहत विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी अन्य संस्थान को **DTBUs संस्थान का दर्जा** प्रदान कर सकती है। इस तरह का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात ऐसे संस्थान को एक **विश्वविद्यालय समझा (डीम्ड)** जाएगा।
- हाल ही में, **NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्रदान किया गया है** जो इसे **निम्नलिखित की अनुमति देगा-**
  - अपनी स्वयं की स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डिग्री प्रदान करना, और
  - **कोई भी नया प्रोग्राम शुरू करने,** किसी कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार करने, परीक्षा आयोजित करने और प्रबंधन समेत अन्य मामलों में स्वायत्तता।

## 4.3.2. भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) का विनियमन (Regulation of Fheis in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **UGC {भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) के परिसरों की स्थापना और संचालन} विनियमन[82] 2023** अधिसूचित किया गया। **UGC[83]** ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) को अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने के लिए इन विनियमों को अधिसूचित किया है। ये विनियम **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)[84], 2020** के अनुरूप हैं।

**इन विनियमों के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:**

- **मंजूरी लेना:** FHEIs को भारत में अपने परिसरों की स्थापना करने, कोई शैक्षिक प्रोग्राम शुरू करने तथा किसी पाठ्यक्रम या शैक्षिक प्रोग्राम को बंद करने से पहले UGC की मंजूरी लेनी होगी।

---

[82] UGC (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions (FHEIs) in India

[83] University Grants Commission/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

[84] National Education Policy

- FHEIs को ऐसा कोई भी शैक्षिक प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति नहीं होगी, जो भारत में उच्चतर शिक्षा के मानकों के अनुसार न हो।

- **पात्रता मानदंड:** निम्नलिखित पात्रता वाले FHEIs को भारत में परिसर स्थापित करने की मंजूरी दी जाएगी:
  - इच्छुक **FHEI को शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग** (समग्र श्रेणी या विषय-वार श्रेणी) में स्थान प्राप्त होना चाहिए, अथवा
  - FHEI को किसी **विशेष क्षेत्र में उल्लेखनीय विशेषज्ञता** प्राप्त होनी चाहिए।
- **शैक्षणिक मान्यता:** FHEIs के भारतीय परिसरों में प्रदान की जाने वाली डिग्री/ डिप्लोमा इन FHEIs के मूल देश में स्थित मुख्य परिसर में दी जाने वाली डिग्री/ डिप्लोमा के समान होंगी। साथ ही, **शिक्षा की गुणवत्ता** भी समान स्तर की होनी चाहिए।
  - FHEIs को **ऑनलाइन या ओपन एवं दूरस्थ-शिक्षा मोड में प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति नहीं** होगी।
- **स्वायत्तता:** FHEIs को निम्नलिखित मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होगी:
  - प्रवेश प्रक्रिया और मानदंड तय करने में,
  - अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती करने में, तथा
  - पारदर्शी एवं उचित शुल्क संरचना तय करने में।

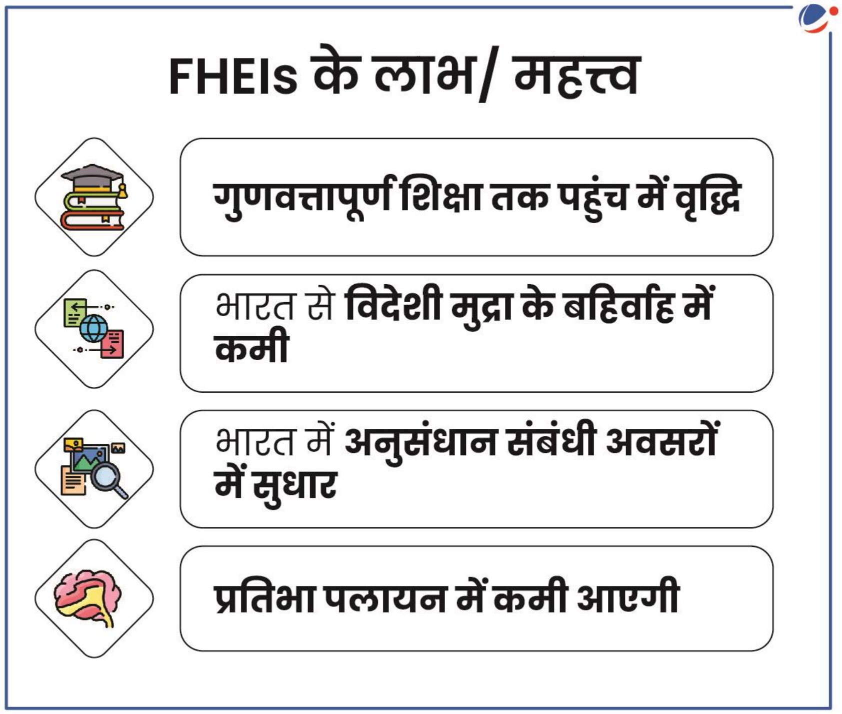


- **प्रतिबंध:** FHEIs के परिसर का संचालन भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के प्रतिकूल तरीके से नहीं किया जा सकेगा।
  - FHEIs परिसरों को विदेशी स्रोतों से अनुदान प्राप्त करने के लिए **भारत सरकार की पूर्व-मंजूरी** लेनी होगी।
- **ऑडिट:** FHEIs को गुणवत्ता आश्वासन ऑडिट कराना होगा और उसकी रिपोर्ट UGC को सौंपनी होगी।
  - **FHEIs** को निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन प्रमाणित करने हेतु UGC को एक वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
    - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम[85], 1999; विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम[86], 2010; एवं अन्य प्रासंगिक कानून।

## 4.4. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (National Credit Framework: NCrF)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** ने **नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF)** जारी किया है।

**NCrF की पृष्ठभूमि**

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020** के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, **केंद्र सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति (2021) के गठन को मंजूरी** दी है। यह समिति सामान्य, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/कौशल के लिए एक **राष्ट्रीय क्रेडिट संचय**[87] और **हस्तांतरण फ्रेमवर्क**[88] विकसित करेगी।

---

[85] Foreign Exchange Management Act

[86] Foreign Contribution (Regulation) Act

[87] National Credit Accumulation

[88] Transfer Framework


© Vision IAS

- **NCrF को एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा संयुक्त रूप से विकसित** किया गया है। इस समिति में UGC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET), NCERT, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, CBSE आदि के सदस्य शामिल थे।

**नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) के बारे में**

- यह स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा तथा व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के माध्यम से **अर्जित क्रेडिट्स को मूल रूप से एकीकृत करने के लिए एक समावेशी एकल मेटा फ्रेमवर्क है।**
- सभी शिक्षाओं के क्रेडिटाइजेशन और एकीकरण के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) में उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा के लिए योग्यता फ्रेमवर्क शामिल होंगे, अर्थात्:
    - **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क** (National Higher Education Qualification Framework: NHEQF),
    - **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क** (National Skills Qualification Framework: NSQF),
    - **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (NCF) / राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NSEQF)** {National Curriculum Framework (NCF)/ National School Education Qualification Framework (NSEQF)}।
- यह फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा के माध्यम से **अर्जित क्रेडिट्स को एकीकृत करने का प्रयास** करता है। इससे छात्रों के बीच **लचीलापन और गतिशीलता सुनिश्चित हो सकेगी।**
    - यह क्रेडिट सिस्टम को अपनाने में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा **पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश उपलब्ध कराएगा।**
- यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी तथा खेल के क्षेत्र में व्यापक आधार वाली बहु-विषयक शिक्षा को सक्षम करके **शिक्षा को और अधिक समग्र** बनाता है।

**NCrF की मुख्य विशेषताएं**

- **क्रेडिट सिस्टम:** यह शिक्षा को 8 स्तरों में विभाजित करता है-
    - स्कूली शिक्षा **1-4 स्तर** के अंतर्गत आती है,
    - **4.5-8 का स्तर** उच्चतर शिक्षा को संदर्भित करता है, तथा
    - व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को **1 से 8 स्तर** के अंतर्गत रखा गया है।
    - अकादमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा के पूरा होने के बाद अर्जित क्रेडिट्स को **ऐकडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC)** में संग्रहित किया जाएगा।

- **क्रेडिट अर्जित करने के अलग-अलग साधन:** एक छात्र तीन अलग-अलग माध्यमों से क्रेडिट अर्जित कर सकता है:
  - शैक्षणिक शिक्षा पूरी करके,
  - व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण या कौशल कार्यक्रम से गुजरकर,
  - उद्योगों से प्राप्त प्रासंगिक अनुभव और प्रवीणता स्तर जैसी अनुभवात्मक शिक्षण को ग्रहण करके।
- **अर्जित क्रेडिट्स का एकीकरण:** इसका उद्देश्य NHEQF, NSQF और NSEQF को शामिल करके **स्कूलों, कॉलेजों, व्यावसायिक तथा कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को एकीकृत करना है।**
- **मल्टीपल एंट्री-मल्टीपल एग्जिट (ME-ME) विकल्प:** यह एक से अधिक बार प्रवेश करने और बाहर निकलने के विकल्पों के माध्यम से **आजीवन सीखने को सक्षम** बनाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफर तंत्र **एक छात्र को अपने करियर के दौरान किसी भी समय शैक्षिक पारितंत्र में प्रवेश करने, बाहर निकलने और फिर से प्रवेश करने में सक्षम** बनाता है।
- **अनुमानित सीखने के घंटे की अवधारणा:** यह उस समय को संदर्भित करती है, **जब एक औसत छात्र को सभी कक्षाओं में भाग लेने, परीक्षणों के लिए उपस्थित होने और असाइनमेंट जमा करने की आवश्यकता होती है।**
  - स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के लिए कुल सांकेतिक शिक्षण घंटे 1,200 घंटे/ वर्ष निर्धारित किए गए हैं।

## 4.5. उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता {Accreditation of Higher Education Institutions (HEIs)}

**सुर्ख़ियों में क्यों**

शिक्षा मंत्रालय ने भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) की मान्यता प्रणाली (Accreditation system) में सुधारों पर गठित **राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट** को स्वीकार कर लिया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इस समिति को सौंपे गए कार्यों (Mandate) में निम्नलिखित शामिल थे:
  - **मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रियाओं को मजबूत करना,** तथा
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भविष्य हेतु सोची गई **राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC)[93] के लिए एक रोडमैप तैयार करना।**
- समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि **शैक्षिक प्रणाली को दिसंबर 2023 तक प्रस्तावित मान्यता प्रणाली को अपना लेना चाहिए,** भले ही **राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC)** का गठन बाद में किया जाए।
  - NAC **भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) के चार कार्यक्षेत्रों में से एक** है।
  - NAC **'सबसे उच्च स्तर का मान्यता प्रदाता निकाय'** होगा। इस निकाय के पास मान्यता प्रदान करने वाले संस्थानों के एक स्वतंत्र इकोसिस्टम की देख-रेख और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होगी।

**स्कूलों की मान्यता**

- भारत में, **स्कूलों के नियमित मूल्यांकन को लेकर सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।**
- NEP, 2020 प्री-स्कूल शिक्षा सहित **शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्तापूर्ण स्व-विनियमन या मान्यता प्रणाली** की कल्पना करती है।
  - यह **राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT)[89]** द्वारा एक अलग स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आधिकारिक मान्यता ढांचा विकसित करने की भी सिफारिश करती है।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABET)[90] 'गुणवत्तापूर्ण स्कूल प्रशासन के लिए प्रत्यायन मानक[91]'** नामक एक मान्यता कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है।
  - NABET **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)[92]** का एक घटक बोर्ड है।
  - **इन मानकों में तीन बुनियादी खंड शामिल हैं:**
    - स्कूल प्रशासन
    - शैक्षिक और समर्थन प्रक्रियाएं
    - प्रदर्शन का मापन और सुधार।

**भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता के बारे में**

- **मान्यता** शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है।

---

[89] State Council of Educational Research and Training

[90] National Accreditation Board for Education and Training

[91] Accreditation standard for Quality School Governance

[92] Quality Council of India

[93] National Accreditation Council




© Vision IAS

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **'UGC अधिनियम, 1956'** के प्रावधानों के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है।
- इसके अलावा, केंद्र सरकार और यहां तक कि कुछ राज्यों के दायरे में आने वाली **कई एजेंसियों** को **आवधिक स्वीकृति, मूल्यांकन, मान्यता और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग का कार्य सौंपा** गया है।

**उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जुड़ी भारत की मान्यता प्रणाली में सुधार के लिए की गई मुख्य सिफारिशें**

- **समग्र मूल्यांकन प्रणाली (CAS)[94]:** नई प्रस्तावित मूल्यांकन और मान्यता प्रणाली में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके प्रत्येक कार्यक्रम को शामिल करना चाहिए।
- **द्विआधारी (Binary) मान्यता प्रणाली:** समिति ने NAAC की वर्तमान 8-बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली से **एक द्विआधारी मान्यता प्रणाली** को अपनाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जैसे- **मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त।**
    - **समिति ने गैर-मान्यता प्राप्त श्रेणी में दो उप-प्रभागों का प्रस्ताव** दिया है-
        - **मान्यता की प्रतीक्षा** (उन लोगों के लिए जो सीमा स्तर के निकट हैं) और
        - **गैर-मान्यता प्राप्त** (उन लोगों के लिए जो मान्यता के मानकों से बहुत नीचे हैं)।
- **मैच्योरिटी-आधारित श्रेणीबद्ध मान्यता[95]:** मान्यता प्राप्त संस्थानों को उनकी गुणवत्ता में सुधार करने और खुद को वैश्विक शीर्ष संस्थानों के बीच स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

**भारत में प्रत्यायन से संबंधित प्रमुख संस्थान/ प्रणालियां**

**राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council: NAAC)**
- इसे 1994 में गठित किया गया था। इसका गठन स्वयंसेवी संस्थानों को उनके प्रदर्शन के आकलन की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था।
- इसके द्वारा दिया गया प्रत्यायन (अर्थात् मान्यता) पांच साल के लिए वैध होता है।

**राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework: NIRF)**
- इसे शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2015 में शुरू किया था।
- 2018 से सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए NIRF में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया **है।**

**अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education: AICTE)**
- AICTE को 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में गठित किया गया था। हालांकि, 1987 में इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था।
- यह नए तकनीकी संस्थानों को शुरू करने, नए पाठ्यक्रम को आरंभ करने और तकनीकी संस्थानों के प्रवेश ढांचे में बदलाव के लिए अनुमोदन प्रदान करता है।

**राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Board of Accreditation: NBA)**
- इसे आरंभ में 1994 में AICTE ने गठित किया था। हालांकि, 2013 में इसे AICTE से पूरी तरह से स्वतंत्र कर एक स्वायत्त संस्था के रूप में तब्दील कर दिया गया।
- यह तकनीकी/ पेशेवर संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों को प्रत्यायन प्रदान करता है।

## 4.6 अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

| | |
|---|---|
| उच्चतर शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 (India Rankings 2023 of HEIs) | • **केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय** ने देश में **उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) की इंडिया रैंकिंग का 8वां संस्करण** जारी किया है।<br>○ यह रैंकिंग **नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)** पर आधारित है।<br>○ **NIRF में मापदंडों की निम्नलिखित पांच व्यापक श्रेणियां हैं:**<br>▪ शिक्षण अधिगम और संसाधन (Teaching Learning and Resources); |

[94] Composite Assessment System

[95] Maturity-Based Graded Accreditation

| | |
|---|---|
| | ▪ अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (Research and Professional Practice);<br>▪ स्नातक परिणाम (Graduation Outcome);<br>▪ समावेशिता और आउटरीच (Inclusivity and Outreach); तथा<br>▪ धारणा (Perception).<br>• **इंडिया रैंकिंग 2023 संस्करण में नया क्या है?**<br>○ **'कृषि और संबद्ध क्षेत्रक' नामक एक नया विषय शामिल** किया गया है,<br>○ इंडिया रैंकिंग में **"नवाचार"** रैंकिंग को शामिल किया गया है। पहले इसे अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स (ARIIA) में शामिल किया गया था।<br>○ **"आर्किटेक्चर" के दायरे का विस्तार कर इसे "आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग"** नाम दिया गया है।<br>• समग्र श्रेणी में **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT)-मद्रास को सर्वोच्च रैंकिंग** प्रदान की गई है। इसके बाद **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु** का स्थान है<br>• यह रैंकिंग **शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा और फैकल्टी** से संबंधित संकेतकों पर आधारित है। |
| **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) को 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन (WFME) से मान्यता प्राप्त हुई {National Medical Commission (NMC) Gets WFME Recognition for 10 Years}** | • **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)** भारत में मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रैक्टिस से संबंधित प्रमुख विनियामक निकाय है।<br>○ NMC एक **सांविधिक निकाय** है। इसका गठन **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019** के तहत किया गया है।<br>• WFME उन **अलग-अलग प्रत्यायन (accreditation) प्रदान करने वाली एजेंसियों** को मान्यता प्रदान करता है, जो **WFME के मान्यता संबंधी मानदंडों को पूरा** करती हैं।<br>• **लाभ:**<br>○ इससे भारत के मौजूदा सभी **706 मेडिकल कॉलेजों को WFME से मान्यता** मिल जाएगी।<br>○ अगले 10 वर्षों में स्थापित होने वाले नए मेडिकल कॉलेजों को स्वतः मान्यता मिल जाएगी। |
| **राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (NNMC) अधिनियम, 2023 तथा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (NDC) अधिनियम, 2023 {National Nursing and Midwifery Commission (NNMC) Act, 2023 and National Dental Commission (NDC) Act, 2023}** | • NNMC अधिनियम, 2023 और NDC अधिनियम, 2023 का उद्देश्य क्रमशः **पैरामेडिकल (नर्स और मिडवाइफ सहित) तथा दंत चिकित्सा क्षेत्रक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार** करना है।<br>○ ये अधिनिय **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम** की तर्ज पर पारित किए गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है।<br>• राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 **दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 को निरस्त** करेगा। इसमें एक **राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (NMC)** स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह आयोग **देश में दंत चिकित्सा शिक्षा और पेशे को विनियमित** करेगा।<br>○ इसमें **नेशनल एग्जिट टेस्ट** की तर्ज पर दंत चिकित्सकों के लिए भी एक **एग्जिट टेस्ट** का प्रावधान किया गया है।<br>• NNMC अधिनियम, **भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 को निरस्त** करेगा।<br>○ यह एक **राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (NNMC)** की स्थापना का प्रावधान करता है। यह आयोग नर्सिंग और मिडवाइफरी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रशासन के लिए नीतियां निर्मित करेगा। साथ ही, मानकों को विनियमित भी करेगा।<br>○ यह **नर्सिंग और मिडवाइफरी संस्थानों में प्रवेश के लिए एक समान तंत्र** प्रदान करेगा। |

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

- **अधिनियम की आवश्यकता क्यों?**
  - भारत के 40 प्रतिशत जिलों में नर्सिंग कॉलेज नहीं हैं।
  - वर्तमान में, भारत में **नर्स और जनसंख्या अनुपात केवल 2.06:1000** है, जबकि वैश्विक मानदंड 3:1000 है।

</td>
</tr>
<tr>
<td>**विद्या समीक्षा केंद्र (VSK)**</td>
<td>

- शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने राज्यों से **राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर (NDEAR) के तहत विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) खोलने** को कहा है।
- VSKs का उद्देश्य सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। यह एक डेटा रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करेगा। इसमें MoE द्वारा संचालित सभी योजनाओं का डेटा संग्रहीत होगा।
- वर्तमान में, एक VSK केंद्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) परिसर में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के भवन में स्थित है।

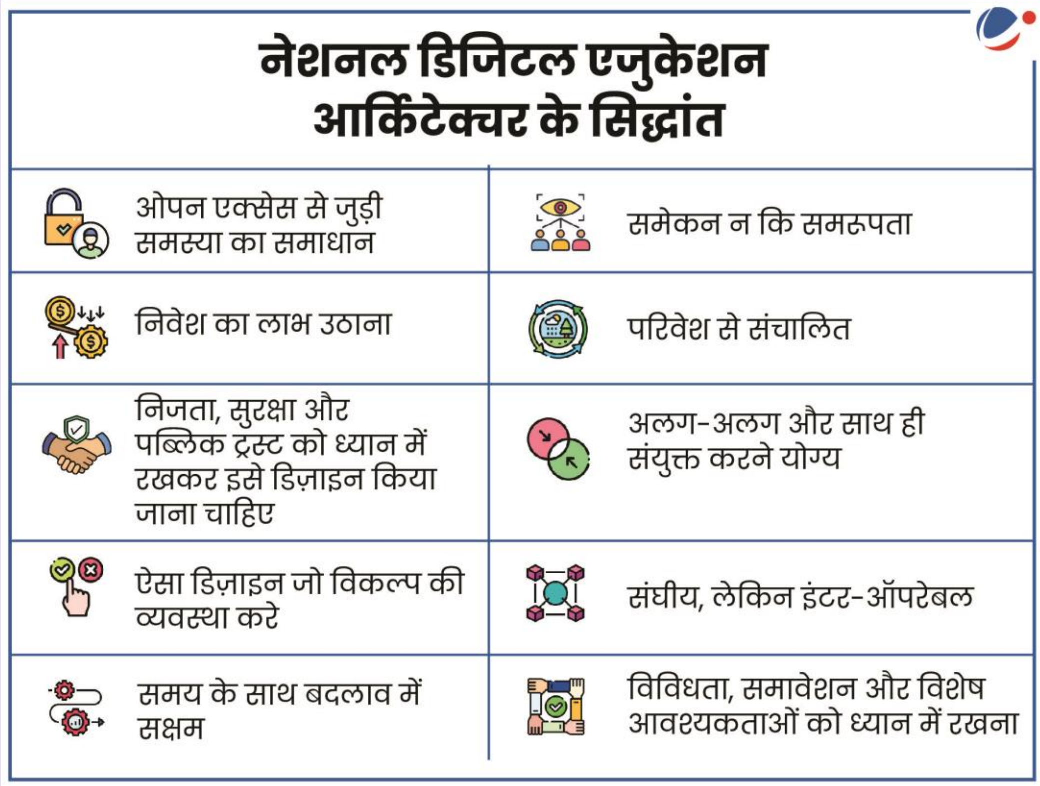


- **VSK के उद्देश्य**
  - समग्र शिक्षा के दायरे में **अलग-अलग परियोजनाओं/ गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी करना।**
  - राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण से **सीखने के परिणाम, ड्रॉपआउट डेटा,** आदि सहित **नामांकित छात्रों पर निगरानी रखना।**
  - स्कूली पारितंत्र के हितधारकों के लिए **शिकायत निवारण तंत्र हेतु केंद्रीकृत हेल्पडेस्क की स्थापना करना।**
  - राज्य-स्तर पर **फील्ड स्तरीय शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करना व उन्हें ट्रैक करना।** साथ ही, फील्ड में प्रशासकों और शिक्षकों को डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना।
  - NDEAR का सृजन **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से MoE के तत्वावधान में किया गया** है।

</td>
</tr>
<tr>
<td>**राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति (National Syllabus and**</td>
<td>

- **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)** ने NSTC का गठन किया है। इसे **कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक** के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षिक सामग्री को आकार देने हेतु गठित किया गया है। **इसके 19 सदस्य हैं।**

</td>
</tr>
</table>

| | |
|---|---|
| Teaching Learning Material Committee: NSTC) | • NSTC के बारे में<br>○ इसका कार्य स्कूल पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षण और अधिगम (learning) सामग्री का **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (NCF)** के साथ संरेखण सुनिश्चित करना है।<br>○ पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के लिए इसकी **विषय विशेषज्ञों से युक्त 'पाठ्यचर्या क्षेत्र समूहों' (CAGs)** द्वारा सहायता की जाएगी।<br>• इससे **पहले स्कूली शिक्षा के लिए NCF, 2023 ने स्कूली शिक्षा के व्यापक पुनर्गठन की सिफारिश** की थी। |


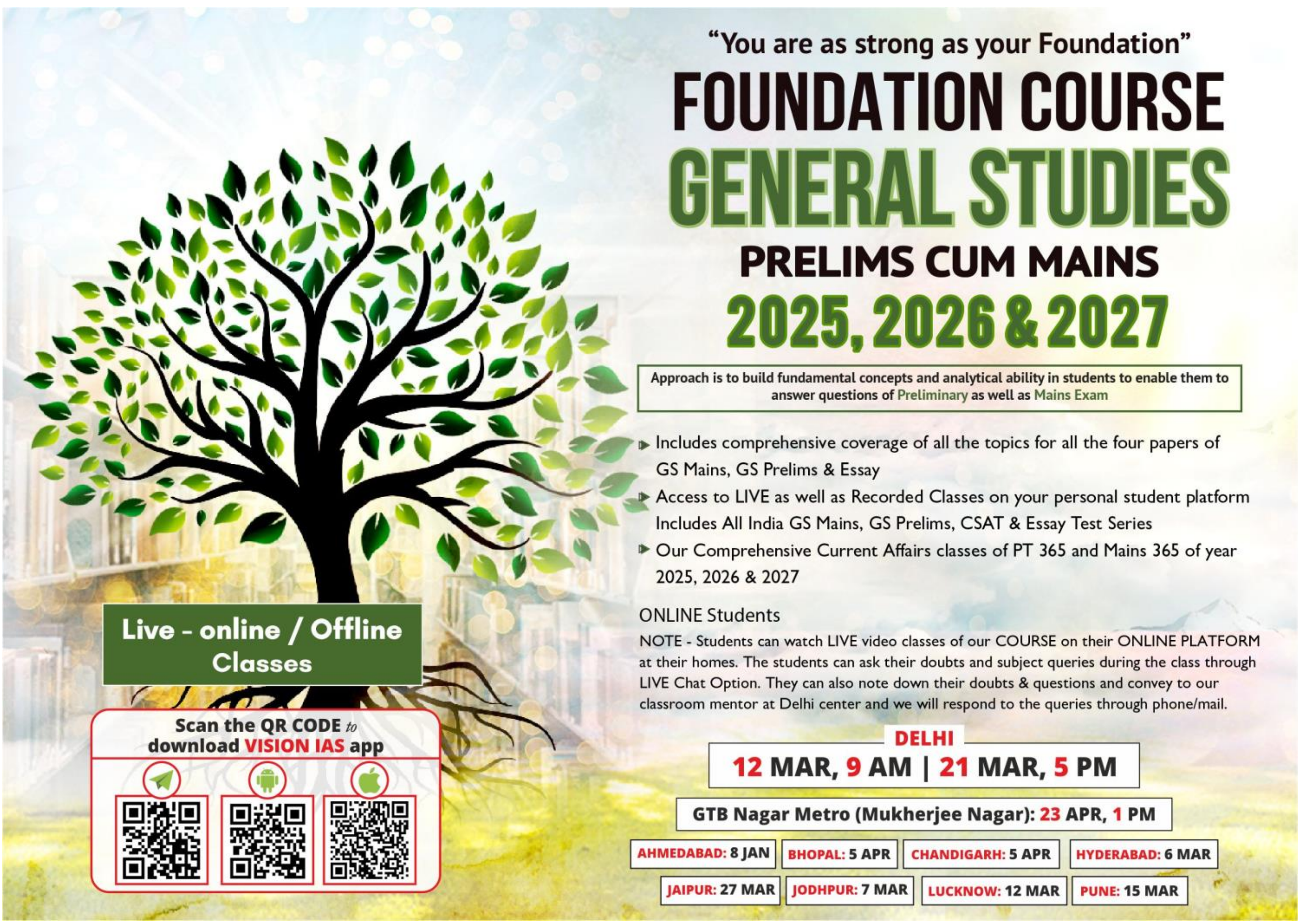

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

# समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

**इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी** मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

**डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए**

## त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

**कम समय में रिवीजन करने के लिए:** इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

**और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें:** इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

**प्रश्नोत्तरी:** हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

**संक्षिप्त पृष्ठभूमि:** प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

**विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य:** इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

**स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी:** इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

*स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।*

# 5. स्वस्थ्य (Health)

## 5.1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 रिपोर्ट {National Family Health Survey-5 (NFHS) Report}

### अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र

| संकेतक | NFHS-5 (2019-21) | NFHS-4 (2015-16) |
|---|---|---|
| **कुल प्रजनन दर (TFR) (प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या)**<br>› प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों के TFR को प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता कहा जाता है। इसे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। | ↓ 2.0 | 2.2 |
| **गर्भनिरोधक प्रसार दर (Contraceptive Prevalence Rate: CPR)** | ↑ 67% | 54% |
| गर्भ के प्रथम तीन महीनों में गर्भवती महिलाओं द्वारा **प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) केंद्रों का दौरा** | ↑ 70% | 59% |
| **परिवार नियोजन की जरूरतें जो पूरी नहीं हुई** | ↓ 9% | 13% |
| **12-23 महीने के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण** | ↑ 76% | 62% |
| **कुल जनसंख्या में लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं)**<br>› यह पहली बार है, जब किसी भी NFHS या जनगणना में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है। | ↑ 1020 | 991 |
| **नवजात मृत्यु दर**<br>› प्रति 1,000 जीवित जन्मों में व्यक्त जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान सभी जीवित जन्मों में मृत्यु की संख्या। | ↓ 24.9 | 29.5 |
| **शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म)**<br>› यह जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान सभी जीवित जन्मों में शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। इसे प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त किया जाता है। | ↓ 35.2 | 40.7 |
| **पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म)**<br>› यह किसी विशिष्ट वर्ष या अवधि में जन्म लिए बच्चे की पांच वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मृत्यु की संभावना है। | ↓ 41.9 | 49.7 |
| **15-49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया** | ↑ 57.7% | 53.1% |
| **6-59 माह की आयु के बच्चों में एनीमिया** | ↑ 67.1% | 58.6% |
| **20-24 वर्ष की आयु की ऐसी महिलाएं, जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ (%)** | ↓ 23.3% | 26.8% |
| **25-29 वर्ष की आयु के ऐसे पुरुष जिनका विवाह 21 वर्ष की आयु से पहले हुआ (%)** | ↓ 17.7% | 20.3% |
| **संस्थागत प्रसव** | ↑ 88.6% | 78.9% |
| **5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो ठिगनेपन (Stunted) से पीड़ित हैं (आयु के अनुरूप लम्बाई कम होना)** | ↓ 35.5% | 38.4% |
| **5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो दुबलेपन (Wasted) से पीड़ित हैं (ऊंचाई के अनुरूप वजन कम होना)** | ↓ 19.3% | 21% |
| **5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कम (Underwight) है (आयु के अनुरूप वजन कम होना)** | ↓ 32.1% | 35.8% |

## 5.2. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** और **विश्व बैंक** ने संयुक्त रूप से **"ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज: 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग[96]"** रिपोर्ट जारी की।

**सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के बारे में**

- UHC का अर्थ है कि **सभी लोगों को वित्तीय कठिनाई के बिना हर तरह की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच** प्राप्त हो।
  - इसमें **स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से लेकर रोगों की रोकथाम, उपचार, रिकवरी तथा इलाज से पहले सामान्य देखभाल तक** आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के सभी घटक शामिल हैं।
- **UHC के मुख्य आयाम: स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, वित्तीय जोखिम से सुरक्षा, सेवाओं की गुणवत्ता** आदि।

**सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए की गई पहलें**

- **आयुष्मान भारत योजना:** इसका उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का पूरा समाधान करने के लिए उपाय करना है।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन:** यह टेलीमेडिसिन जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देकर और स्वास्थ्य सेवाओं की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को सक्षम करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच में सुधार करेगा।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017:** इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना और कम कीमत पर सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है।
- **सघन मिशन इंद्र धनुष:** इसमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीके से वंचित रह गए 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है।

## 5.3. आंगनवाड़ी (Anganwadi System)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने दिव्यांग बच्चों पर नज़र रखने एवं उनकी मदद करने के लिए '**दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल[97]**' शुरू किया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- यह प्रोटोकॉल, **पोषण (POSHAN) अभियान** के तहत **दिव्यांगजनों** की समावेशी देखभाल के लिए बनाया गया एक **सामाजिक मॉडल** है। इस मॉडल को निम्नलिखित तीन चरण वाले तरीके से लागू किया जा रहा है:
  - **दिव्यांगता के आरंभिक लक्षणों की पहचान के लिए स्क्रीनिंग,**
  - **दिव्यांगों को सामुदायिक आयोजनों में शामिल करना** और **उनके परिवारों को सशक्त बनाना,**
  - **आशा (ASHA) / ANM (ऑक्सीलियरी नर्स मिडवाइफ) और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) की टीम के माध्यम** से **रेफरल सहायता प्रदान** करना।
- यह प्रोटोकॉल, **बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा[98], 2022** के अनुरूप है।

**आंगनवाड़ी के बारे में**

- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - आंगनवाड़ी प्रणाली, **आंगनवाड़ी सेवा योजना** के तहत शुरू की गई थी। यह प्रणाली **समेकित बाल विकास सेवा (ICDS)[99]** योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है (इन्फोग्राफिक देखें)। ज्ञातव्य है कि **आंगनवाड़ी सेवा योजना** को अब **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** का नाम दिया गया है।

---

[96] Tracking Universal Health Coverage: 2023 Global Monitoring

[97] Anganwadi Protocol for Divyang Children

[98] National Curriculum Framework for Foundational Stage

[99] Integrated Child Development Service




© Vision IAS

- आंगनवाड़ी सेवा योजना, **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के अंतर्गत **एक केंद्र प्रायोजित योजना** है।
  - **आंगनवाड़ी सेवा योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
    - **बच्चों (0-6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार** करना, और
    - **मृत्यु दर, बीमारी/ रोगों और कुपोषण की व्यापकता को कम** करना।

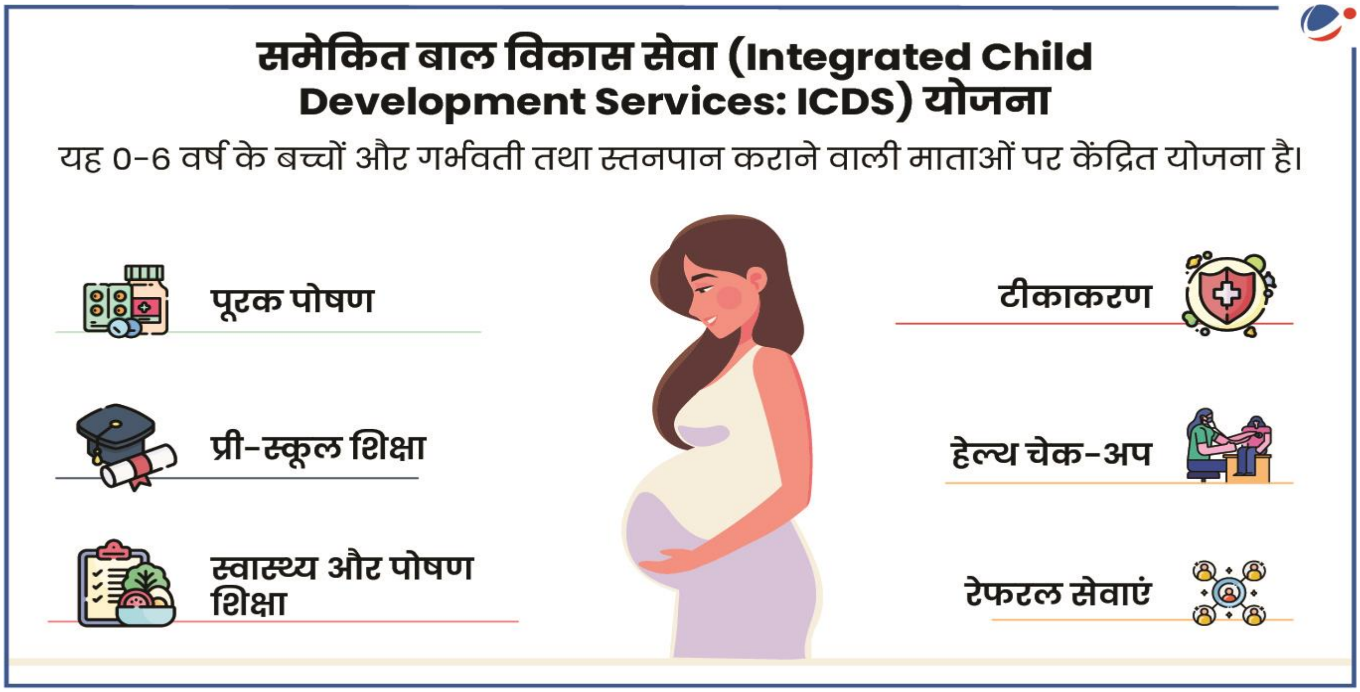


- **आंगनवाड़ी प्रणाली की स्थिति/ पैठ:**
  - इस प्रणाली में शामिल आंगनवाड़ी केंद्र (AWCs), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWWs) एवं आंगनवाड़ी सहायिकाएं (AWHs) प्रतिदिन 8 करोड़ से अधिक बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में संलग्न हैं। यह प्रणाली 'बाल्यावस्था की देखभाल' में एक वैश्विक रोल मोडल के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है।
- **डिजिटल समावेशन:**
  - **आंगनवाड़ी केंद्रों** को डिजिटल रूप से मजबूत किया गया है। इसमें पोषण (POSHAN) ट्रैकिंग सिस्टम के लिए स्मार्टफोन और निगरानी के लिए उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।
  - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कुशल सेवा वितरण और उनके कार्यों के बेहतर प्रदर्शन के लिए **'पोषण ट्रैकर' (Poshan Tracker)** का सहयोग लिया जा रहा है।
  - इस मोबाइल आधारित एप्लिकेशन का उपयोग बच्चों में **ठिगनेपन (Stunting), दुबलेपन (Wasting)** और **कम वजन (Underweight)** की व्यापकता की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही, इसका उपयोग पोषण सेवा वितरण की लास्ट माइल ट्रैकिंग के लिए भी किया जा रहा है।
- **पारिश्रमिक:**
  - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सरकार द्वारा **प्रति माह निर्धारित मानदेय का भुगतान** किया जाता है। इसे सरकार समय-समय पर निर्धारित करती है।
    - केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर **4,500 रुपये प्रतिमाह** कर दिया है।

**सक्षम आंगनवाड़ी**

- यह आंगनवाड़ी केंद्रों के **सुधार के लिए किया गया एक टार्गेटेड हस्तक्षेप** है। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उन्हें देश भर में मजबूत व अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही, उनका कायाकल्प भी किया जाएगा।
- आंगनवाड़ियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अलावा, **सक्षम आंगनवाड़ी के तहत निम्नलिखित पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा:**
  - **आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में किशोरियां (14-18 वर्ष)।**
  - **प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) तथा प्रारंभिक प्रोत्साहन/ प्रेरणा (0-3 वर्ष)।**
- इसके तहत, **आवश्यक अपग्रेडेशन के लिए दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (प्रत्येक वर्ष 40,000) को मजबूत किया जाएगा।** यह निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन करेगा:
  - **स्मार्ट लर्निंग ऐड (Aids), ऑडियो-एंड-वीडियो टूल्स, वाटर प्यूरीफायर और रेन-वाटर हार्वेस्टर** जैसे उपकरण।

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को **पोषण अभियान के तहत ICDS-CAS**[100] का उपयोग करने के लिए **प्रति माह 500 रुपये का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन** भी दिया जाता है।
  - ICDS- CAS **अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को डेटा एकत्र करने की सुविधा** प्रदान करता है।
  - यह एक छह-स्तरीय **डैशबोर्ड** है, जो रजिस्टर की जगह स्मार्टफोन के उपयोग को सक्षम बनाता है।
- इसके अलावा, अधिकांश राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश **अपने संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय का भुगतान** कर रहे हैं।
- **बीमा कवरेज:** आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को निम्नलिखित योजनाओं के तहत कवर किया गया है:
  - प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY);
  - प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY); तथा
  - आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना (AKBY)
- **अन्य लाभ:** सवैतनिक अवकाश, पदोन्नति में आरक्षण, वर्दी और अनुकरणीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य प्रोत्साहन एवं पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।

**राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM)[101] या पोषण (POSHAN) अभियान के बारे में**

- इसे 2017 में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की **निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य तय करने और मार्गदर्शन करने** के लिए शुरू किया गया था।
- पोषण अभियान का उद्देश्य भारत के सबसे अधिक कुपोषण की व्यापकता वाले चिन्हित जिलों में **ठिगनेपन को कम** करना है। यह कार्य **आंगनवाड़ी की प्रमुख सेवाओं के उपयोग में सुधार करके** संपन्न किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य **बच्चों, माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए समग्र विकास एवं पर्याप्त पोषण सुनिश्चित** करना है।

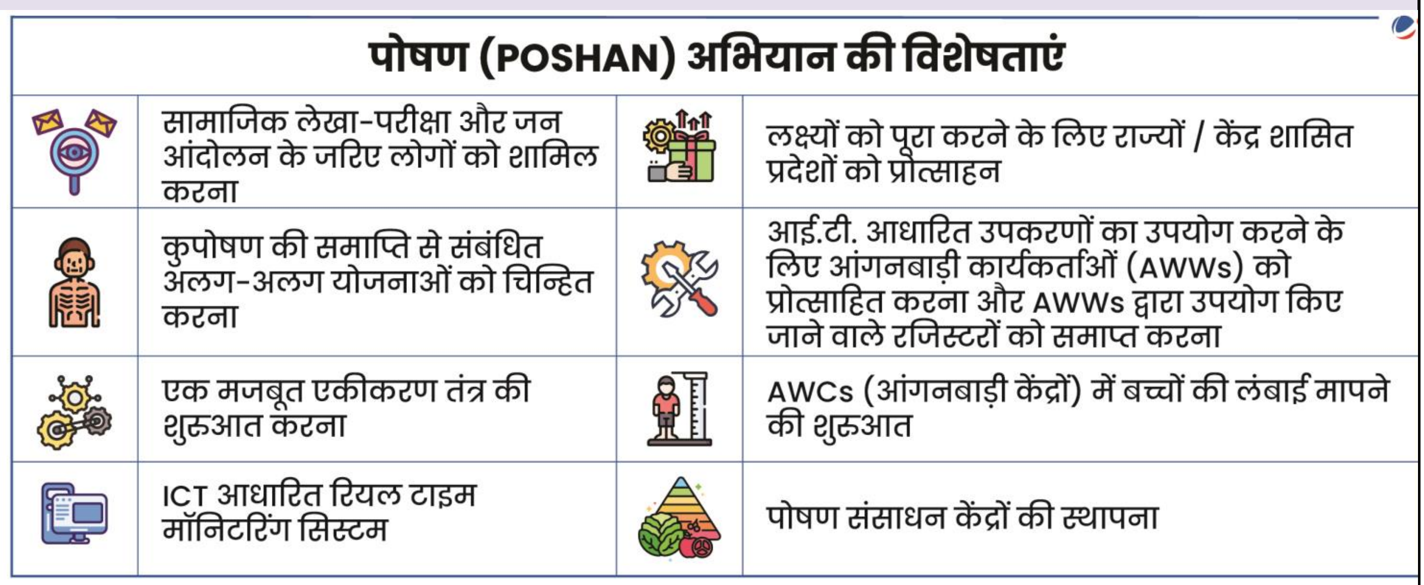


| जमीनी स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता | | | |
|---|---|---|---|
| विशिष्टता | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) | सहायक नर्स मिडवाइफ (Auxiliary Nurse Midwife: ANM) | आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ Accredited Social Health Activist: ASHA) |
| योजना | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ICDS | राष्ट्रीय ग्रामीण/ शहरी स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) | |

[100] Integrated Child Development Service-Common Application Software

[101] National Nutrition Mission

| | | | |
|---|---|---|---|
| कार्यस्थल | आंगनवाड़ी केंद्र | स्वास्थ्य उप-केंद्र और अतिरिक्त रूप से गांवों का दौरा करना | • ग्राम स्तर पर |
| प्रमुख भूमिकाएं | लाभार्थियों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और विकास प्रदान करना | • टीकाकरण और संस्थागत-प्रसव सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है | • हेल्थ को सही बनाए रखने वाले कारकों के बारे में जागरूकता पैदा करना<br>• बच्चों के जन्म के समय या अन्य तैयारियों को लेकर महिलाओं, परिवारों और किशोरों को परामर्श देना<br>• उपचारात्मक देखभाल और अन्य चीजों की आपूर्ति |
| प्रोत्साहन | केंद्र द्वारा तय किया गया मानदेय और प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन | • केंद्र द्वारा तय किया गया मानदेय | • नियमित तौर पर और कुछ समय अंतराल पर होने वाली गतिविधियों के लिए प्रति माह 2,000 रुपये के निश्चित मासिक प्रोत्साहन के अलावा कार्य/ गतिविधि आधारित प्रोत्साहन |

## 5.4. जल, स्वच्छता और साफ-सफाई (Water, Sanitation and Hygiene: WASH)

**सुर्ख़ियो में क्यों?**

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **'असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और साफ-सफाई से जुड़ी बीमारियों का बोझ (WASH)[102]'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

**WASH के बारे में**

- **वॉश (WASH):** यह जल, स्वच्छता और साफ-सफाई के लिए एक सामूहिक शब्द है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **सुरक्षित पेयजल तक पहुंच,**
  - **स्वच्छता की बेहतर सुविधाएं,** और
  - **साफ-सफाई के आधारभूत स्तर को बनाए रखना।**
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG)-6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता):** इसका उद्देश्य सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता तथा संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, यदि सुरक्षित वॉश (WASH) सेवाओं का उपयोग किया गया होता, तो 2019 में वैश्विक स्तर पर हुई **कुल मौतों में से 2.5%** को रोका जा सकता था। साथ ही, इसकी सहायता से कुल दिव्यांगता-समायोजित जीवन वर्षों (DALYs)[103] की हानि को **2.9%** से कम किया जा सकता था।
- **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)[104] के अनुसार, भारत की वर्तमान स्थिति:**
  - एक अनुमान के अनुसार, भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या में 450 मिलियन की कमी आई है।
  - स्वास्थ्य सुविधाओं में वॉश (WASH) सेवाओं की कमी नवजात शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का कारण बनती हैं। वर्तमान में, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर नवजात मृत्यु दर लगभग 24 है।
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ/ UNICEF) ने **"ट्रिपल थ्रेट" शीर्षक से एक रिपोर्ट** जारी की है। इस रिपोर्ट में **बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले 'जल, साफ-सफाई और स्वच्छता' (WASH)** से संबंधित खतरों के **'तिहरे बोझ'** का परीक्षण किया गया है।
  - **तिहरे बोझ/खतरे को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है:**
    - **जल या स्वच्छता संबंधी मूलभूत सेवाओं की 50 प्रतिशत से भी कम उपलब्धता होना।**
    - **शीर्ष 20 देशों** में 5 वर्ष से कम आयु के **बच्चों की सर्वाधिक मौतों के लिए असुरक्षित WASH पद्धतियों** का उत्तरदायी होना।



[102] Burden of disease attributable to unsafe drinking-water, sanitation and hygiene

[103] Disability-Adjusted Life Years

[104] United Nations Children's Fund

- यूनिसेफ के 'चिल्ड्रेन्स क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CCRI)' के तहत **जलवायु और पर्यावरण संबंधी खतरों का उच्चतम जोखिम, शीर्ष 25 प्रतिशत देशों** में होना।

## भारत द्वारा WASH के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **जल संबंधी:** पेयजल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (WOMIS); जल जीवन मिशन; नमामि गंगे कार्यक्रम
- **सैनिटेशन:** स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G); स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U)
- **हाइजीन:** किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना
- **ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में:** रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम (RWPF); कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT)

## WASH के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलें

- **WHO-WASH रणनीति, 2018-25**
- **WASH 2016-2030 के लिए UNICEF की रणनीति:** इसका उद्देश्य 2030 तक SDG-6 हासिल करना है।
- **UN सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड (SHF):** सबसे अधिक बीमारी के बोझ वाले देशों को यथाशीघ्र वित्त-पोषण प्रदान करने के लिए इसे 2020 में आरंभ किया गया था।
- **सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल (SWA):** सरकार एवं नागरिक समाज संगठनों आदि की वैश्विक साझेदारी के लिए यूनिसेफ द्वारा इसे शुरू किया गया था।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

# सरकारी योजनाएं
# त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

## सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

### 1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

### 2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

### 3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

**'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन'** एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

# 6. पोषण और स्वच्छता (Nutrition and Sanitation)

## 6.1. वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index: GHI)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2023 जारी किया गया। GHI को **कंसर्न वर्ल्डवाइड (आयरलैंड का एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन)** और **वेल्टहंगरहिल्फे (जर्मनी का एक निजी सहायता संगठन)** जारी करते हैं।

**GHI के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **वैश्विक प्रवृत्तियां:**
  - 2015 से, **भुखमरी (हंगर) के खिलाफ दुनिया भर में प्रगति काफी हद तक रुकी** हुई है। यह रुकावट **कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव** जैसे कई संकटों के संयुक्त प्रभावों को दर्शाती है।

- विश्व में सर्वाधिक भुखमरी **दक्षिण एशिया और अफ्रीका (सहारा मरुस्थल के दक्षिण में)** में है। दोनों क्षेत्रों के लिए GHI स्कोर **27.0** है।

- **GHI 2023 में भारत से संबंधित निष्कर्ष:**
  - इस सूचकांक में **125 देशों** में भारत **111वें स्थान** पर है। भारत का **GHI स्कोर 28.7** है। **GHI स्केल पर भारत को 'गंभीर (Serious) श्रेणी'** में रखा गया है।
    - **2015 में भारत का GHI स्कोर 29.2** था। ऐसे में, **2023 का स्कोर 2015 के स्कोर में मामूली सुधार** दर्शाता है।
  - **भारत की स्थिति: अल्पपोषण (16.6%), बाल ठिगनापन (35.5%), बाल दुबलापन (18.7%) और बाल मृत्यु दर (3.1%)**
- हालांकि, भारत सरकार ने इसकी **गणना की विधि, अपर्याप्त सैम्पल साइज** और **अनुचित स्रोतों से डेटा जुटाने** के कारण GHI पर आपत्ति जताई है।

## 6.2. खुले में शौच से मुक्त का दर्जा {Open Defcation Free (ODF) Status}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

सितंबर, 2023 तक **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के फेज़-II** के तहत **भारत के कुल गांवों में से 75 प्रतिशत गांव 'ODF प्लस' घोषित** किए जा चुके थे।

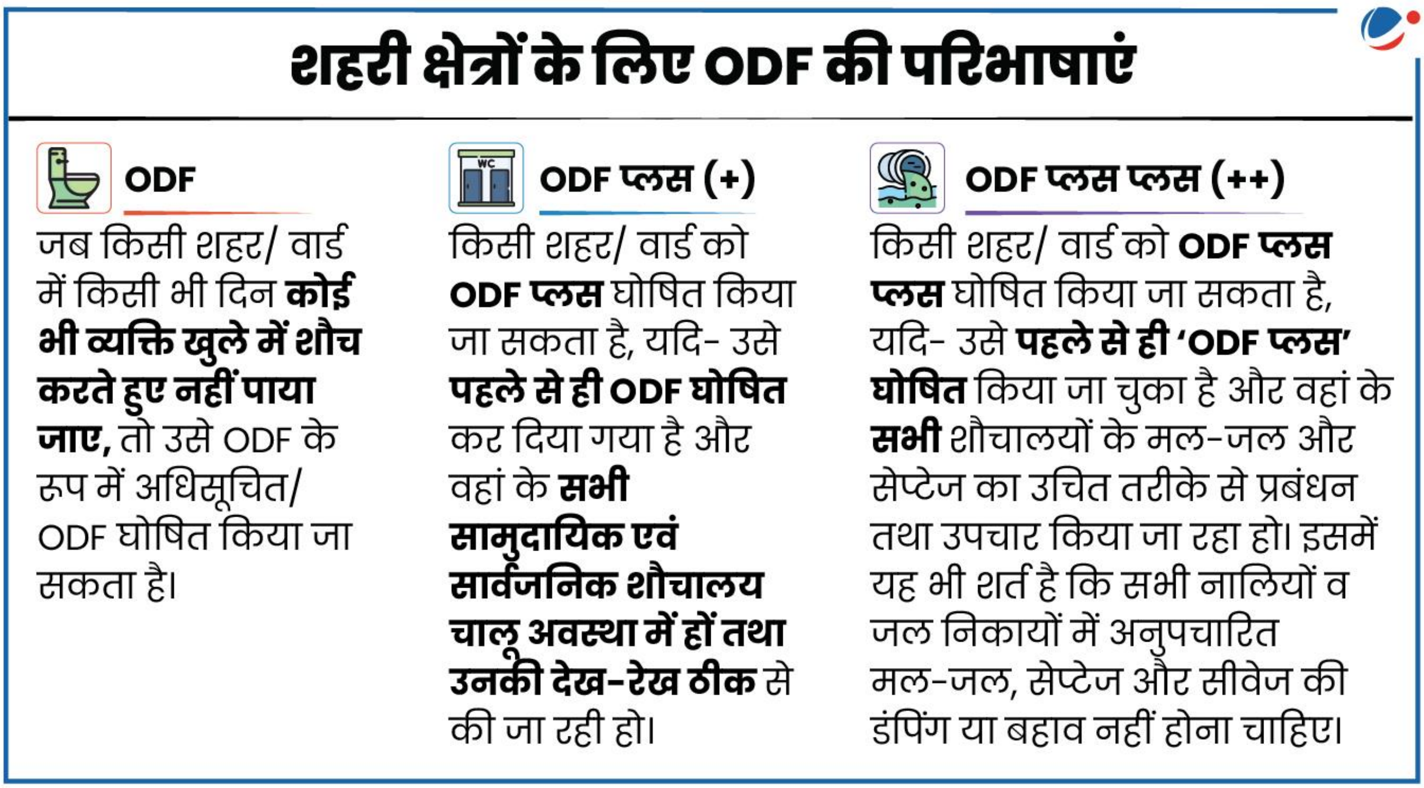


**ODF दर्जे के बारे में**

- **खुले में शौच (या मल-जल) नहीं करना अर्थात् इसकी समाप्ति** को ही ODF कहा जाता है। इसे निम्नलिखित तरीके से भी परिभाषित किया जाता है:
  - **आस-पास के क्षेत्र/ गांव में खुले में शौच का कोई सबूत नहीं दिखना चाहिए;** और
  - प्रत्येक घर के साथ-साथ सार्वजनिक/ सामुदायिक संस्थान मल-जल के निपटान के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं।
- **ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों** को लागू करने के साथ-साथ **अपनी ODF की स्थिति को बरकरार** रखने वाले गाँव को **ODF प्लस गाँव** घोषित किया जाता है।
- **ODF प्लस मॉडल गाँव:** ऐसा गाँव जिसने **ODF का दर्जा तो बरकरार** रखा ही है, और साथ ही वहां-
  - **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** और **तरल अपशिष्ट प्रबंधन, दोनों की व्यवस्था** है;


© Vision IAS

- **स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है,** अर्थात् न्यूनतम कूड़ा-करकट, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल, सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक के कचरे को न फेंकना; और
- ODF प्लस से संबंधित **सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC)**[105] संबंधी संदेश को सार्वजानिक रूप से डिस्प्ले भी किया जाता है।

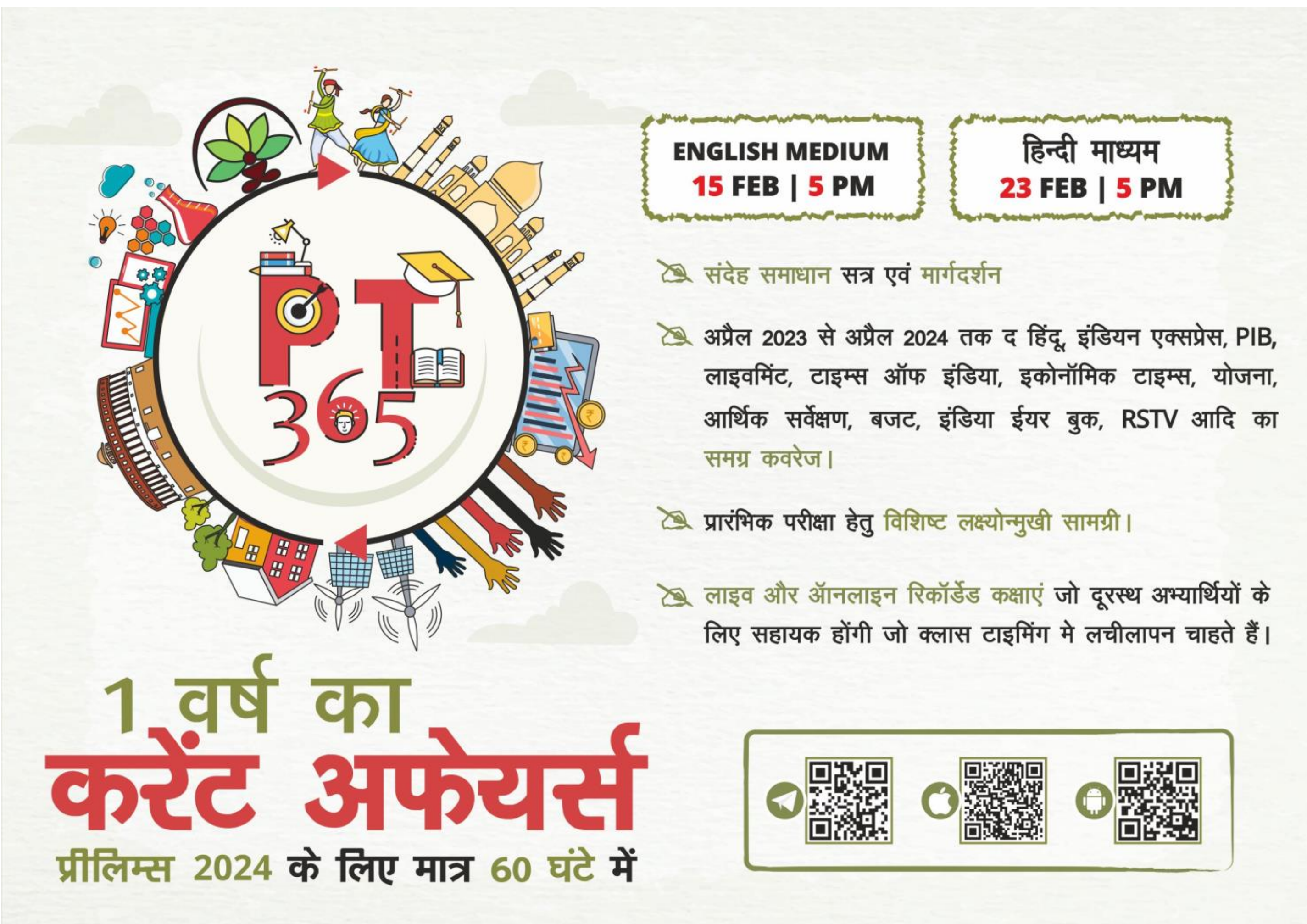




105 Information, Education & Communication

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

www.visionias.in
8468022022, 9019066066

# VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

## PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

**PT365 की विशेषताएं**

### व्यापक कवरेज
- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

### स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी
- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

### QR आधारित स्मार्ट क्विज
- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

### इन्फोग्राफिक्स
- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

### सरकारी योजनाएं और नीतियां
- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

### नया क्या है?
- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

## PT 365 का महत्त्व

**रिविजन में आसानी:** कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

**वैल्यू एडिशन:** इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

**क्रिस्प मटेरियल:** आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

**इंटीग्रेटेड एप्रोच:** UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

# 7. सुर्ख़ियों में रहे संगठन (Organizations in News)

## 7.1. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund: UNFPA)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

UNFPA ने इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस (IIPS) के सहयोग से **"इंडिया एजिंग रिपोर्ट, 2023"** जारी की।

**UNFPA के बारे में**

- **उत्पत्ति:** इसे **1967** में एक ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसने 1969 में कार्य करना शुरू किया।
- **मुख्यालय: न्यूयार्क (यू.एस.ए.)**
- यह **संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक निकाय** है।
- यह **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC)** के समग्र नीतिगत मार्गदर्शन में कार्य करता है।
- **सौंपे गए कार्य:** विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए यौन तथा जनन संबंधी अधिकारों एवं प्राथमिकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - इसके कार्य **जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICPD) के प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1994** से निर्देशित होते हैं।
- **प्रमुख लक्ष्य: 2030 तक "थ्री जीरो" का लक्ष्य हासिल करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-**
  - परिवार नियोजन के साधनों की अनुपलब्धता की स्थिति को समाप्त करना।
  - प्रसव के दौरान व प्रसव के पश्चात् मातृ मृत्यु को समाप्त करना।
  - जेंडर आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना।
- **अन्य प्रमुख जानकारी:**
  - यह जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली कई अन्य विकास और मानवीय एजेंसियों, विशेष रूप से **WHO, यूनिसेफ, UNDP तथा UNAIDS** के साथ सहयोग करता है।
  - यह **"स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट"** जारी करता है।

**विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023: 8 बिलियन लोग और अनंत संभावनाएं**[106]

- यह **UNFPA द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट** है। इसमें दुनिया की आबादी और जनसांख्यिकी में होने वाले बदलावों तथा इसकी प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है।
- **रिपोर्ट में भारत के संबंध में प्रमुख निष्कर्ष:**
  - **सबसे अधिक आबादी वाला देश:** भारत की **जनसंख्या के 2023 के मध्य तक 1428.6 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान** है। इसके साथ ही भारत **वर्तमान सर्वाधिक आबादी वाले देश चीन (1425.7 मिलियन) की जगह ले लेगा।**
  - **सबसे युवा देशों में से एक: भारत की लगभग 68% जनसंख्या 15-64 वर्ष आयु वर्ग की है और लगभग 26% जनसंख्या 10-24 वर्ष के बीच की है।** इस तरह भारत विश्व के **सबसे युवा आबादी वाले देशों** में से एक है।
  - **वृद्ध आबादी का बढ़ना निश्चित है:** वर्तमान में **7% भारतीय आबादी 65 वर्ष से अधिक आयु की है** और इस अनुपात का धीरे-धीरे बढ़ना तय है।
  - **गिरती प्रजनन दर:** वर्तमान में **कुल प्रजनन दर 2.0 है**, जो 2015-16 में 2.2 से कम हो गई है।
  - **जीवन प्रत्याशा में सुधार: एक भारतीय पुरुष की औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है** और **भारतीय महिला की 74 वर्ष** है।
- **अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष:**
  - **वैश्विक जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.8 वर्ष** तक पहुंच गई थी। इसके **2050 तक 77.2 वर्ष** तक पहुंचने की उम्मीद है।
  - **कई उच्च आय वाले देशों में प्रवासन को जनसंख्या वृद्धि का एकमात्र चालक माना गया है।**

[106] State of World Population Report 2023: 8 Billion Lives Infinite Possibilities




© Vision IAS

- **वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में 50% हिस्सेदारी केवल 8 देशों की होगी।** ये देश हैं- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मिस्र, इथियोपिया, **भारत,** नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया।

## 7.2. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग (UN Department of Economic and Social Affairs: UNDESA)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

संयुक्त राष्ट्र ने **"सतत विकास लक्ष्य (SDG) प्रगति रिपोर्ट 2023: विशेष संस्करण[107]"** जारी की है।

**UNDESA के बारे में**

- इसकी उत्पत्ति **संयुक्त राष्ट्र चार्टर** के आधार पर हुई है।
- **मुख्यालय:** न्यूयार्क (यू.एस.ए.)
- इसे सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी 2030 एजेंडा से मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
- यह दुनिया भर के **देशों को उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद** करता है। इसके लिए वह सरकारों और हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करता है।
- **अन्य रिपोर्ट्स:** पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट आदि।

**रिपोर्ट के मुख्य बिंदु**

- **SDG के 50 प्रतिशत से अधिक लक्ष्यों** की प्राप्ति की दिशा में प्रगति **कमजोर** रही है; **जबकि 30 प्रतिशत लक्ष्यों की दिशा में प्रगति रुक** सी गई है या पहले जैसी स्थिति हो गई है।
- SDGs की प्रगति पर **कोविड-19 महामारी तथा तिहरे संकट (जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण)** का अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है।
- **वर्ष 2030 तक, लगभग 84 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर होंगे,** यानी शिक्षा से वंचित होंगे। साथ ही, स्कूल जाने वाले 300 मिलियन बच्चे या युवा स्कूल छोड़ देंगे तथा वे पढ़ने और लिखने में असमर्थ हो जाएंगे।
- यदि वर्तमान गति से प्रगति जारी रहती है, तो **2030 में भी 575 मिलियन लोग चरम गरीबी** में जी रहे होंगे।

## 7.3. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग (UN Commission on Population and Development: UNCPD)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

UNCPD का 56वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया।

**UNCPD के बारे में**

- **उत्पत्ति: UN आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 1946** में एक जनसंख्या आयोग की स्थापना की थी।
  - बाद में **1994 में महासभा** ने इसका नाम बदलकर **जनसंख्या और विकास आयोग** कर दिया था।
- **मुख्यालय:** न्यूयार्क (यू.एस.ए.)
- **सदस्यता:** यह आयोग आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने गए **47 सदस्य देशों से मिलकर** बना है। इन्हें **चार साल की अवधि** के लिए चुना गया है।
  - **भारत 2025 तक इसका सदस्य रहेगा।**

[107] Sustainable Development Goals (SDG) Progress Report 2023: Special Edition

- **कार्य:** राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर "इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट" के "प्रोग्राम ऑफ एक्शन" के कार्यान्वयन की निगरानी, समीक्षा तथा मूल्यांकन करते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद को सलाह देना।

## 7.4. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति (UN Committee on Rights of the Child: UNCRC)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति (UNCRC) ने पहली बार बच्चों के स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और सतत पर्यावरण में रहने के अधिकार पर मार्गदर्शन जारी किया है।

**UNCRC के बारे में**

- CRC **18 स्वतंत्र विशेषज्ञों** का एक निकाय है। यह UNCRC के पक्षकारों द्वारा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
  - UNCRC को **1989** में अपनाया गया था। यह **जीवन, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, उत्तरजीविता तथा विकास सहित अन्य बाल अधिकारों को भी रेखांकित** करता है।
  - इसकी **भारत सहित 196 देशों** ने अभिपुष्टि की है।
- **सभी पक्षकार देश** कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में **UNCRC को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं।**
- यह बाल अधिकारों पर कन्वेंशन[108] के उल्लंघन का **आरोप लगाने वाली व्यक्तिगत शिकायतों पर भी विचार करता** है।
- समिति की बैठक **जिनेवा** में होती है और सामान्यतः **प्रत्येक वर्ष तीन सत्र आयोजित होते** हैं।

## 7.5. विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP)

**सुर्ख़ियो में क्यों?**

वर्ष 2023 में **विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)** को अपने काम-काज को जारी रखने हेतु आवश्यक वित्त का आधा हिस्सा ही प्राप्त हुआ है।

**WFP के बारे में**

- यह **संयुक्त राष्ट्र** और **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसकी **स्थापना दिसंबर 1961** में हुई थी।
- **मुख्यालय:** रोम, इटली
- WFP 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों में कार्य करता है। यह **संघर्ष के कारण विस्थापित तथा आपदाओं के कारण बेसहारा हो चुके लोगों के लिए जीवन रक्षक खाद्य सामग्री प्रदान** करता है।
- **वित्त-पोषण:** WFP का वित्त-पोषण **स्वैच्छिक दान** पर आधारित है। यह दान सरकारों, कॉर्पोरेट्स और निजी दानदाता द्वारा दिया जाता है।
- **भुखमरी को समाप्त करने के प्रयासों के लिए इसे 2020 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित** किया गया है।
- **रिपोर्ट्स**: ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फ़ूड एंड क्राइसिस
- **भारत में WFP**
  - यह **भारत में 1963 से कार्य** कर रहा है।
  - **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बदलाव:** नवाचारी समाधानों को संचालित करना, उदाहरण के लिए- हाल ही में, **चावल के लिए 'अन्नपूर्ति (Annapurti)' नामक अनाज वितरित करने वाले स्वचालित ATMs** लगाए गए हैं। इनका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना है।
  - **सरकार द्वारा वितरित खाद्य-पदार्थ का फोर्टिफिकेशन:** सरकारी स्कूलों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत **भोजन में बहु-सूक्ष्म पोषक तत्वों के फोर्टिफिकेशन हेतु** अग्रणी कार्य कर रहा है।

[108] Convention on Rights of the Child




© Vision IAS

- **खाद्य असुरक्षा मैपिंग और निगरानी:** WFP राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा विश्लेषण इकाई की स्थापना में गरीबी एवं मानव विकास निगरानी एजेंसी की भी सहायता कर रहा है।

## 7.6. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (International Food Policy Research Institute: IFPRI)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) ने **"वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023: खाद्य संकट संबंधी प्रतिक्रियाओं पर पुनर्विचार[109]"** शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

**IFPRI के बारे में**

- **इसकी स्थापना 1975 में की गई थी।** यह **अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह (CGIAR) का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है।**
    - CGIAR एक वैश्विक भागीदारी है। इसकी स्थापना 1971 में एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई थी, जो एक खाद्य सुरक्षित भविष्य के लिए अनुसंधान में संलग्न है।
- **मुख्यालय: वाशिंगटन डी. सी.** (यू.एस.ए.)
- यह **भारत** सहित **60 से अधिक देशों में काम करता है।**
- यह गरीबी, भूखमरी और कुपोषण को कम करने के लिए **शोध-आधारित नीतिगत समाधान प्रदान करता** है।

**इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **खाद्य असुरक्षा:** वर्ष 2020-2022 के दौरान कई कारणों से **खाद्य असुरक्षा में वृद्धि** हुई है। इन कारणों में शामिल हैं: कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, नागरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता।
    - **जलवायु परिवर्तन के कारण** 2050 तक **72 मिलियन से अधिक लोग** अल्पपोषित हो जाएंगे।
- **खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि:** कोविड-19 रिकवरी में आपूर्ति संबंधी बाधाओं और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण 2021-22 में खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी। कई देशों में जरूरी खाद्य पदार्थों[110] की कीमतों में कम-से-कम 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे कई लोगों के लिए भोजन अवहनीय हो गया।

## 7.7. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHRC) ने **"द ग्लोबल ट्रेंड्स: फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2022"** शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

**UNHCR के बारे में**

- इसकी स्थापना **संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1950** में की गई थी।
- **मुख्यालय:** जिनेवा (स्विट्जरलैंड)
- यह भारत सहित 137 देशों में कार्य करता है।
- **संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने मूल देशों से भागने को विवश लोगों** के जीवन को बचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा **उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना।**

[109] Global food policy report 2023: Rethinking food crisis responses

[110] Basic food basket

- यह **शरणार्थी और शरण संबंधी कानूनों एवं नीतियों में सुधार लाने व उनकी निगरानी करने के लिए देशों के साथ मिलकर कार्य** करता है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। .
- **वर्ष 1951 का शरणार्थी कन्वेंशन** और **1967 का प्रोटोकॉल** ऐसे प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं, जिनके आधार पर UNHCR अपना काम-काज निर्धारित करता है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु**
    - **दुनिया भर में लगभग 108.4 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित** (Forcibly displaced) किया गया है। इसके लिए उत्तरदायी कारण हैं: लोगों का उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन आदि।
        - वर्ष 2022 में **सामाजिक और जलवायु संकट के कारण जबरन पलायन करने वाले लोगों की संख्या** 2021 की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक थी।
        - जबरन विस्थापित किए गए लोगों में **30 प्रतिशत बच्चे थे।**
    - **निम्न और मध्यम आय वाले देशों ने विश्व के 76 प्रतिशत शरणार्थियों को शरण दी हुई है।**
    - विश्व में **लगभग 4.4 मिलियन लोग राष्ट्र-विहीन** हैं या उनकी राष्ट्रीयता निश्चित नहीं है। यह आंकड़ा 2021 की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक है।
    - वर्ष 2022 में **6 मिलियन विस्थापित लोग अपने मूल देशों या क्षेत्रों में वापस लौट** आए।

## 7.8. राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (GANHRI)** ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)[111] को प्रत्यायन (Accreditation/ मान्यता) प्रदान करने का प्रस्ताव **टाल** दिया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- GANHRI ने **लगातार दूसरी बार NHRC को प्रत्यायन प्रदान करने का विचार टाल** दिया है। इस निर्णय के पीछे निम्नलिखित कारण हैं-
    - आयोग के **सदस्यों की नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप,**
    - मानवाधिकारों के उल्लंघन की **जांच में पुलिस को शामिल करना,**
    - **नागरिक समाज के साथ कम सहयोग** करना आदि।
- **GANHRI के प्रत्यायन के बिना, NHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं** कर सकेगा।

**राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (GANHRI) के बारे में**

- इसकी स्थापना 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की **अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (ICC)** के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों का प्रचार-प्रसार और संरक्षण करना है।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- **सदस्य: 120 देशों के राष्ट्रीय मानव संसाधन संस्थान,** जिनमें **भारत का NHRC भी शामिल** है।
- **महासभा,** GANHRI की विचार-विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्था है।
- GANHRI प्रत्येक पांच वर्षों के अंतराल में **राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (NHRIs) की समीक्षा करने और उन्हें आधिकारिक मान्यता देने के लिए जिम्मेदार** है। GANHRI यह कार्य **पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन** के आधार पर करता है।
    - संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **1993 में पेरिस सिद्धांतों को अपनाया** था। ये सिद्धांत दुनिया भर के NHRIs के लिए **मानकों के विकास में मदद** करते हैं।

---

[111] National Human Rights Commission


© Vision IAS

**पेरिस सिद्धांतों के तहत अलग-अलग देशों के मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानदंड**

| | |
|---|---|
| **सौंपे गए कार्यों की व्यापकता:** सभी तरह के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए। |
| **काम-काज में व्यापकता:** सलाह, रिपोर्टिंग, निगरानी आदि के जरिए अपने मैंडेट (सौंपे गए कार्य) को पूरा करने के लिए। |
| **सरकार से स्वतंत्र संस्था:** राष्ट्रीय कानून या संविधान में निर्धारित हो। |
| **बहुलवाद (Pluralism):** ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि "मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण में शामिल सामाजिक तत्व" राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान की संरचना में शामिल हैं। |
| **पर्याप्त शक्तियां:** पूछताछ और जांच शुरू करने के लिए। |
| **पर्याप्त संसाधन:** फंडिंग, स्टाफ, बुनियादी ढांचे और संस्थागत क्षमता के लिए। |
| **सहकारी तरीके से कार्य:** राज्य की अन्य संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समूहों के साथ सहयोग करने के लिए। |
| **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी:** अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार निकायों में अपनी विशेषज्ञता व ज्ञान के साथ योगदान देने के लिए। |

**NHRC को प्रत्यायन**

- इससे पहले 2016 में भी, NHRC को **आधिकारिक मान्यता देने के विचार को एक साल के लिए टाल** दिया गया था। बाद में 2017 में GANHRI ने NHRC में विविधता की कमी को दूर करने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश **हाशिए पर स्थित अन्य सामाजिक समूहों की महिला प्रतिनिधियों को शामिल करने** के संबंध में थी।
    - 2019 में **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम** में संशोधन के माध्यम से इन मुद्दों को दूर करने का प्रयास किया गया।
    - इस संशोधन के द्वारा NHRC के **सदस्यों की संख्या में वृद्धि** की गई। इसके तहत **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों तथा दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त को NHRC का पदेन सदस्य** बनाया गया।

## 7.9. देशज मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच (UN Permanent Forum on Indigenous Issues: UNPFII)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **UNPFII के 22वें सत्र का आयोजन** किया गया।

**UNPFII के बारे में**

- **उत्पत्ति:** इसे **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (UNECOSOC)** के एक संकल्प द्वारा जुलाई, 2000 में स्थापित किया गया था।
    - यह **UNECOSOC का एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय** है।

- **मुख्यालय**: न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.)
- **सदस्यता**: 16 स्वतंत्र विशेषज्ञ, जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 3 साल की अवधि के लिए कार्य करते हैं।
    - **8 विशेषज्ञों को सरकारों द्वारा मनोनीत किया जाता है** और 8 को सीधे संबंधित क्षेत्रों के **स्वदेशी संगठनों द्वारा नामांकित किया जाता है।**
    - सरकारों द्वारा नामांकित विशेषज्ञों को ECOSOC द्वारा देशों के 5 क्षेत्रीय समूहों के आधार पर चुना जाता है- अफ्रीका; एशिया; पूर्वी यूरोप; लैटिन अमेरिका और कैरेबियन; तथा पश्चिमी यूरोप तथा अन्य देश।
- **सौंपे गए कार्य:** आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों से संबंधित स्वदेशी मुद्दों से निपटना।
- **स्वदेशी मुद्दों पर ट्रस्ट फ़ंड** इसकी गतिविधियों में सहायता करता है।
- यह विशेष रूप से **देशज लोगों के मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तीन निकायों में से एक है।**
    - अन्य दो निकाय हैं- **देशज लोगों के अधिकारों पर विशेषज्ञ तंत्र**[112] और **देशज लोगों के अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक**[113]।

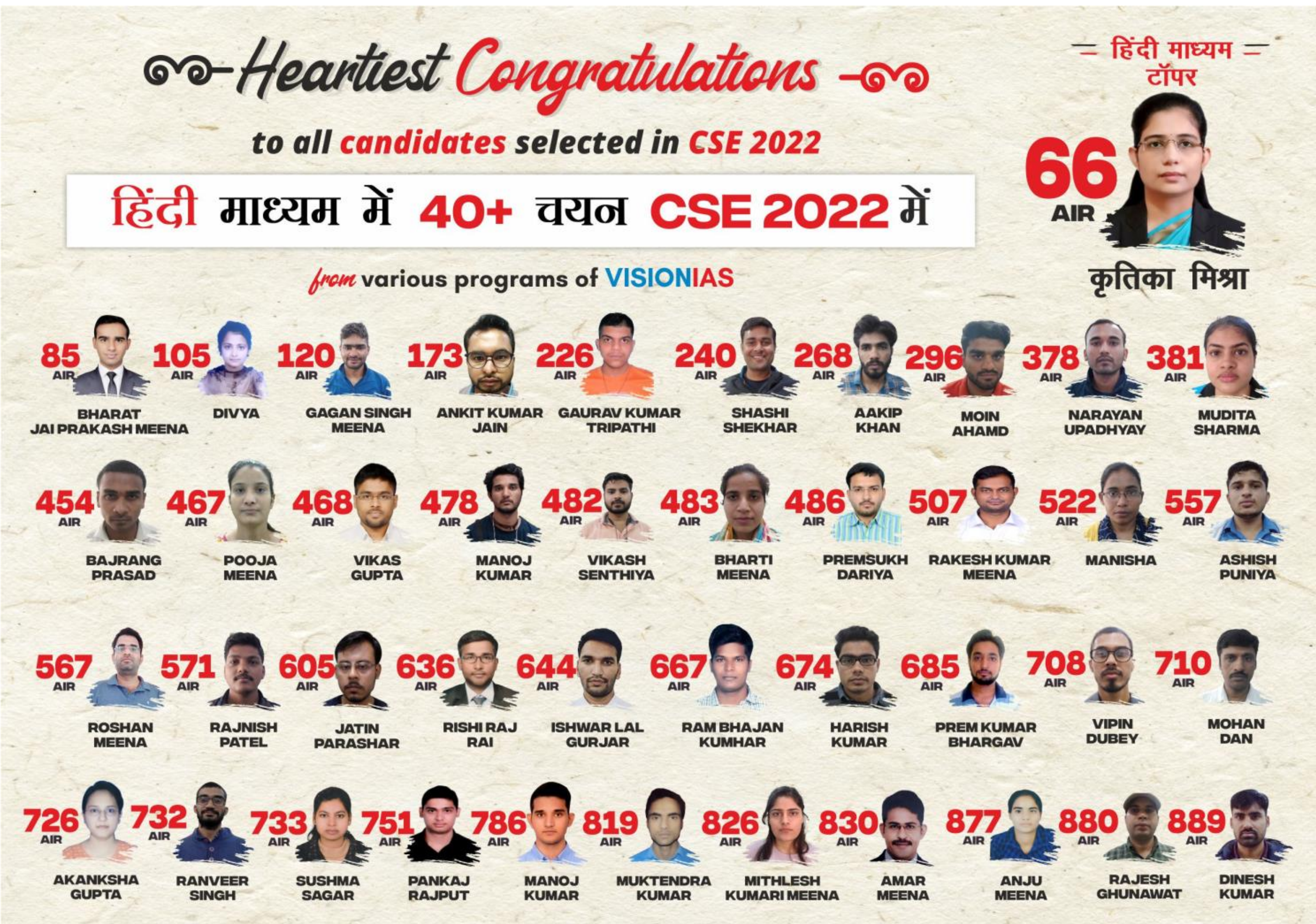


---

[112] Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples

[113] Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples


© Vision IAS

# 8. विविध (Miscellaneous)

## 8.1. भारत में खेल शासन (Sports Governance in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने **भारतीय कुश्ती महासंघ** को मौजूदा नियमों तथा विनियमों की अनदेखी के आधार पर निलंबित कर दिया।

**नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए मुख्य सिफारिशें (नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ़ इंडिया, 2011)**

| | |
|---|---|
| **कानूनी स्थिति**<br>यह साझेदारी फर्म के स्वामित्व की बजाय **स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत निकाय** होना चाहिए। | **आयु और कार्यकाल की सीमा**<br>सभी पदाधिकारियों के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा, पदाधिकारियों के कार्यकाल का विनियमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए- अध्यक्ष हेतु अवकाश लेने और न लेने पर भी 12 वर्षों का कार्यकाल। |
| **दर्जा और मान्यता**<br>इसे मुख्य खेलों के लिए सर्वोच्च निकाय होना चाहिए। साथ ही, इसे अंतर्राष्ट्रीय या एशियाई फेडरेशन और IOA से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। | **खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व**<br>संगठन में प्रमुख खिलाड़ियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। |
| **आंतरिक आवश्यकताएं**<br>लिखित संविधान होना चाहिए, तीन वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए तथा कम-से-कम दो-तिहाई राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में संबद्ध इकाइयां हों | **कार्यालय और लेखा-जोखा**<br>दिल्ली में इसका एक कार्यालय होना चाहिए। साथ ही, सभी वार्षिक वित्तीय विवरणों का उचित लेखा-जोखा बनाए रखा जाना रखना चाहिए। |
| **चुनाव**<br>निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होने चाहिए। | **अन्य**<br>निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया होनी चाहिए, सभी खिलाड़ियों का नियमित डोपिंग टेस्ट किया जाना चाहिए, आयु संबंधी धोखाधड़ी को रोका जाना चाहिए, RTI का पालन करना चाहिए आदि। |

**भारत में सपोर्ट गवर्नेंस के बारे में**

- भारत में खेल **संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 33 में शामिल** है। यह विषय अनिवार्य रूप से संघ के राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
- **भारत में खेल शासन का वर्तमान मॉडल**
  - **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** के अधीन भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)[114] जैसे संस्थानों की स्थापना की गई है। अन्य संस्थान SAI के तहत खेल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

[114] Sports Authority of India

- ○ **भारतीय ओलंपिक संघ (IOA)** के अधीन राज्य ओलंपिक संघ (SOAs) तथा राष्ट्रीय और राज्य खेल महासंघ (NSFs और SFs) कार्य कर रहे हैं।
- ○ **कुछ ऐसे खेल जो अब तक आयोजित ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं** रहे हैं (जैसे- क्रिकेट), उनके प्रशासन के लिए **अलग बोर्ड्स हैं** और ये उन खेलों **के अंतर्राष्ट्रीय संघों से संबद्ध** हैं। **उदाहरण के लिए-**भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से संबद्ध है।

## 8.2. जातिगत जनगणना (Caste Census)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, बिहार सरकार ने राज्य में किए गए जाति सर्वेक्षण पर एक रिपोर्ट जारी की है। गौरतलब है कि राज्य विधान-मंडल ने इस सर्वेक्षण के लिए एक संकल्प (Resolution) पारित किया था।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- बिहार सरकार ने कहा कि **यह सर्वेक्षण व्यापक रूप से जनगणना नहीं** था, बल्कि **जाति जनसांख्यिकी पर केंद्रित** एक **"सामाजिक सर्वेक्षण"** था।

**भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास**

- जनसंख्या की जाति-वार गणना **1881 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के तहत शुरू** की गई थी और यह 1931 की जनगणना तक जारी रही।
- **1941 में,** जाति-आधारित **डेटा एकत्र तो** किया गया था लेकिन उसे **प्रकाशित नहीं** किया गया।
- हालांकि, **स्वतंत्रता के बाद** भारत सरकार ने **पूर्ण जातिगत गणना करनी बंद** कर दी है।
  - ○ स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में केवल **अनुसूचित जाति (SC)** और **अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित डेटा प्रकाशित** किया गया है। इसमें अन्य जातियों से संबंधित डेटा प्रकाशित नहीं किया जाता है।
- 2011 में, एक व्यापक कार्यक्रम के जरिए **सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC)** आयोजित की गई थी। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया था:
  - ○ ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय तथा राज्य सरकारें/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन।
  - ○ 2016 में, **जाति से संबंधित डेटा को छोड़कर SECC डेटा** को अंतिम रूप दिया गया और प्रकाशित किया गया।

**भारत में जनगणना**

- संविधान के **अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय** है। यह **अनुसूची VII के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 69** के तहत निर्दिष्ट है।
- **जनगणना अधिनियम, 1948:** यह अधिनियम जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ जनगणना आयोजित करने की एक योजना प्रदान करता है।
- **गृह मंत्रालय** के तहत, **भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त** को दशकीय जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- बाद में, इस कार्यालय को **जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969** को लागू करने का कार्य भी सौंपा गया।
- **द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग** (मंडल आयोग, 1980) ने अनुमान लगाया था कि **OBCs (अन्य पिछड़ा वर्ग) की आबादी देश की कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत है।**

## 8.3. सतत विकास लक्ष्य (SDGs) के लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क {National Indicator framework (NIF) for SDGs}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** ने **"SDGs-नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF) प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023"** जारी की है।

**नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF) के बारे में**

- NIF में उन संकेतकों को शामिल किया गया है जो **SDG के वैश्विक संकेतकों के संगत हैं**। इसके अलावा, इसमें ऐसे संकेतक भी शामिल हैं जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।
- **ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क** के समान ही **NIF** परिवर्तनशील है अर्थात् जरुरत के अनुसार इसमें नए-नए आयामों को शामिल किया जाता है। वर्तमान **NIF 2023 में 284 संकेतक** हैं।



 © Vision IAS

- वर्ष 2019 में, मंत्रालय ने संबंधित राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में **स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क** (SIF) के विकास के लिए राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर उसे प्रसारित किए थे।

**ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (GIF) के बारे में**

- GIF को **इंटर-एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑन SDG इंडीकेटर्स (IAEG-SDGs)** ने तैयार किया है।
    - IAEG-SDG कई सदस्य देशों से मिलकर बना है तथा इसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां को पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल किया गया है।
    - इसे **संयुक्त राष्ट्र-सांख्यिकी आयोग (UNSC)**[115] द्वारा स्थापित किया गया था।
    - भारत ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के माध्यम से **2021-2023 की अवधि के लिए IAEG-SDGs में दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व** किया।
    - भारत वर्ष 2015-2017 और 2017-2019 की अवधि के दौरान **लगातार दो बार IAEG-SDGs का सदस्य** भी रह चुका है।
- वर्तमान में, GIF में **231 विशिष्ट संकेतकों सहित 248 संकेतकों का उपयोग** किया जाता है।
    - इसके अंतर्गत **डेटा संग्रह और संकेतकों पर रिपोर्टिंग** करने का काम **राष्ट्रीय सांख्यिकीय एजेंसियों और अन्य संबंधित संस्थानों** द्वारा किया जाता है।
    - इस प्रयास के लिए **MoSPI** ने 2018 में **एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF)**[116] तैयार किया था।

## 8.4. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

| | |
|---|---|
| **वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक** (Global Gender Gap Index) | • इसे विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा हर साल जारी किया जाता है।<br>• **जेंडर गैप इंडेक्स के 4 मापदंड:** आर्थिक भागीदारी और अवसर; शिक्षा प्राप्ति; स्वास्थ्य और उत्तरजीविता; तथा राजनीतिक सशक्तीकरण[117]<br>• **वर्ष 2023 में भारत ने 146 देशों में 127वां स्थान प्राप्त** किया।<br>• भारत ने **स्थानीय शासन में महिलाओं का 44.4% प्रतिनिधित्व** हासिल कर लिया है। |
| **लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक** (Gender Social Norms Index) | • इसे **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** ने जारी किया है।<br>• इसका उद्देश्य दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले व्यवस्थित नुकसान और भेदभाव को समझना है।<br>• GSNI के **चार प्रमुख आयाम:** राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और शारीरिक स्वायत्तता[118] |
| **UHC सेवा कवरेज सूचकांक** {UHC Service Coverage Index (SCI)} | • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) SCI जारी किया है।<br>• SCI का उपयोग SDG 3.8.1 के स्तर की जांच के लिए किया जाता है। **इसमें संकेतकों की चार श्रेणियां** शामिल हैं:<br>  o प्रजनन, मातृ एवं नवजात तथा शिशु स्वास्थ्य,<br>  o संक्रामक रोग,<br>  o गैर-संचारी रोग, और<br>  o सेवा क्षमता और पहुंच[119]।<br>• इसे **0 (सबसे खराब कवरेज) से 100 (सर्वोत्तम कवरेज) के पैमाने पर** मापा जाता है।<br>• 2021 में भारत का स्कोर 2019 के 64 से कम होकर 63 हो गया। |
| **समानता का मार्ग रिपोर्ट** (The Paths to Equal Report) | • यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और यू.एन. वीमेन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है।<br>• इसमें दुनिया भर में महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता की स्थिति को मापने के लिए **दो सूचकांक** का इस्तेमाल किया गया है- |

115 UN Statistical Commission

116 National Indicator Framework

117 Economic Participation and Opportunity; Educational Attainment; Health and Survival; Political Empowerment

118 Political, Educational, Economic and Physical integrity

119 Service capacity and access




© Vision IAS

| | |
|---|---|
| | ○ **महिला सशक्तीकरण सूचकांक (WEI)**[120]**:** यह सूचकांक पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित है। यह पांच आयामों के अंतर्गत जीवन में विकल्प चुनने और अवसरों का लाभ उठाने की महिलाओं की शक्ति एवं स्वतंत्रता को मापता है।<br>○ **वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक (GGPI)**[121]**:** इस सूचकांक में प्रमुख आयामों में **पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की स्थिति** का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही, यह महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता में अंतर को दर्शाता है। |
| **वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (Technical Term Dictionaries for Indian Languages)** | • CSTT[122] उन **10 भारतीय भाषाओं** में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली विकसित करेगा, **जिनका लर्निंग में बहुत ही कम उपयोग किया जाता है।**<br>○ ये भाषाएं आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। इन भाषाओं में **बोडो, संथाली, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली और संस्कृत** शामिल हैं।<br>• **CSTT के बारे में:**<br>○ इसे **1961 में राष्ट्रपति के आदेश से स्थापित किया गया था।**<br>○ आयोग की **स्थापना** भारत के संविधान के **अनुच्छेद 344(4) के तहत एक समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई थी।**<br>○ **उद्देश्य:** सभी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली विकसित करना। |

**Copyright © by Vision IAS**
*All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.*

[120] Women's Empowerment Index

[121] Global Gender Parity Index

[122] Commission for Scientific and Technical Terminology/ वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

# UPSC TOPPERS PREPARATION APPROACH & STRATEGIES

*Insights from Toppers' Talk and Answer Scripts*

**Ishita Kishore**
**Rank 1, 2022**

Ishita Kishore, the UPSC topper of 2022, serves as a remarkable inspiration for her unwavering determination and relentless efforts making her as a beacon of motivation for aspiring candidates. Through her methodical preparation approach, she emerged triumphant in the esteemed Civil Services Examination securing top rank. Ishita extensively relied on VisionIAS Mains test series to refine her answer writing abilities. To gain further insights into Ishita's answer writing approaches, kindly scan the QR code provided.

TOPPER'S COPIES

+91 8468022022, +91 9019066066

/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

# UPSC CSE TOPPERS

## Waseem Ahmad Bhat

**7 RANK 2022**

Waseem Ahmad Bhat, an exceptional achiever who secured an All India Rank 7 in his third attempt in the UPSC Civil Services Examination 2022. He also achieved All India Rank 225 in his first attempt in 2020 and currently, he is training as an Assistant Commissioner Income Tax.

Waseem was a student of the **VisionIAS Foundation Course**, Batch in 2019.

Hailing from Doru Shahabad, Anantnag, Jammu & Kashmir, he completed his schooling in Anantnag and holds a degree in Civil Engineering from NIT Srinagar.

Waseem opted for **Anthropology** as his optional subject. His topper's talk covers vital topics such as preparing for the **changing pattern of Prelims**, essay writing and strategy, writing **quote-based essays,** utilizing topper's answer scripts for preparation, and **effective revision strategies.**

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

## Aniruddh Yadav

**8 RANK 2022**

Aniruddh Yadav, a remarkable achiever who secured an All India Rank 8 in his fourth attempt in the UPSC Civil Services Examination of 2022.

Aniruddh opted for **Anthropology** as his optional subject. He completed his dual degree course in Biochemical Engineering & Biotechnology from IIT Delhi.

His topper's talk covers crucial aspects such as **creating a schedule** and **subject-wise timetable,** honing answer writing skills through topic-based **practice, mastering the structure** and format of answers (Introduction, Body, Conclusion), **managing time effectively** during answer writing practice, and preparing **topic-wise notes** with the help of syllabus analysis and previous year questions.

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

## कृतिका मिश्रा

**66 RANK 2022**

कृतिका मिश्रा **2022 की यूपीएससी (UPSC) हिंदी मीडियम टॉपर रही हैं,** इन्होने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में अपने **दूसरे प्रयास** में अखिल भारतीय रैंक (AIR) 66 हासिल किया है। इन्होने अपने पहले प्रयास में इंटरव्यू दिया था लेकिन अंतिम रूप से सफलता नहीं मिली थी।

कानपुर की रहने वाली कृतिका ने **मानविकी विषयों में स्नातक** और **हिंदी साहित्य में परास्नातक** किया है। कृतिका अपनी तैयारी के दौरान **VisionIAS के ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, लक्ष्य कार्यक्रम** और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम से जुड़ी रहीं है, जो इनकी प्रभावी तैयारी और सफलता प्राप्त करने में सहायक रहे हैं।

उनके **टॉपर टॉक्स (Topper's Talk)** में परीक्षा की प्रभावी तैयारी के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गयी है जैसे **हिंदी माध्यम के समक्ष चुनौतियाँ,** प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति, **CSAT** की रणनीति, नोट्स बनाने से संबंधित कला और प्रभावी **उत्तरलेखन की रणनीतियां** इत्यादि। कृतिका मिश्रा ने **उत्तर लेखन और प्रस्तुतिकरण** में निपुणता, तथ्यों एवं उदाहरणों का उपयोग करने की असाधारण विशेषज्ञता के आधार पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों में अच्छे अंक हासिल किये हैं। कृतिका मिश्रा की **उपलब्धियां** देश भर के महत्वाकांक्षी **अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणादायी** हैं। कृतिका के **Topper's Talk** एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

## भरत जयप्रकाश मीणा

**85 RANK 2022**

सिविल सेवा परीक्षा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले **भरत जयप्रकाश मीणा** ने 2022 की यूपीएससी (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा में अपने **तीसरे प्रयास** में अखिल भारतीय रैंक (AIR) **85** हासिल की है। पहली बार उन्होंने **624वीं रैंक** हासिल की थी और उनका **आईआरएस** (IRS) में चयन हुआ था।

गंगापुर सिटी के पास सलावद गांव निवासी भरत जयप्रकाश सिंह मीणा ने सीकर से 12वीं पास की है। इसके बाद धनबाद आईआईटी (IIT) से **मैकेनिकल इंजीनियरिंग** की है ।

**टॉपर टॉक्स (Topper's Talk)** के माध्यम से भरत जयप्रकाश मीणा ने पाठ्यक्रम का महत्त्व, **Prelims Exam** की रणनीति के साथ–साथ स्टडी मटेरियल, Current Affairs के लिए योजना–कुरुक्षेत्र आदि मैगजीन का उपयोग तथा **निबंध में अच्छे अंक** कैसे हासिल किया जा सकता है आदि संदर्भो में सविस्तार चर्चा की है। **उत्तर लेखन में भूमिका एवं निष्कर्ष को प्रभावी बनाना**, तथ्यों एवं उदाहरणों का उपयोग करने के साथ–साथ मैप, डायग्राम आदि का सटीक प्रयोग करने की कला ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भरत जयप्रकाश के **Topper's Talk** एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया दिए गए क्यूआर कोड (**QR Code**) को स्कैन कीजिये ।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

# UPSC CSE TOPPERS

## Gamini Singla

**3 RANK 2021**

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

Gamini Singla, hailing from Punjab, completed her graduation in Computer Science Engineering from Punjab Engineering College Chandigarh. Thereafter, she honed her skills through a five-month internship as a finance analyst at JP Morgan.

She secured a remarkable All India Rank of 3 in the UPSC CSE 2021 in her second attempt with **Sociology** as her optional subject.

With her strategic **approach to GS Paper IV (Ethics) and Essay,** Gamini demonstrated her ability to **critically analyze ethical issues** and effectively express her thoughts in a coherent manner.

Her expertise in answer writing provided her with a competitive edge, allowing her to convey her knowledge and insights concisely.

## Aishwarya Verma

**4 RANK 2021**

Aishwarya Verma hails from Madhya Pradesh. After graduating in Electrical Engineering, he opted for Civil Services as a career of choice.

He chose **Geography** as his optional subject and achieved an All-India Rank 4 in UPSC CSE 2021 in his fourth attempt.

Apart from the hard work, determination and resilience shown by Aishwarya, his success can also be attributed to his **short and enriched self-made notes, advanced answer writing skills**, and smart preparation strategy, including S&T.

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

## अंकित कुमार जैन

**173 RANK 2022**

**राजस्थान के बूंदी जिले** के छोटे से गांव जरखोदा के **अंकित कुमार जैन** ने UPSC परीक्षा 2022 में **173वां (AIR 173)** स्थान प्राप्त किया है । यह उनका तीसरा प्रयास था। **सामान्य परिवार** से आने वाले अंकित की यह उपलब्धि उनकी प्रतिबद्धता और दृढ़संकल्प का परिणाम है। अंकित कुमार जैन ने Chemical Engineering **में स्नातक** किया है। UPSC में उनका वैकल्पिक विषय (Optional Subject) हिंदी साहित्य रहा है। उन्होंने **टॉपर टॉक्स** (Topper's Talk) के माध्यम से Prelims Exam और Mains Exam की रणनीति के साथ–साथ Revision के महत्त्व तथा हिंदी साहित्य विषय की तैयारी के विभिन्न आयामों पर चर्चा की है। **उत्तर लेखन प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता**, तथ्यों एवं उदाहरणों का सटीक उपयोग करने के साथ साथ फ्लोचार्ट, डायग्राम आदि के प्रभावी प्रयोग ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हैं। अंकित कुमार उन सभी युवाओं के लिए **प्रेरणास्रोत** हैं जो निर्भीक होकर **चुनौतियों और बाधाओं** को दूर कर अपने परिश्रम और मेहनत से स्वयं के लिए मुकाम बनाना चाहते हैं। **अंकित कुमार** के Topper's Talk एवं **उत्तर लेखन दृष्टिकोण** के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये ।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

## गौरव कुमार त्रिपाठी

**226 RANK 2022**

गौरव कुमार त्रिपाठी ने UPSC की सिविल सेवा परीक्षा **2022 में 226 वाँ रैंक** प्राप्त किया है। इन्होंने IIT रुड़की से वर्ष 2018 में B-Tech करने के साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की।

गौरव कुमार त्रिपाठी पहले वर्ष **2020 में** PCS **में भी चयनित** हुए थे किन्तु उच्चतर सफलता हेतु इन्होने चै पद पर जॉइन नहीं किया । इन्होने तैयारी की शुरुआत में भूगोल को अपना वैकल्पिक विषय बनाया था किन्तु बाद में **हिन्दी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में** अपनाया। अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए इन्होने अपनी रणनीति में **टेस्ट सीरीज** के माध्यम से अभ्यास, टेस्ट सीरीज के **मॉडल उत्तरों से नोट्स बनाना,** स्वयं द्वारा बनाए गए **नोट्स को बार बार दोहराना** तथा PYQs **का निरंतर अभ्यास** करने आदि पक्षों को शामिल किया था। गौरव अपनी तैयारी के दौरान VisionIAS के **लक्ष्य कार्यक्रम, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, अभ्यास, Mains 365, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एथिक्स केस स्टडीज कार्यक्रम** से जुड़े रहे हैं जो इनकी बेहतर तैयारी में सहायक रहे हैं। गौरव कुमार त्रिपाठी के Topper's Talk एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये ।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

# UPSC CSE TOPPERS

## Shubham Kumar

**1 RANK 2020**

Shubham Kumar, hailing from Katihar District in Bihar, completed his graduation in Civil Engineering from IIT Bombay. He achieved the remarkable feat of securing All India Rank 1 in the UPSC examination of 2020 in his third attempt.

His success can be attributed to his **unique approach and meticulous preparation.** Shubham emphasized the importance of **regular mock tests** for prelims and carefully analyzing previous years' UPSC prelims questions.

Shubham was a student of the **VisionIAS Foundation Course.**

He also **utilized topper's copies to enhance his skills in ethics answer writing** and emphasized the **use of diagrams and graphs** in GS papers.

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

## Jagrati Awasthi

**2 RANK 2020**

Jagrati Awasthi, from Bhopal, Madhya Pradesh, completed her graduation in Electrical Engineering from NIT Bhopal. She gained two years of valuable work experience at BHEL.

With **Sociology** as her optional subject, she achieved an outstanding All India Rank of 2 in the UPSC examination of 2020.

She has emphasized the **importance of a well-structured daily routine** and shared a **detailed booklist** and recommended sources. Jagrati stressed the significance of thorough reading and utilizing previous years' questions to grasp the exam's demands.

Along with refined **note-making techniques,** she has provided insights on determining the optimal number of questions to attempt in the prelims and leveraging previous year's question papers for **Ethics case studies'** preparation.

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

## बजरंग प्रसाद

**454 RANK 2022**

**बजरंग प्रसाद टपेपवद IAS के फाउंडेशन कार्यक्रम के छात्र रहे हैं।** बजरंग प्रसाद ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा, **2022 में 454 रैंक** प्राप्त की है । इन्होने वर्ष 2019 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया, इसके बाद इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का निर्णय लिया । ये विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी रहे हैं। अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए इन्होने अपनी रणनीति में दृढ़ विश्वास, कठिन मेहनत, **सीमित अध्ययन स्रोतों के बारम्बार रिविजन पर बल,** क्लास नोट्स का निरंतर रिविजन, **PYQs का अभ्यास** तथा टेस्ट सीरीज के माध्यम से निरंतर अभ्यास इत्यादि को शामिल किया है। बजरंग प्रसाद के **Topper's Talk** एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

## रवि कुमार सिहाग

**18 RANK 2021**

रवि ने 2015 के बाद UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का निर्णय लिया और **प्रथम प्रयास वर्ष** (2018) में ही **337वीं रैंक** प्राप्त किया, अपने **द्वितीय प्रयास (2019) में 317वीं रैंक** पर चयनित हुए । IAS प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और अंततः सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 18वीं रैंक प्राप्त किया। इन्होंने अपनी रणनीति में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना, अपने **कमजोर पक्षों पर कार्य करना, प्रतिदिन उत्तर लेखन करना,** सामान्य अध्ययन और एथिक्स पेपर में **नवाचार की विधियां अपनाना** जैसे रेखाचित्र, आँकड़े आदि का प्रयोग तथा NCERT का प्रभावी उपयोग आदि को शामिल किया है । रवि, **VisionIAS के टेस्ट सीरीज कार्यक्रम** में भी शामिल थे। रवि कुमार के **Topper's Talk** एवं उत्तर लेखन दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) को स्कैन कीजिये ।

TOPPERS' TALK

TOPPER'S COPIES

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

# सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2025

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

| दिल्ली | अवधि |
| --- | --- |
| 5 मार्च \| 1 PM | 12–14 महीने |

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड** को स्कैन कीजिए

**नि:शुल्क काउंसिलिंग** के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

**डेली MCQs** और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल **टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए**

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन / मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

## GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

**नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन**
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

**सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित**
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

**नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन**
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन / ईमेल / लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

**ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़**
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

**कोई क्लास मिस ना करें**
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

**बाधा रहित तैयारी**
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest
# Congratulations
to all Successful Candidates

## 39 in Top 50 Selections in CSE 2022

1 AIR ISHITA KISHORE

2 AIR GARIMA LOHIA

3 AIR UMA HARATHI N

## हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

– हिंदी माध्यम टॉपर –

66 AIR KRITIKA MISHRA

85 AIR BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR DIVYA

120 AIR GAGAN SINGH MEENA

173 AIR ANKIT KUMAR JAIN

## UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

66 AIR KRITIKA MISHRA — TOPPERS' TALK | TOPPER'S COPIES

226 AIR GAURAV KUMAR TRIPATHI — TOPPERS' TALK | TOPPER'S COPIES

18 AIR RAVI KUMAR SIHAG — TOPPERS' TALK | TOPPER'S COPIES

13 AIR NISHANT JAIN — PREPARATION STRATEGY AVAILABLE AT HINDI YOUTUBE CHANNEL

प्रीलिम्स 2024 Quick Revision Class

UPSC 2025 के लिए व्यापक रणनीति

बजट (2024–2025)

Prelims 2024 रणनीति PYQs

**HEAD OFFICE**
DELHI
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

**MUKHERJEE NAGAR CENTER**
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

**GTB NAGAR CENTER**
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

**FOR DETAILED ENQUIRY**
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

enquiry@visionias.in | /c/VisionIASdelhi | /visionias.upsc | /vision _ias | VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद | बेंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची